

रबड़ अधिनियम, 1947

(1947 का XXIV)

और

रबड़ नियम, 1955

THE RUBBER ACT, 1947

(XXIV OF 1947)

AND

THE RUBBER RULES, 1955



रबड़ बोर्ड

THE RUBBER BOARD

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY, GOVT. OF INDIA

पी.बी.नं. P.B.No. 1122

कोट्टयम KOTTAYAM - 688 002

केरल KERALA

रबड़ अधिनियम, 1947

(1947 का XXIV)

विषयसूची

धाराएं	पृष्ठ संख्या
1. लघु शीर्षक एवं विस्तार	10
2. केन्द्र नियंत्रण की कार्यसाधकता की घोषणा	10
3. व्याख्यायें	10
4. बोर्ड की रचना	14
5. बोर्ड में रिक्तियाँ	16
6. अध्यक्ष का वेतन व भत्ता	16
6क. बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी	16
7. बोर्ड की समितियाँ	18
8. बोर्ड के कार्य	18
8क. आंतरिक विपणी में बिक्री या क्रय के लिए रबड़ के आयात करने में बोर्ड का अधिकार	20
8ख. बोर्ड के साथ सलाह	20
9. रबड़ विकास निधि	20
10. लोप किया गया	22
11. रबड़ के आयात एवं निर्यात के निरोध या नियंत्रण का अधिकार	22
12. लोप किया गया	24
13. रबड़ की बिक्री के लिए उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्य नियत करने का अधिकार	26
14. रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र	28
15. धारा 14 के अधीन अनुज्ञापत्र के संबंध में उपबंध	28
16. रबड़ के कब्जे पर नियंत्रण	28
17. रबड़ की गुणवत्ता, विपणन आदि के लिए मानकों का कार्यान्वयन	30
18. लोप किया गया	30
19. विशेष अनुज्ञापत्र के लिए शुल्क	30
20. विवरणियों का प्रस्तुतीकरण और लेखाओं का रखना	30
21. भूमि एवं परिसरों का निरीक्षण.	32
22. केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रण	32
22क. बोर्ड को अनुदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अधिकार	32
23. अपील	32
24. बोर्ड के लेखे	34
24क. शक्तियों का प्रत्यायोजन	34
25. नियमों के बनाने में केन्द्र सरकार का अधिकार	34
25क. विनियम बनाने का अधिकार	40
26. दंड	40
26क. अपराध का शमन	42
27. प्रोसिक्यूशन के लिए कार्यवाही	42
27क. अदालतों की सीमा	42
28. कानूनी कार्यवाहियों का रोक	42
29. (निरस्त)	42

THE RUBBER ACT, 1947

(XXIV of 1947)

C O N T E N T S

SECTIONS

1. Short title and extent	11
2. Declaration as to expediency of Union Control	11
3. Definitions	11
4. Constitution of the Board	15
5. Vacancies in the Board	17
6. Salary and allowances of Chairman	17
6A. Executive Officers of the Board	17
7. Committees of the Board	19
8. Functions of the Board	19
8A. Power of the Board to import rubber for sale or to purchase rubber, in the internal market.	21
8B. Consultation with the Board	21
9. Rubber Development Fund	21
10. Omitted	23
11. Power to prohibit or control imports and exports of Rubber	23
12. Omitted	25
13. Power to fix maximum and minimum prices for sale of rubber	27
14. Licensing of transactions in rubber	29
15. Provisions regarding licences under section 14	29
16. Restriction on possession of rubber	29
17. Implementation of standards for quality marking, etc for rubber	31
18. Omitted	31
19. Fees for special licences	31
20. Submission of returns and maintenance of accounts	31
21. Inspection of land and premises	33
22. Control by the Central Government	33
22A. Power of central Government to issue directions to Board	33
23. Appeal	33
24. Accounts of the Board	35
24A. Power to delegate	35
25. Powers of Central Government to make rules	35
25A. Power to make regulations	41
26. Penalties	41
26A. Compounding of Offences	43
27. Procedure for prosecutions	43
27A. Jurisdiction of Courts	43
28. Bar of legal proceeding	43
29. Temporary powers of the Central Government (Repealed)	43

रबड़ नियम, 1955

विषयसूची

पृष्ठ संख्या

अध्याय I

प्रारंभिक

नियम

- | | |
|----------------|----|
| 1. लघु शीर्षक | 46 |
| 2. व्याख्यायें | 46 |

अध्याय II

बोर्ड और उसकी रचना

- | | |
|--|----|
| 3. बोर्ड का गठन एवं रिक्तियाँ भरने की रीति | 48 |
| 4. पदावधि | 50 |
| 5. त्याग पत्र | 52 |
| 6. बोर्ड से निकालना | 52 |
| 7. भारत में अनुपस्थिति | 52 |
| 8. उपाध्यक्ष | 54 |

अध्याय III

बोर्ड एवं इसकी समितियों की बैठक की प्रक्रिया

- | | |
|--|----|
| 9. बोर्ड की बैठकें | 54 |
| 10. कोरम | 56 |
| 10क. समिति की बैठक में अनुपस्थिति | 56 |
| 10ख. आकस्मिक रिक्तियाँ भरना | 56 |
| 10ग. समिति की बैठकों में अध्यक्षता | 56 |
| 11. बैठकें बुलाने का अधिकार | 58 |
| 11क. कार्यसूची | 58 |
| 12. बैठक की अध्यक्षता | 60 |
| 13. परिचालन द्वारा कार्य | 60 |
| 13क. कार्यवाही रिकार्ड | 62 |
| 14. मतदान | 62 |
| 15. समितियों की नियुक्ति | 62 |
| 16. बोर्ड एवं समितियों के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते | 64 |
| 17. पुनरीक्षण | 68 |

अध्याय IV

बोर्ड एवं इसकी स्थापना

- | | |
|---|----|
| 18. वेतन एवं भत्ते | 68 |
| 19. बोर्ड की स्थापना | 68 |
| 20. लोप किया गया | 70 |
| 21. लोप किया गया | 70 |
| 22. मंजूर पदों की अस्थायी रिक्ति का भरना | 70 |
| 23. तैनाती एवं स्थानान्तरण | 70 |
| 24. उधार लिए गए अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते | 70 |
| 24क. गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिमों की मंजूरी | 72 |

THE RUBBER RULES, 1955

CONTENTS

CHAPTER 1		
Rule	PRELIMINARY	Page
1.	Short title	47
2.	Definitions	47
CHAPTER II		
BOARD AND ITS CONSTITUTION		
3.	Constitution of the Board and manner of filling vacancies	49
4.	Term of Office	51
5.	Resignation	53
6.	Removal from the Board	53
7.	Absence from India	53
8.	Vice-Chairman	55
CHAPTER III		
PROCEDURE OF MEETINGS OF BOARD AND ITS COMMITTEES		
9.	Meetings of the Board	55
10.	Quorum	57
10A.	Absence from meeting of a committee	57
10 B.	Filling of Casual Vacancies	57
10 C.	Presiding over committee meetings	57
11.	Power to call meetings	59
11 A.	Agenda	59
12.	Presiding over meetings	61
13.	Business by circulation	61
13.A.	Record of business	63
14.	Voting	63
15.	Appointment of committees	63
16.	Travelling and other allowances to members of the Board and its committees	65
17.	Revision	69
CHAPTER IV		
BOARD AND ITS ESTABLISHMENT		
18.	Salaries and allowances	69
19.	Board's establishment	69
20.	Omitted	71
21.	Omitted	71
22.	Filling up of temporary vacancies in sanctioned posts	71
23.	Postings and transfers	71
24.	Pay and allowances of borrowed officers	71
24A.	Grant of advances for building etc. of houses	73

24ख.मोटोर कार, मोटोर साइकिल एवं साइकिलों की खरीद हेतु अग्रिमों की मंजूरी	72
25. लोप किया गया	72
26. व्यक्तियों को विदेश भेजना	72

अध्याय V

बोर्ड एवं कार्यपालक निदेशक के अधिकार

27. कार्यपालक निदेशक के अधिकार	74
27क.	76
28. शक्तियों का प्रत्यायोजन	76
29. शक्तियों के प्रत्यायोजन में निबंधन	78
30. सामान्य निधि से व्यय करने का अधिकार	78
30क.लोप किया गया	80
31. उधार लेने की शक्ति	80
32. निविदा	80
33. सूचना एवं दस्तावेज मांगने का अधिकार	82
33क.लोप किया गया	84
33ख.लोप किया गया	84
33ग. लोप किया गया	84
33घ. लोप किया गया	84
33ड. उत्पाद शुल्क के दावे में छूट देने या परित्यक्त करने की बोर्ड की शक्ति	84

अध्याय VI

बोर्ड के वित्त एवं लेखे

34. बजट प्राक्कलन	86
35. बोर्ड के लेखे	88
36. लोप किया गया	88
37. बोर्ड की निधियों का बैंकों में जमा तथा ऐसी निधियों का निवेश	90

अध्याय VII

विविध

38. लोप किया गया	90
39. रबड़ के व्यापार हेतु अनुज्ञापत्र	90
39क.प्रसंस्करण हेतु रबड़ के अर्जन एवं ऐसे अर्जित रबड़ की बिक्री करने के लिए अनुज्ञापत्र	92
40. रबड़ अर्जन हेतु अनुज्ञापत्र	94
40क. रबड़ अर्जन हेतु अनुज्ञापत्र	94
41. लोप किया गया	94
42. अनुज्ञापत्र को प्रतिसंहत या रद्द करने का अधिकार	94
43. मासिक व वार्षिक विवरण	94
43क. मासिक व वार्षिक विवरण	96
43ख.लोप किया गया	96
44. रजिस्टर	96
45. लाइसेंस शुल्क	96
46. लोप किया गया	98
47. आयुक्त की शक्तियाँ एवं कार्य	98
48. रबड़ का श्रेणीकरण व विपणन	98

24B. Grant of advances for the purchase of motor car, motor cycle or bicycle	73
25. Omitted	73
26. Sending persons abroad.	75

CHAPTER V

POWERS OF THE BOARD AND THE EXECUTIVE DIRECTOR

27. Powers of the Executive Director	75
27A.	77
28. Delegation of powers	77
29. Restriction on delegation of power	79
30. Power to incur expenditure from General Fund	79
30A. Omitted	81
31. Borrowing powers	81
32. Contracts	81
33. Power to call information and documents	83
33A. Omitted	85
33B. Omitted	85
33C. Omitted	85
33D. Omitted	85
33E. Powers of Board to remit or abandon claims to excise duty	85

CHAPTER VI

FINANCE AND ACCOUNTS OF THE BOARD

34. Budget Estimate	87
35. Accounts of the Board	89
36. Omitted	89
37. Deposit of funds of the board in banks and investment of such funds	91

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

38. Omitted	91
39. Licence to deal in rubber	91
39A. Licence to acquire rubber for processing and for selling rubber so acquired	93
40. Licence to acquire rubber	95
40A. Licence to acquire rubber	95
41. Omitted	95
42. Power to revoke or cancel licences	95
43. Monthly and annual returns	95
43A. Monthly and annual returns	97
43B. Omitted	97
44. Registers	97
45. Licence fees	97
46. Omitted	99
47. Powers and duties of the Commissioner	99
48. Grading and Marketing of Rubber	99

प्रथम अनुसूची

प्ररूप क - लोप किया गया	102
प्रपत्र बी	102
प्रपत्र बी 1	104
प्रपत्र सी	108
प्रपत्र सी 1	110
प्रपत्र डी	114
प्रपत्र डी 1	126
प्रपत्र ई	128
प्रपत्र ई 1	130
प्रपत्र च - लोप किया गया	132
प्रपत्र छ - लोप किया गया	132
प्रपत्र एच	134
प्रपत्र एच 1	142
प्रपत्र एच 2	152
प्रपत्र एच 3	158
प्रपत्र आई - लोप किया गया	164
प्रपत्र जे - लोप किया गया	164
प्रपत्र के	166
प्रपत्र के 1	176
प्रपत्र एल	180
प्रपत्र एल 1	182
प्रपत्र एम - लोप किया गया	184
प्रपत्र एन 1 - लोप किया गया	184
प्रपत्र एन 2 - लोप किया गया	184
प्रपत्र एन 3 - लोप किया गया	184
प्रपत्र एन 4 - लोप किया गया	184
द्वितीय अनुसूची	
लोप किया गया	186

THE FIRST SCHEDULE

		Page
FORM A		103
FORM B		103
FORM B1		105
FORM C		109
FORM C1		111
FORM D		115
FORM D1		127
FORM E		129
FORM E1		131
FORM F	Omitted	133
FORM G	Omitted	133
FORM H		135
FORM H 1		143
FORM H 2		153
FORM H 3		159
FORM I	Omitted	165
FORM J	Omitted	165
FORM K		167
FORM K1		177
FORM L		181
FORM L 1		183
FORM M	Omitted	185
FORM N 1	Omitted	185
FORM N 2	Omitted	185
FORM N 3	Omitted	185
FORM N 4	Omitted	185
THE SECOND SCHEDULE OMITTED		187

रबड़ अधिनियम, 1947¹

(1947 का XXIV)

(18 अप्रैल, 1947)

रबड़ उद्योग के विकास के लिए केन्द्र के नियंत्रण में लाने का अधिनियम

रबड़ उद्योग के विकास के लिए केन्द्र के नियंत्रण में लाना सुविधाजनक है, इसके आधार पर एतद्द्वारा निम्न प्रकार अधिनियमित किया जाता है :-

1. लघु शीर्षक एवं विस्तार-

- (1) यह अधिनियम “रबड़ अधिनियम 1947” कहलाएगा ।
- (2) जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सारे भारत में इसका विस्तार होता है ।

2. केन्द्र नियंत्रण की कार्यसाधकता की घोषणा-

एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि लोकहित के लिए यह उचित है कि केन्द्र को रबड़ उद्योग अपने नियंत्रण में रखना चाहिए ।

3. व्याख्यायें-

इस अधिनियम में विषय या वस्तु में कोई असंगत नहीं है

- (क) “बोर्ड” अर्थात् इस अधिनियम के अधीन संगठित रबड़ बोर्ड ।
- (ख) “व्यापारी” अर्थात् रबड़ का व्यापार करनेवाला कोई भी व्यक्ति, जो थोक या अल्पशः हो या रबड़ माल कब्जे में रखना और व्यापारी का प्रतिनिधि या अभिकर्ता इसमें मिलता है ।
- (ग) “एस्टेट” अर्थात् रबड़ पौधों से पौधाई चलायी भूमि जो एक यूनिट के तौर पर प्रशासित किया जाता है ।
- (गग) ²“कार्यकारी निदेशक” अर्थात् इस अधिनियम के अधीन नियुक्त कार्यकारी निदेशक ।

1 रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का XXIV) (18 अप्रैल 1947) [संशोधित रबड़ (उत्पादन एवं विपणन) संशोधन अधिनियम, 1954 (1954 का 54) और फिर संशोधित रबड़ (संशोधन) अधिनियम 1960 (1960 का 21) और फिर संशोधित रबड़ (संशोधन) अधिनियम 1982 (1982 का 54), रबड़ (संशोधन) अधिनियम 1994 (1994 का 33)] तथा रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4)

2 रबड़ (संशोधन) अधिनियम 1982 द्वारा संशोधित

THE RUBBER ACT, 1947 ¹

(XXIV OF 1947)

(18th April, 1947)

An Act to provide for the development under the control of the Union of the rubber industry

WHEREAS it is expedient to provide for the development under the control of the Union of the rubber industry;

It is hereby enacted as follows:-

1. Short title and extent - (1) This Act may be called THE RUBBER ACT, 1947.

(2) It extends to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.

2. Declaration as to expediency of Union control- It is hereby declared that it is expedient in the public interest that the Union should take under its control the rubber industry.

3. Definitions- In this Act, unless there is anything repugnant in the subject or context

(a) "Board" means the Rubber Board constituted under this Act;

(b) "dealer", means any person who deals in rubber, whether wholesale or retail or holds stocks of rubber, and includes the representative or agent of a dealer;

(c) "estate" means any area administered as one unit which contains land planted with rubber plants;

(cc)² "Executive Director", means the Executive Director appointed under this Act;

1 The Rubber Act, 1947 Act XXIV of 1947, 18th April, 1947 [As amended by the Rubber (Production and Marketing) Amendment Act of 1954 (54 of 1954) and as further amended by the Rubber (Amendment) Act of 1960 (21 of 1960) the Rubber (Amendment) Act, 1982 (54 of 1982), the Rubber (Amendment) Act, 1994 (33 of 1994)] and the Rubber (Amendment) Act, 2009 (No. 4 of 2010)

2 Amended by the Rubber (Amendment) Act, 1982.

- (घ) “निर्यात” और “आयात” अर्थात् समुद्र, स्थल या अंतरिक्ष से क्रमशः बाहर लेनेवाला और अंदर लानेवाला।
- (घघ) “भारत” अर्थात् जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर भारत का भूविभाग।
- (ङ) “विनिर्माता” अर्थात् रबड़ का इस्तेमाल करते हुए किसी माल के विनिर्माण में लगे हुए कोई व्यक्ति।
- (च) “मालिक” इसमें मालिक का कोई भी अभिकर्ता और कब्जे का बंधक ग्राही और एक एस्टेट का पट्टेदार मिलता है।
- (छ) “निर्धारित” अर्थात् इस नियम के अधीन बनाये नियमों द्वारा निर्धारित।
- (छक) ¹ “प्रसंस्करणकर्ता से” ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो रबड़ का प्रसंस्करण करने का भार अपने ऊपर लेता है;
- (ज) “रबड़” अर्थात्
- (i) क्रूड रबड़, याने किसी रबड़ पेड के पत्ते, छाल या लाटकस से तैयार करनेवाला रबड़;
- (ii) किसी रबड़ पौधे का लाटकस, जो द्रव या कोयागुलेटड हो उपचार की किसी भी अवस्था में रबड़ होकर परिवर्तित हो।
- (iii) लाटकस (शुष्क रबड़ वस्तु) सांद्रण की किसी भी अवस्था में, स्क्राप रबड़, शीट रबड़, धूल रबड़ और क्रीप रबड़ के सारे प्रकार, लेकिन विनिर्माण माल में मिल रबड़ नहीं मिलता है।
- (झ) रबड़ पौधा निम्न लिखित के पौधे, पेड, झाड़ी या बेल मिलता है:
- (i) हेवीया ब्रसीलियनसिस (पारा रबड़)
- (ii) मैनिहॉट ग्लैज़ीओवे (सीयरा रबड़)
- (iii) कास्टीलो इलास्टिका
- (iv) फैकस इलास्टिका (रामबोंग) और
- (v) इस अधिनियम के उद्देश्य के लिए रबड़ पौधे के तौर पर *भारत के राजपत्र* में रबड़ बोर्ड की अधिसूचना द्वारा घोषित कोई भी पौधा,
- (ञ) रबड़ उत्पादन आयुक्त अर्थात् इस अधिनियम के अधीन नियुक्त रबड़ उत्पादन आयुक्त।
- (ट) छोटे उत्पादक अर्थात् मालिक जिसका बागान दस¹ हेक्टेयर विस्तार से न अधिक हो।

¹ रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

- (d) "export" and "import", mean respectively taking out of, and bringing into, India by sea, land or air;
- (dd) "India", means the territory of India excluding the State of Jammu and Kashmir;
- (e) "manufacturer" means any person engaged in the manufacture of any article in the making of which rubber is used;
- (f) "owner", includes any agent of an owner and a mortgagee in possession and a lessee of an estate;
- (g) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (ga)¹ "processor" means a person who undertakes the processing of rubber;
- (h) "rubber" means
 - (i) crude rubber, that is to say, rubber prepared from the leaves, bark or latex of any rubber plant;
 - (ii) the latex of any rubber plant; whether fluid or coagulated, in any stage of the treatment to which it is subjected during the process of conversion into rubber;
 - (iii) latex (dry rubber content) in any state of concentration, and includes scrap rubber, sheet rubber, rubber in powder and all forms and varieties of crepe rubber but does not include rubber contained in any manufactured article;
- (i) "rubber plant" includes plants, trees, shrubs or vines of any of the following:-
 - (i) *Hevea brasiliensis* (Para rubber),
 - (ii) *Manihot glaziovii* (Ceara rubber),
 - (iii) *Castilla elastica*,
 - (iv) *Ficus elastica* (Rambong), and
 - (v) any other plant which the Board may, by notification in the Gazette of India, declare to be a rubber plant for the purpose of this Act;
- (j) "Rubber Production Commissioner", means the Rubber Production Commissioner appointed under this Act;
- (k) "small grower" means an owner whose estate does not exceed¹ ten hectares in area.

¹ Amended by the Rubber (Amendment) Act, 2009 (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

4. बोर्ड की रचना-

- (1) इस अधिनियम के शुरू होने के तुरंत केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के लक्ष्य के लिए एक बोर्ड का संगठन करेगा जिसे रबड़ बोर्ड बुलाया जायेगा।
- (2) रबड़ बोर्ड नाम द्वारा यह बोर्ड एक संयुक्त निकाय होगा जिसे नित्य अनुक्रमिक और एक सामान्य परिधि होती है, चल एवं अचल वस्तु का अर्जन करने एवं कब्जे में रखने और ठेका करने तथा उक्त नाम पर मुकदमा देने और दिलाने का अधिकार होता है।
- (3) बोर्ड में -
 - (क) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त एक अध्यक्ष
 - (ख) तमिलनाडु का प्रतिनिधित्व करते हुए दो सदस्य, जिनमें एक रबड़ उत्पादन हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाला होगा।
 - (ग) केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करते हुए आठ सदस्य, जिनमें छः रबड़ उत्पादन हितों का प्रतिनिधित्व करनेवाले होंगे, उन छः में तीन लोग छोटे उत्पादकों का प्रतिनिधित्व करनेवाले रहेंगे।
 - (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित दस सदस्य जिनमें दो विनिर्माताओं का और चार श्रमिक हितों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
 - (घक)¹ केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जाने वाले तीन सदस्य, जिनमें से दो वाणिज्य विभाग से और एक कृषि और सहकारिता विभाग से होगा;
 - (ङ) संसद के तीन सदस्य जिनमें दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुन लिया जाना चाहिए।
 - (ङङ)² कार्यकारी निदेशक, पदेन और
 - (च) रबड़ उत्पादन आयुक्त, पदेन रहेंगे।
- (4) तमिलनाडु एवं केरल का प्रतिनिधित्व करनेवाले निर्धारित तौर पर चुन लिया या नामित किया जाएगा।
- (5) केन्द्रीय सरकार द्वारा इसके लिए प्रतिनियुक्त किसी भी अधिकारी को बोर्ड के सम्मेलनों पर उपस्थित होने और इसकी कार्यविधियों पर भाग लेने का अधिकार होगा, लेकिन मत देने का हक नहीं होगा।
- (6) बोर्ड अपने सदस्यों से एक उपाध्यक्ष को चुनेगा जो निर्धारित या अध्यक्ष द्वारा उनको विनियोजित शक्तियों का प्रयोग और अध्यक्ष के ऐसे कार्यों का निर्वाह करेगा।
- (7) बोर्ड के सदस्य बोर्ड से निर्धारित भत्तों का स्वीकार करेंगे।

1 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II खंड 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

2 रबड़ अधिनियम (संशोधन) 1982 (1982 का 54) द्वारा संशोधित

4. Constitution of the Board

- (1) As soon as may be after the commencement of this Act, the Central Government shall, by notification in the Official Gazette, constitute for the purposes of this Act, a Board to be called the Rubber Board.
- (2) The Board shall be a body corporate by the name of the Rubber Board having perpetual succession and a common seal, with power to acquire and hold property, both movable and immovable, and to contract, and shall by the said name sue and be sued.
- (3) The Board shall consist of -
 - (a) a Chairman to be appointed by the Central Government;
 - (b) two members to represent the State of Tamil Nadu, one of whom shall be a person representing rubber-producing interests;
 - (c) eight members to represent the State of Kerala, six of whom shall be persons representing the rubber-producing interests, three of such six being persons representing the small growers;
 - (d) ten members to be nominated by the Central Government, of whom two shall represent the manufacturers and four labour;
 - (da)¹ three members to be nominated by the Central Government of whom two shall be from the Department of Commerce and one from the Department of Agriculture and Co-operation;
 - (e) three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of People and one by the Council of States;
 - (ee)² The Executive Director, ex-officio; and
 - (f) The Rubber Production Commissioner, ex-officio.
- (4) The persons to represent the States of Tamil Nadu and Kerala shall be elected or nominated as may be prescribed.
- (5) Any officer of the Central Government when deputed by that Government in this behalf shall have the right to attend the meetings of the Board and take part in the proceedings thereof but shall not be entitled to vote.
- (6) The Board shall elect from among its members a Vice-Chairman who shall exercise such of the powers, and perform such of the functions of the Chairman as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairman.
- (7) The members of the Board shall receive from the Board such allowances as may be prescribed.

1 Amended by The Rubber (Amendment) Act, 2009, (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

2 Amended by The Rubber (Amendment) Act, 1982 (Act 54 of 1982)

- (8) एतद्वारा घोषित किया जाता है कि बोर्ड के सदस्य होने के नाते संसद के किसी भी सदन की सदस्यता में अयोग्यता नहीं होती हैं ।

5. बोर्ड में रिक्तियाँ-

- (1) अगर कोई प्राधिकारी या निकाय एक न्यायसंगत समय के अंदर नामित करने में असफल हो जाता है तो धारा 4 के अधीन रिक्ति भरने के लिए केन्द्रीय सरकार एक सदस्य को नामित करेगी ।
- (2) बोर्ड का एक सदस्य मर जाने, इस्तीफा देने या हटाये जाने पर या भारत में निवास करने से निवर्तन होने पर या कार्य करने में अक्षम हो जाने पर प्राधिकारी या निकाय की सिफारिश पर धारा 4 के अधीन सदस्य को नामित करने में या एक न्याय संगत समय के अन्दर ऐसी सिफारिश न किए जाने पर रिक्ति भरने के लिए एक सदस्य की नियुक्ति करने में केन्द्रीय सरकार हकदार होगा ।
- (3) मात्र बोर्ड की रचना में कमी या किसी रिक्ति के कारण बोर्ड द्वारा लिये कार्यों पर सवाल किया नहीं जा सकता ।

6. अध्यक्ष का वेतन व भत्ता-

¹पूर्णकालिक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त एक व्यक्ति छुट्टी, पेंशन, भविष्यनिधि और अन्य कार्यों के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित और सेवा शर्तों द्वारा शासित नियमों के अनुसार वेतन एवं भत्ते का हकदार रहेगा और अंशकालिक अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त व्यक्ति समय समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित सेवा शर्तों के अनुसार मानदेय और भत्तों के लिए हकदार होगा ।

6क. बोर्ड के कार्यपालक अधिकारी-

- (1) ¹बोर्ड के निदेशाधीन निर्धारित कार्य करने या अध्यक्ष द्वारा विनियोजित शक्तियों के प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार एक कार्यपालक निदेशक की नियुक्ति करेगी ।
- (1क) बोर्ड के निदेशाधीन निर्धारित कार्यों को करने और ऐसी शक्तियों का प्रयोग करने केन्द्रीय सरकार एक रबड़ उत्पादन आयुक्त की नियुक्ति करेगी ।
- (2) बोर्ड के निदेशाधीन कार्य करने और अध्यक्ष द्वारा विनियोजित शक्तियों का प्रयोग करने के लिए केन्द्रीय सरकार एक सचिव की नियुक्ति करेगी ।

(8) It is hereby declared that the office of member of the Board shall not disqualify its holder for being chosen as, or for being, a member of either House of Parliament.

5. Vacancies in the Board- (1) If any authority or body fails to make within a reasonable time any nomination which it is entitled to make under Section 4, the Central Government may itself nominate a member to fill the vacancy.

(2) Where a member of the Board dies, resigns or is removed or ceases to reside in India or becomes incapable of acting, the Central Government shall, on the recommendation of the authority or body entitled to nominate the member under Section 4, or where such recommendation is not made within a reasonable time, then on its own initiative, appoint a person to fill the vacancy.

(3) No act done by the Board shall be questioned on the ground merely of the existence of any vacancy in, or defect in the constitution, of the Board.

6. Salary and allowances of Chairman - ¹ A person appointed as the whole time Chairman shall be entitled to such salary and allowances and be governed by such conditions of service in respect of leave, pension, provident fund and other matters as may from time to time be fixed by the Central Government and a person appointed as the part-time Chairman shall be entitled to such honorarium and allowances, if any, and such other conditions of service as may from time to time be fixed by the Central Government.

6A. Executive Officers of the Board- (1) ¹The Central Government may appoint an Executive Director to exercise such powers and perform such duties under the direction of the Board as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairman.

(1A) The Central Government shall appoint a Rubber Production Commissioner to exercise such powers and perform such duties under the direction of the Board as may be prescribed.

(2) The Central Government shall appoint a Secretary to the Board to exercise such powers and perform such duties under the direction of the Board as may be prescribed or as may be delegated to him by the Chairman.

¹ Amended by the Rubber (Amendment) Act, 1982 (Act 54 of 1982)

- (3) ¹बोर्ड के कार्यपालक निदेशक रबड़ उत्पादन आयुक्त और सचिव ऐसे वेतन और भत्ते के लिए हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत किया जाए और छुट्टी, पेंशन, भविष्यनिधि और अन्य कार्यों के संबंध में ऐसी सेवा शर्तों द्वारा शासित किया जाएगा ।
- (4) ¹अध्यक्ष, अगर पूर्णकालिक होने पर, कार्यपालक निदेशक रबड़ उत्पादन आयुक्त और सचिव केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना ऐसे कोई कार्य न करें जो इस अधिनियम के अधीन अपने कार्यों से संबंध न रखते हो।

7. बोर्ड की समितियाँ -

- (1) [1954 के अधिनियम 54 द्वारा लोप किया गया]
- (2) बोर्ड ऐसी समितियों की नियुक्ति करें जो इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कार्यों के समर्थ निष्पादन के लिए ज़रूरी हों ।
- (3) उप धारा (2) के अधीन नियुक्त किसी भी समिति में सदस्य के तौर पर ऐसे व्यक्तियों को सहयोजन करने के लिए बोर्ड का अधिकार रहेगा, जो बोर्ड के सदस्य नहीं होते हैं ।
- (4) रबड़ के विपणन एवं भण्डार से संबंधित किसी भी कार्य को बोर्ड के लिए करने बोर्ड अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं प्राधिकार करें ।

8. बोर्ड के कार्य-

- (1) यह बोर्ड का कर्तव्य होगा कि ऐसे मार्गों द्वारा रबड़ उद्योग की वृद्धि करें जो उसके विकास के लिए उचित लगें।
- (2) पूर्ववर्ती अनुबंधों की सामान्यता में क्षति किये बिना निम्न लिखित कार्यों के लिए कार्य करें ।
- (क) वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान कार्य का निभाना, सहायता या प्रोत्साहन देना;
- (ख) पौधाई, कृषि, खादप्रयोग और छिड़काव की सुधारित प्रणालियों पर छात्रों को प्रशिक्षण देना;
- (ग) रबड़ उत्पादकों को तकनीकी सलाह देना;
- (घ) रबड़ के विपणन का सुधार करना;
- ²(घक) रबड़ की क्वालिटी में सुधार करना और भारत में उत्पादित या प्रसंस्कृत, आयातित या भारत से निर्यातित रबड़ की क्वालिटी, चिह्नांकन, लेबल लगाने और पैकिंग के मानकों को लागू करना;
- (ङ) बागानों के मालिकों, व्यापारियों, विनिर्माताओं और प्रसंस्करणकर्ताओं से सांख्यिकी का संग्रह ।
- (च) कामगारों के लिए उचित कार्य व्यवस्थाओं एवं व्यवस्थाओं का प्रबंधन तथा सुख सुविधा एवं प्रोत्साहनों का सुधार करना ।

1 रबड़ (संशोधित) अधिनियम 1982 द्वारा प्रतिस्थापित (1982 का अधिनियम 54)

2 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

- (3) ¹ The Executive Director, the Rubber Production Commissioner and the Secretary to the Board shall be entitled to such salaries and allowances and be governed by such conditions of service regarding leave, pension, provident fund and other matters as may be fixed by the Central Government.
- (4) ¹ The Chairman, if whole time, the Executive Director, the Rubber Production Commissioner and the Secretary shall not undertake any work unconnected with their duties under this Act except with the permission of the Central Government.

7. Committees of the Board- (1) [Omitted by Act 54 of 1954]

- (2) The Board may appoint such Committees as may be necessary for the efficient performance of its duties and functions under this Act.
- (3) The Board shall have the power to co-opt as members of any Committee appointed under sub-section (2) such number of persons who are not members of the Board, as it may think fit.
- (4) The Board may appoint and authorise agents to discharge on its behalf any of its functions in relation to the marketing or storing of rubber.

8. Functions of the Board- (1) It shall be the duty of the Board to promote by such measures as it thinks fit the development of the rubber industry.

- (2) Without prejudice to the generality of the foregoing provision, the measures referred to therein may provide for -
- a) undertaking, assisting or encouraging scientific, technological and economic research;
 - (b) training students in improved methods of planting, cultivation, manuring and spraying;
 - (c) the supply of technical advice to rubber growers;
 - (d) improving the marketing of rubber;
 - ²(da) improving the quality of rubber and implementing the standards for quality, marking, labelling and packing for the rubber produced or processed in, imported into or exported from India;
 - (e) the collection of statistics from owners of estates, dealers, manufacturers and processors.
 - (f) securing better working conditions and the provisions and improvement of amenities and incentives for workers.

1, *Amended by the Rubber (Amendment) Act, 1982 (Act 54 of 1982)*

2. Amended by the Rubber (Amendment) Act, 2009 (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010)

- (छ) इस अधिनियम के अधीन बनाये नियमों के अधीन बोर्ड में निर्भर अन्य किसी भी कार्य को निभाना।
- (3) यह भी बोर्ड का कर्तव्य होगा-
- (क) रबड़ के आयात एवं निर्यात को मिलाकर रबड़ उद्योग के विकास से संबंधित सारे कार्यों पर केन्द्र सरकार को सलाह देना;
- (ख) रबड़ से संबंधित किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या योजना में भाग लेने के संबंध में केन्द्र सरकार को सलाह देना;
- (ग) बोर्ड के कार्यकलापों का एवं इस अधिनियम के कार्यों पर केन्द्रीय सरकार और ऐसे अन्य प्राधिकारियों को¹वार्षिक रिपोर्ट पेश करना;
- (घ) समय समय केन्द्रीय सरकार के निदेशानुसार रबड़ उद्योग से संबंधित ऐसे अन्य रिपोर्ट तैयार करना और प्रस्तुत करना।

8क. आंतरिक विपणी में बिक्री या क्रय के लिए रबड़ के आयात करने में बोर्ड का अधिकार -

केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत मूल्य पर केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से बिक्री या क्रय के लिए रबड़ का आयात करना बोर्ड के लिए नियमानुकूल होगा।

8 ख. बोर्ड के साथ सलाह -

इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कार्यों से संबंधित कोई कार्रवाई लेने के पहले केन्द्रीय सरकार को बोर्ड के साथ साधारणतया सलाह करना है।

लेकिन केन्द्रीय सरकार द्वारा की गयी कार्रवाई इस कारण से कभी मूल्यहीन न हो जाएगा कि सलाह के बिना कार्रवाई ली थी।

9 रबड़ विकास निधि

1. (1) रबड़ विकास निधि नामक एक निधि होगी और उसमें निम्नलिखित जमा किए जाएंगे, -

(क) वे सभी धन, जो रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 के प्रारंभ से ठीक पूर्व बोर्ड की निधियां थीं;

(ख)²लोप किया गया

1 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

2 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2017 भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 5 मई 2017 में प्रकाशित।

- (g) carrying out any other duties which maybe vested in the Board under the rules made under this Act,
- (3) It shall also be the duty of the Board-
- (a) to advise the Central Government on all matters relating to the development of the rubber industry, including the import and export of rubber;
 - (b) to advise the Central Government with regard to participation in any International Conference or scheme relating to rubber;
 - (c) to submit to the Central Government and such other authorities as may be prescribed ¹annual reports on its activities and the working of this Act;
 - (d) to prepare and furnish such other reports relating to the rubber industry as may be required by the Central Government from time to time.

8 A. Power of the Board to import rubber for sale, or to purchase rubber, in the internal market-

It shall be lawful for the Board with the previous approval of the Central Government to import rubber for sale, or to purchase rubber, in the internal market at such prices as the Central Government may fix.

8 B. Consultation with the Board - Before taking any action touching the affairs of the Board under this Act, the Central Governmnt shall ordinarily consult the Board.

Provided that no action taken by the Central Government shall be invalid or called in question merely on the ground that the action was taken without such consultation.

9. Rubber Development Fund

- 1.** (1) There shall be a fund to be called the Rubber Development Fund and there shall be credited,—
- (a) all sums forming the funds of the Board immediately before the commencement of the Rubber (Amendment) Act, 2009;

(b)² Omitted

1 Amended by the Rubber (Amendment) Act, 2009 (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

2 Omitted vide the Taxation Laws (Amendment) Act 2017 published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 5th May 2017

(ग) ऐसी कोई धनराशि, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदानों या उधारों के रूप में बोर्ड को संदत्त की जाएं;

(घ) बोर्ड के आंतरिक और बाह्य बजट संसाधन;

(ङ.) धारा 26(क) के अधीन प्राप्त और संगृहीत सभी धन; और

(च) ऐसी कोई अन्य राशि, जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की जाएं।

(2) रबड़ विकास निधि का उपयोजन

(क) बोर्ड के व्यय को;

(ख) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों पर होने वाले खर्च को;

(ग) इस अधिनियम या उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन उसके कृत्यों के अनुपालन में उपगत व्यय को;

(घ) लघु उत्पादकों के पुनर्वास के लिए व्यय को; और

(ङ.) रबड़ संपदाओं को ऐसे अनुदान देने के लिए या रबड़ संपदाओं को ऐसी अन्य सहायता देने पर होने वाले खर्च को, जिसे बोर्ड ऐसी संपदाओं के विकास के लिए आवश्यक समझें, पूरा करने के लिए किया जाएगा।

10. लोप किया गया

11. रबड़ के आयात एवं निर्यात के निरोध या नियंत्रण का अधिकार-

- (1) राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा रबड़ के आयात या निर्यात सामान्य रूप में या मामलों के विनिर्दिष्ट वर्गों में निरोध या नियंत्रण के लिए भारत सरकार द्वारा प्रोविशन बनाया जाय¹
- (2) उप धारा (1) के अनुसार के कोई भी आदेश सामुद्रिक चुंगी अधिनियम 1878 (1878 का आठ) की धारा 19 के अनुसार मालों के आयात या निर्यात के निरोध करने के लिए निकालनेवाले आदेश के समतुल्य माना जाएगा। उक्त अधिनियम की धारा 183 को छोड़कर सारी धाराओं का प्रभाव रहेगा। धारा 183 में अंग्रेज़ी के **shall** के बदले **may** लगाने पर जो भेद होगा उसी फरक के साथ लागू रहेगा।

- 1 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।
- 2 एस ओ 1205 (ई) - रबड़ अधिनियम 1947 (1947 का XXIV) की धारा 11 की उपधारा 1 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्वारा निदेश दिया जाता है कि गुणता स्तर सुनिश्चित करने के लिए भारत में आयातित स्वाभाविक रबड़ भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 (1986 का 63) में निर्धारित अनुसार होंगे (भारत सरकार के राजपत्र के भाग दो खंड 3 उप खंड (ii) में अधिसूचना सं.896 दिनांक 12-12-2001 द्वारा प्रकाशित)

- (c) any sum of money that may be paid to the Board by way of grants or loans by the Central Government;
 - (d) internal and extra budgetary resources of the Board;
 - (e) all moneys received and collected under section 26A; and
 - (f) any other sum that may be levied and collected under this Act and the rules made thereunder.
- (2) The Rubber Development Fund shall be applied
- (a) to meet the expenses of the Board;
 - (b) to meet the cost of the measures referred to in section 8;
 - (c) to meet the expenditure incurred in the performance of its functions under this Act or the rules made thereunder;
 - (d) to meet the expenditure for rehabilitation of small growers; and
 - (e) for making such grants to rubber estates or for meeting the cost of such other assistance to rubber estates as the Board may think necessary for the development of such estates.

¹10. Omitted

11. Power to prohibit or control imports and exports rubber-

- (1) The Central Government may, by order published in the Official Gazette, make provision for prohibiting, restricting or otherwise controlling the import or export of rubber, either generally or in specified classes of cases.²
- (2) All goods to which any order under sub-section (1) applies shall be deemed to be goods of which the import or export has been prohibited or restricted under Section 19 of the Sea Customs Act, 1878, (VIII of 1878) and all the provisions of that Act shall have effect accordingly, except that Section 183 thereof shall have effect as if for the word 'shall' therein the word 'may' were substituted.

1 Amended by The Rubber (Amendment) Act, 2009, (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

2 [SO.1205(E)- In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947), the Central Government hereby directs that for ensuring quality standards, the natural rubber imported into India shall be in conformity with such standards as are specified by the Bureau of Indian Standards established under Section 3 of the Bureau of Indian Standards Act, 1986 (63 of 1986) (Published in the Gazette of India Notification No.896 dated 12.12.2001 in Part II, Section 3, sub-section (ii)).

- (3) अगर कोई व्यक्ति द्वारा उपधारा (1) के अधीन बनानेवाले आदेशों का उल्लंघन किये जाने पर, उस व्यक्ति को सामुद्रिक चुंगी अधिनियम 1878 की उपधारा (2) के अनुसार माना जाएगा या एक साल का कैद या जुर्माना या दोनों दंडनीय होगा।

12¹. लोप किया गया।

1 कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम 2017 भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 5 मई 2017 में प्रकाशित।

(3) If any person contravenes any order made under sub-section (1), he shall, without prejudice to any confiscation or penalty to which he may be liable under the provisions of the Sea Customs Act, 1878, (VIII of 1978) as applied by sub-section (2), be punishable with imprisonment for a term, which may extend to one year or with fine or with both.

12¹. Omitted

1 Omitted vide the Taxation Laws (Amendment) Act 2017 published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 5th May 2017

13. रबड़ की बिक्री के लिए उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्य नियत करने का अधिकार-¹

- (1) राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा केन्द्रीय सरकार यदि वह आवश्यक समझे², आदेश में विनिर्दिष्ट किसी भी वर्ग के रबड़ के व्यापार में उच्चतम मूल्य या न्यूनतम मूल्य या उच्चतम एवं न्यूनतम मूल्य नियत किया जा सकेगा।
- (2) रबड़ के विभिन्न वर्गों के व्यापार में चार्ज करने के विभिन्न उच्चतम या न्यूनतम मूल्य ऐसा किसी भी आदेश द्वारा नियत कर सकता है।

1 एस ओ 876 (ई) - रबड़ अधिनियम 1947 (1947 का XXIV) की धारा 12 की उपधारा 1 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के तत्कालीन वाणिज्य, नगर आपूर्ति एवं सकारता मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) की अधिसूचना सं. एस ओ 211 (ई) दिनांक 17 अप्रैल 1979 का अधिक्रमण करते हुए केन्द्रीय सरकार तुरन्त प्रभावी रूप से यह निर्धारित किया जाता है कि स्वाभाविक रबड़ के निम्नलिखित श्रेणियों के व्यापार के दौरान कर एवं उपकर को छोड़कर प्रभारित करने के न्यूनतम मूल्य इसप्रकार होंगे।

श्रेणी	प्रति 100 कि ग्रा न्यूनतम भाव
(1)	(2)
1. आर एस एस 4	प्रति क्विन्टल 3209 रु. (तीन हज़ार दो सौ नौ रुपये मात्र)
2. आर एस एस 5	प्रति क्विन्टल 3079 रु. (तीन हज़ार उनासी रुपये मात्र)
	(2) यह आदेश अगले आदेश तक प्रभावित रहेगा

2 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

13. ¹Power to fix maximum and minimum prices for sale of rubber-

- (1) The Central Government may, ² if it deems necessary by order published in the Official Gazette, fix the maximum price or the minimum price or the maximum and minimum prices to be charged, in the course of a business of any class specified in the order, for rubber of any description so specified.
- (2) Any such order may fix different maximum or minimum prices to be charged in the course of businesses of different classes for the same description of rubber.

1 [S.O. 876(E) - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Rubber Act, 1947 (24 of 1947) and in supersession of the notification of the Governemnt of India in the then Ministry of Commerce, Civil Supplies and Co-operation (Department of Commerce) number S.O. 211(E), dated the 17th April, 1979 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby fixes, with immediate effect, the minimum price exclusive of taxes and cess, to be charged in the course of business of the following classes of natural rubber in the domestic market, namely:-

Class	Minimum price per 100 kilograms
(1)	(2)
1. RSS - 4	<i>Rs 3209 (Rupees three thousand two hundred and nine) per quintal only</i>
2. RSS - 5	<i>Rs 3079 (Rupees three thousand and seventy nine)per quintal only</i>
	<i>(2) This order shall remain in force until further orders</i>

2 Amended by the Rubber (Amendment) Act, 2009 (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010)

- (3) अगर कोई व्यक्ति उपधारा (1) के अधीन नियत उच्चतम मूल्य से अधिक या न्यूनतम मूल्य से कम मूल्य पर रबड़ खरीदा या बेचा है या खरीदने या बेचने को मानता है तो वह एक साल तक का कैद या जुर्माना या दोनों के लिए दंडनीय होगा ।

14. रबड़ के व्यापार में अनुज्ञापत्र -

बोर्ड द्वारा दिये एक सामान्य या विशेष अनुज्ञापत्र की शर्तों के बिना कोई भी व्यक्ति रबड़ बेच या अन्य प्रकार से निपटान और कोई भी व्यक्ति खरीद या अन्य प्रकार से अर्जन नहीं कर सकता है ।

15. धारा 14 के अधीन अनुज्ञापत्र के संबंध में उपबंध -

- (1) भारत के राजपत्र और बोर्ड द्वारा निदेशित समाचार पत्रों में धारा 14 के अधीन दिये हर सामान्य अनुज्ञापत्र का बोर्ड द्वारा प्रकाशन किया जाएगा ।
- (2) धारा 14 के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र उसमें सूचित काल के लिए ही वैध रहेगा । लेकिन बोर्ड द्वारा ऐसे किसी भी अनुज्ञापत्र की मूल्यता का काल विस्तार किया जा सकेगा ।
- (3) धारा 14 के अधीन दिये एक विशेष अनुज्ञापत्र को भी बोर्ड द्वारा किसी भी समय पर उसमें कारण का अभिलेखन करते हुए प्रतिसंहत किया जा सकेगा और ऐसे प्रतिसंहरण पर बोर्ड को यह लौटा जाना चाहिए।
- (4) इस अधिनियम के शुरू होने के पहले एक व्यापारी या विनिर्माता के तौर पर व्यापार चलाते हुए व्यक्ति द्वारा दिये विशेष अनुज्ञापत्र का आवेदन अभिलेखित विशेष कारणों के बिना बोर्ड द्वारा नहीं इनकार किया जाएगा ।

16. रबड़ के कब्जे पर नियंत्रण -

- (1) किसी एस्टेट का मालिक या कब्जेदार या धारा 14 के अधीन रबड़ बोर्ड से प्राप्त साधारण या विशेष अनुज्ञापत्र के अधीन रबड़ का अर्जन किये व्यक्ति को छोड़कर कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में रबड़ न रख सकता है।
- (2) धारा 26 की शर्तों में क्षति किये बिना उप धारा (1) के तर्क में अदालत को उचित लगने पर निर्देश दे सकता कि ऐसा रबड़ सरकार द्वारा जप्त किया जाए।

- (3) If any person buys or sells, or agrees to buy or sell, rubber at a price which is more than the maximum price, or less than the minimum price, fixed under sub-section (1) in that behalf, he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine, or with both.

14. Licensing of transactions in rubber:- No person shall sell or otherwise dispose of, and no person shall buy or otherwise acquire, rubber except under and in accordance with the terms of a general or special licence issued by the Board.

15. Provisions regarding licences under section 14 -

- (1) Every general licence issued under Section 14 shall be published by the Board in the Gazette of India and in such newspapers as the Board may direct.
- (2) A special licence issued under Section 14 shall be valid only for such period as may be specified therein:

Provided that the Board may from time to time extend the period of validity of any such licence.

- (3) The Board may at any time for reasons to be recorded by it in writing revoke a special licence granted under Section 14 and on such revocation it shall be returned to the Board by the person to whom it was issued.
- (4) No application for special licence made by a person who was carrying on business as a dealer or manufacturer immediately before the commencement of this Act shall be rejected by the Board except for special reasons to be recorded in writing.

16. Restriction on possession of rubber - (1) No person not being the owner or occupant of an estate or a person who has acquired rubber under a general or special licence issued by the Board under Section 14 shall have any rubber in his possession.

- (2) Any court trying a contravention of sub-section (1) may, without prejudice to the provisions of Section 26, direct that any rubber in respect of which the Court is satisfied that such contravention has been committed shall be forfeited to the Government.

17. रबड़ की गुणवत्ता, विपणन आदि के लिए मानकों का कार्यान्वयन

¹(1) बोर्ड, भारत में उत्पादित या प्रसंस्कृत, आयातित या भारत से निर्यातित रबड़ के लिए रबड़ के विभिन्न विपणन योग्य रूपों की क्वालिटी, चिह्नांकन, लेबल लगाने और पैकिंग के लिए मानकों को लागू करेगा।

(2) अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत बोर्ड का कोई अधिकारी उपधारा (1) के अधीन मानकों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए किसी युक्तियुक्त समय पर किसी ब्यौहारी, प्रसंस्करणकर्ता या विनिर्माता या निर्यातक के किसी कारखाने या अन्य परिसरों में किसी ब्यौहारी या प्रसंस्करणकर्ता द्वारा विक्रय या क्रय की गयी रबड़ का निरीक्षण कर सकेगा।

118. लोप किया गया

19. विशेष अनुज्ञापत्र के लिए शुल्क -

धारा 14 या 15¹ के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र देने या नवीकरण करने के लिए निर्धारित शुल्क बोर्ड द्वारा वसूल किया जा सकता है।

20. विवरणियों का प्रस्तुतीकरण और लेखाओं का रखना -

धारा 14 के अधीन हर मालिक, विनिर्माता और विशेष अनुज्ञापत्र धारी जो मालिक या विनिर्माता नहीं है को

(क) निर्धारित समय पर प्रपत्र में विवरण देते हुए विवरणी बोर्ड को प्रस्तुत करना।

(ख) निर्धारित प्रपत्र में अपने एस्टेट या व्यापार से संबंधित अभिलेखों और सच एवं सही लेखाओं का रखना।

(ग) केन्द्रीय सरकार या बोर्ड द्वारा इसके लिए प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत (लिखित) बोर्ड के किसी भी अधिकारी को खंड (ख) में सूचित लेखाओं और अभिलेखाओं का निरीक्षण करने की अनुमति देना।

¹ रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

17. Implementation of standards for quality marketing etc. for Rubber

- ¹(1) The Board shall implement the standards for quality, marking, labeling and packing for various marketable forms of rubber, for the rubber produced or processed in, imported into or exported from, India.
- (2) Any officer of the Board authorised by the Chairman may at any reasonable time inspect the rubber sold or purchased by any dealer or processor at any factory or other premises of a dealer, processor or manufacturer or exporter for the purpose of ensuring the compliance of the standards under sub-section (1).

¹18. omitted

19. Fees for special licences-

The Board may levy such fees as may be prescribed for the issue and renewal of special licences under Section 14, or Section 15¹.

20. Submission of returns and maintenance of accounts -

Subject to such exceptions as may be prescribed, every owner, every manufacturer, and every holder of a special licence issued under Section 14 not being an owner or a manufacturer, shall-

- (a) submit to the Board, such returns at such times, in such forms and containing such particulars, as may be prescribed;
- (b) maintain true and correct accounts and other records pertaining to his estate or business, as the case may be, in such form as may be prescribed;
- (c) permit any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Board or any member of the Board authorised by the Chairman in writing or any officer of the Board to inspect the accounts and records referred to in clause(b).

¹ Amended by The Rubber (Amendment) Act, 2009, (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

21. भूमि एवं परिसरों का निरीक्षण -

केन्द्र सरकार या बोर्ड द्वारा इसके लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत (लिखित) कोई सदस्य या अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत ¹बोर्ड का कोई भी अधिकारी किसी भी समय एक व्यापारी का व्यापार केन्द्र या फैक्टरी या किसी ¹विनिर्माता या प्रसंस्करणकर्ता का अन्य परिसर, इस अधिनियम के अधीन पेश की विवरणी का सत्यांकन करने के उद्देश्य के लिए निरीक्षण कर सकता है ।

22. केन्द्र सरकार द्वारा नियंत्रण -

- (1) बोर्ड के सारे कार्य केन्द्र सरकार के नियंत्रणाधीन रहेंगे, बोर्ड द्वारा ली कोई भी कार्रवाई उचित सूझने पर रद्द, निलंबन या संशोधन किया जा सकता ।
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा उसके लिए प्राधिकृत कोई भी अधिकारी बोर्ड के अभिलेखों का निरीक्षण कर सकता है ।

22क. बोर्ड को अनुदेश जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अधिकार

¹(1) इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, नीतिगत प्रश्नों के संबंध में ऐसे निदेशों द्वारा आबद्ध होगा जो केन्द्रीय सरकार उसे समय-समय पर लिखित रूप में दे:

परंतु बोर्ड को यथासाध्य, इस उपधारा के अधीन कोई निदेश किए जाने के पूर्व, अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया जाएगा ।

- (2) इस बारे में केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा कि क्या कोई प्रश्न नीति संबंधी है या नहीं ।

23. अपील -

धारा 14, धारा 15 या धारा 17 के अधीन एक विशेष अनुज्ञापत्र को देने या नवीकरण कर देने से इनकार करने या प्रतिसंहरण करते हुए कोई व्यक्ति पीडित हो जाने पर वह निर्धारित शुल्क की अदायगी करके, आदेश की तारीख से साठ दिनों के अंदर केन्द्र सरकार को अपील कर सकता है । बोर्ड के ऐसे आदेश के संबंध में केन्द्र सरकार का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी अदालत में सवाल नहीं किया जा सकता ।

¹ रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित ।

21. Inspection of land and premises-

Any person authorised in this behalf by the Central Government or by the Board or any member authorised by the Chairman in writing or any officer of the Board ¹authorised by the chairman may, at any reasonable time, inspect any place of business of a dealer or any factory or other premises of a manufacturer¹ or processor, for the purpose of verifying any statement or return submitted under this Act or for any other purposes of this Act.

22. Control by the Central Government-

- ¹(1) All acts of the Board shall be subject to the control of the Central Government which may cancel, suspend or modify, as it thinks fit, any action taken by the Board.
- (2) The records of the Board shall be open to inspection at all reasonable times by any officer authorised in this behalf by the Central Government.

22A¹. Power of central government to issue directions to Board.

(1) Without prejudice to the foregoing provisions of this Act, the Board shall, in the discharge of its functions and duties under this Act, be bound by such directions on questions of policy as the Central Government may give in writing to it from time to time:

Provided that the Board shall, as far as practicable, be given opportunity to express its views before any direction is given under this sub-section.

2) The decision of the Central Government whether a question is one of the policy or not shall be final.

23. Appeal-

Any person aggrieved by an order of the Board refusing to issue or renew, or revoking a special licence under the provisions of Section 14, Section 15 or Section 17 may, within sixty days of the making of the order and on payment of the prescribed fee, appeal to the Central Government, and the decision of the Central Government thereon, and subject only to such decision the order of the Board, shall be final and shall not be called in question in any Court.

¹ Amended by The Rubber (Amendment) Act, 2009, (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

24. बोर्ड के लेखे -

- (1) बोर्ड द्वारा प्राप्त और खर्च की गयी सारी रकम के लिए ऐसे लेखे ऐसे तौर पर ऐसे प्रपत्रों में तैयार किया जाय, जो निर्धारित है ।
- (2) केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाओं का वार्षिक लेखापरीक्षा की जानी चाहिए और लेखापरीक्षकों को अपने मतानुसार किसी खर्च का मद इस अधिनियम के अधीन उचित नहीं है तो उसकी अनुमति न देने का अधिकार होगा ।
- (3) उपधारा (2) के अधीन लेखापरीक्षाओं द्वारा न अनुमति दिये खर्च का मद बोर्ड के आवेदन पर केन्द्र सरकार अनुमति दे सकती है।

24क. शक्तियों का प्रत्यायोजन

¹केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य किसी शक्ति का प्रयोग और पालन किए जाने वाले कृत्यों का पालन, ऐसे मामलों में और ऐसे शब्दों के, यदि कोई हों, अधीन रहते हुए जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए।

25. नियमों के बनाने में केन्द्र सरकार का अधिकार-

- (1) केन्द्र सरकार इस अधिनियम के उद्देश्य निभाने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियम बना सकती है।
- (2) उक्त सूचित सामान्य अधिकारों की हानि के बिना निम्न लिखित सारे या किसी एक कार्य के लिए इस धारा में नियम बनाया जा सकता, जैसे:-
 - (i) धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (घ) के अधीन केन्द्र सरकार इस बोर्ड के सदस्यों के नामांकन और खंड (ख) और (ग) में सूचित सदस्यों के चुनाव या नामांकन के लिए सिद्धांत बनाना ।

लेकिन इसकी शक्तियों का प्रयोग करते हुए नामांकन करने के पहले खंड (घ) में सूचित हितों के लिए मान्यता प्राप्त संघों से केन्द्र सरकार द्वारा नामों का पानल बुलाता है ।

1 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

24. Accounts of the Board-

- (1) The Board shall keep such accounts, in such manner and in such form as may be prescribed, of all moneys received and expended by it.
- (2) The Board shall cause the accounts to be audited annually by auditors appointed by the Central Government, and the auditors shall have the power to disallow any item of expenditure which in their opinion has not been properly incurred under this Act.
- (3) The Central Government may, on the application of the Board allow any item of expenditure disallowed by the auditors under sub-section (2).

24A. Power to delegate

¹The Central Government may, by notification in the Official Gazette, direct that any power exercisable and functions performed by it under this Act may be exercised and performed in such cases and subject to such conditions, if any, as may be specified in the notification by such officer or authority as may be specified therein.

25. Power of Central Government to make rules-

- (1) The Central Government may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the purposes of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing power, rules made under this section may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (i) principles regulating the nomination of members of the Board by the Central Government under clause (d) of sub-section (3) of Section 4, and the election or nomination of the members referred to in clauses (b) and (c) thereof;

Provided that, before making any nomination in the exercise of its powers, the Central Government shall call for panels of names from the respective associations recognised by it of the interests referred to in clause(d);

¹ Amended by The Rubber (Amendment) Act, 2009, (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

- (ii) बोर्ड के सदस्यों की अवधि, सदस्यों का हटाना और बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियों का भरना।
- (iii) कार्यों के संचालन के लिए बोर्ड के सम्मेलन और इसकी समितियों के लिए कार्यवाही और किसी भी सम्मेलन में सदस्यों की संख्या का क्वारम;
- (iv) बोर्ड द्वारा कार्यों की अभिलेखाओं को रखना और केन्द्र सरकार को उसकी प्रतियों का प्रस्तुतीकरण;
- (v) हर साल बोर्ड के सम्मेलनों की न्यूनतम संख्या;
- (vi) खर्च करने के संबंध में बोर्ड, अध्यक्ष और समितियों की शक्ति बोर्ड में ¹कार्यपालक निदेशक, रबड़ उत्पादन आयुक्त और सचिव का अधिकार एवं कर्तव्य;
- (vii) भारत के बाहर खर्च करने के संबंध में व्यवस्थायें;
- (viii) बोर्ड के आय व्यय के बजट प्राक्कलन तैयार करना और प्राक्कलनों के मंजूर करने का प्राधिकार;
- (ix) बोर्ड के आय व्यय लेखाओं का पालन और ऐसी लेखाओं की लेखापरीक्षा;
- (x) बैंकों में बोर्ड की निधियों का जमा और ऐसी निधियों का निवेश;
- (xi) किसी बजट शीर्ष से दूसरे बजट शीर्ष पर अनुमति बचतों का पुनःविनियोजन;
- (xii) बोर्ड द्वारा निधियों का ऋण लेने के संबंध में शर्तें;
- (xiii) बोर्ड द्वारा या बोर्ड के लिए ठेके की व्यवस्थायें और स्वभाव;
- (xiv) समितियों की या अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या सदस्यों या बोर्ड के अधिकारियों की शक्तियों का विनियोजन और इस अधिनियम के अधीन बोर्ड के कर्तव्य;

- (ii) the terms of office of members of the Board, the circumstances in which and the authority by which members may be removed and the filling up of casual vacancies in the Board.
- (iii) the procedure to be followed at meeting of the Board and at committees thereof for the conduct of business, and the number of members which shall form a quorum at any meeting;
- (iv) the maintenance by the Board of records of business transacted by the Board, and the submission of copies thereof to the Central Government;
- (v) the holding of a minimum number of meetings of the Board every year;
- (vi) the powers of the Board, its Chairman and Committees thereof with respect to the incurring of expenditure and the powers and duties of ¹The Executive Director, the Rubber Production Commissioner and the Secretary of the Board.
- (vii) the conditions subject to which the Board may incur expenditure outside India;
- (viii) the preparation of budget estimates of receipts and expenditure of the Board and the authority by which the estimates are to be sanctioned;
- (ix) the maintenance of the accounts of income and expenditure of the Board and the audit of such accounts;
- (x) the deposit of the funds of the Board in banks and the investment of such funds;
- (xi) the re-appropriation of the estimated savings from any budget head to any other budget head;
- (xii) the conditions subject to which the Board may borrow funds;
- (xiii) the conditions subject to which and the manner in which contracts may be entered into by or on behalf of the Board;
- (xiv) the delegation to Committees or the Chairman or Vice-Chairman or members or officers of the Board of any of the powers and duties of the Board under this Act;

1 Amended by the Rubber (Amendment) Act, 1982.

- (xv) बोर्ड द्वारा रोज़गार करनेवाले कर्मचारी और बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का वेतन एवं भत्ते तथा छुट्टी और अन्य सेवा व्यवस्थायें;
- (xvi) बोर्ड एवं समितियों के सदस्यों की यात्रा एवं अन्य भत्ते;
- (xvii) बोर्ड की निधियों के खर्च करने के उद्देश्य;
- (xviii) बोर्ड एवं इसकी विविध समितियों के रजिस्टर तथा अन्य अभिलेखाओं का पालन;
- (xix) रबड़ या रबड़ के किसी उपज के संबंध में किसी सूचना या सांख्यिकी का संग्रह;
- (xx) लोप किया गया;
- (xx-क) मालिक और विनिर्माताओं द्वारा धारा 12 के अधीन उत्पाद शुल्क देने के मामले एवं परिस्थितियाँ, कर के निर्धारण और संग्रह करने का स्वभाव रबड़ के उत्पादन, विनिर्माण, परिवहन या बिक्री के विनियम जहाँ कर का संग्रह या अदायगी के लिए ऐसे विनियम आवश्यक हैं ।
- (xx-ख)¹ धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन शुल्क के विलंबित संदाय की दशा में वसूल किया जाने वाला संग्रहण खर्च और ब्याज की दर;
- (xxi) धारा 14 के अधीन विशेष अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन का प्रपत्र, ऐसे अनुज्ञापत्रों के मंजूर या नवीकरण के लिए शुल्क और ऐसे अनुज्ञापत्रों के प्रपत्र ;
- (xxii) रबड़ के वर्गीकरण एवं विपणीकरण का स्वभाव;
- (xxiii) धारा 23 के अधीन अपीलों पर देय शुल्क;
- (xxiv) निर्धारण करने या किये जाने के कोई अन्य कार्य ।
- (3) इस धारा के अधीन बनाये हर नियम तीस दिनों के लिए सम्मेलित संसद के दोनों सदनों में रखा जाता है । नियम में संशोधन बनाने में दोनों सदन मानने पर या दोनों सदन नियम न बनने मानने पर ऐसे संशोधित रूप की ही मूल्यता रहेगी या प्रभावी नहीं होगा । जो भी हो, उस नियम के अधीन पहले लिये कार्यों की मूल्यता में हानि के बिना ऐसा संशोधन किया जाना चाहिए ।

1 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) द्वारा संशोधित भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित ।

- (xv) the staff which may be employed by the Board and the pay and allowances and leave and other conditions of service of officers and other employees of the Board;
 - (xvi) the travelling and other allowances of members of the Board and of Committees thereof;
 - (xvii) the purposes for which the funds of the Board may be expended;
 - (xviii) the maintenance of the registers and other records of the Board and of its various Committees;
 - (xix) the collection of any information or statistics in respect of rubber or any product of rubber;
 - (xx) Omitted;
 - (xx-a) the cases and circumstances in which the duty of excise under Section 12 shall be payable by the owners and the manufacturers respectively, the manner in which the duty may be assessed, paid or collected, the regulation of the production, manufacture, transport or sale of rubber in so far as such regulation is necessary for the proper levy, payment or collection of the duty;
 - xx-b)¹ the cost of collection and the rate of interest to be recovered in case of delayed payment of duty under sub-section (3) of section 12;
 - (xxi) the form of application for special licences under Section 14 or Section 17, the fees for the grant or renewal of such licences, and the forms of such licences;
 - (xxii) the manner in which rubber shall be graded and marketed;
 - (xxiii) the fee payable on appeals under Section 23;
 - (xxiv) Any other matter which is to be or may be prescribed.
- (3) Every rule made under this section shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, both Houses agree in making any modification in the rule or both Houses agree that the rule should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

¹ Amended by The Rubber (Amendment) Act, 2009, (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

25क. विनियम बनाने का अधिकार

¹(1) बोर्ड, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, अधिसूचना द्वारा अपने कृत्यों का निर्वहन करने के लिए ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और उसके अधीन बनाए गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) उपधारा (1) के अधीन बनाया गया प्रत्येक विनियम संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा।

26. दंड -

(1) कोई व्यक्ति

(क) धारा 11 या 13 को छोड़कर इस अधिनियम की किसी व्यवस्था का उल्लंघन या अधिनियम के अधीन बनाये किसी नियम का उल्लंघन करने पर, या

(ख) इस अधिनियम के अधीन पेश किये किसी रिपोर्ट या विवरणी में गलत विवरणी देता है जिसे वह गलत समझता है या उसे सच नहीं विश्वास करता है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन या उस पर किये या लागू किये अपने कर्तव्य के पालन में बोर्ड का किसी अधिकारी प्रतिबंध बनता है।

(घ) किसी लेखा पुस्तिका या अन्य अभिलेखा का निमंत्रण या कब्जे पर है, पर उसके लिए प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा माँगने पर ऐसी पुस्तिका या अभिलेखा प्रस्तुत नहीं करता है, तो

एक साल तक की अवधि के लिए कैद में रखने या ¹पाँच हज़ार रुपये के जुर्माना देने या दोनों के लिए दंडनीय होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन कसूर करनेवाला व्यक्ति एक कंपनी है तो अपराध के समय हर व्यक्ति कंपनी के कारोबार एवं संचालन के लिए कंपनी के समान उत्तरदायी है। अतः उनके विरुद्ध दंड दिया जाएगा;

लेकिन ऐसा दंडित व्यक्ति यह साबित करें कि यह अपराध का निरोध करने के लिए यथोचित कोशिश की तो वह दंड से अपवाद होगा।

(3) एक कंपनी द्वारा उपधारा (1) के अधीन अपराध किया गया और यह स्थापित हुआ कि किसी निदेशक या प्रबंधक, सचिव या कंपनी के अन्य अधिकारी की सम्मति या सुविधा से या उनके किसी अलसता के कारण अपराध हुआ तो ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या अन्य अधिकारी अपराध के लिए दोषी माना जाएगा और उनके विरुद्ध कार्रवाई ली जाएगी तथा तदनुसार दंड दिया जाएगा।

विवरण- इस धारा के उद्देश्यों के लिए

(क) “कंपनी” अर्थात् कोई बोडी कोर्पोरेट और एक फर्म या व्यक्तियों का अन्य संघ मिलता है; तथा

(ख) “निदेशक” एक फर्म के संबंध में फर्म का भागीदार

1 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

25A. Power to make regulations

¹(1) The Board may, with the previous approval of the Central Government, by notification make regulations, not in inconsistent with the provisions of this Act and the rules made thereunder, to carry out its functions.

(2) Every regulation made under sub-section (1) shall be laid before each House of Parliament

26. Penalties-

(1) If any person -

(a) contravenes any provision of this Act, other than Section 11 or Section 13, or any rule made under this Act, or

(b) in any report or return to be furnished under this Act, makes any statement which is false and which he knows to be false or does not believe to be true, or

(c) obstructs any officer of the Board in the discharge of any duty imposed on or entrusted to him by or under this Act, or

(d) having the control or custody of any account book or other record, fails to produce such book or record when required by any authorised officer to do so,

He shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year, or with fine which may extend to ¹five thousand rupees, or with both.

(2) If the person committing any offence under sub-section (1) is a company, every person who at the time the offence was committed was in charge of and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly;

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-section (2) where an offence under sub-section (1) has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of any director or manager, secretary or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation - For the purposes of this section.

(a) "company" means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director" in relation to a firm means a partner in the firm.

1, Amended by The Rubber (Amendment) Act, 2009, (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

26क. अपराध का शमन

¹दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का, अभियोजन संस्थित किये जाने से पूर्व या अभियोजन संस्थित किये जाने के पश्चात् न्यायालय की अनुमति से बोर्ड को ऐसी धनराशि जो उस मालिक के मूल्य से अधिक न हो जिसकी बाबत उल्लंघन किया गया है, के संदाय पर बोर्ड द्वारा शमन किया जा सकेगा।

27. प्रोसिक्यूशन के लिए कार्यवाही -

इस अधिनियम के अधीन किसी भी अपराध के लिए बिना केन्द्र सरकार या बोर्ड द्वारा या की सम्मति से प्रोसिक्यूशन नहीं किया जाएगा।

27 क. अदालतों की सीमा -

एक प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के स्तर से निम्न कोई अदालत इस अधिनियम के अधीन दंड नहीं दे सकता।

28. कानूनी कार्यवाहियों का रोक -

इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से या उस उद्देश्य से किये किसी कार्य के लिए बोर्ड या बोर्ड के किसी अधिकारी के विरुद्ध स्यूट, प्रोसिक्यूशन या अन्य कानूनी कार्यवाही नहीं ली जा सकती।

29. केन्द्रीय सरकार के अस्थायी अधिकार -

[रबड़ (उत्पादन एवं विपणन) संशोधन अधिनियम 1954 (1954 एस 21 का अधिनियम 54) द्वारा निरस्त (1.8.1955)]

1 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

26A. Compounding of Offences

¹Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973, any offence punishable under this Act may, either before the institution of prosecution or with the permission of the Court after the institution of the prosecution, be compounded by the Board on payment to the Board such sum of money as does not exceed the value of the goods in respect of which contravention has been committed.

27. Procedure for prosecutions-

No prosecution for any offence punishable under this Act shall be instituted except by or with the consent of the Central Government or the Board.

27 A. Jurisdiction of courts-

No court inferior to that of a Presidency Magistrate or of Magistrate of the first class shall try any offence punishable under this Act.

28. Bar of legal proceedings-

No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the Board or any officer of the Board for anything in good faith done or intended to be done under this Act.

29. Temporary powers of the Central Government-

[Repealed by the Rubber (Production and Marketing) Amendment Act, 1954 (Act 54 of 1954 S21 (01-08-1955))]

1, Amended by The Rubber (Amendment) Act, 2009, (No. 4 of 2010) published in Gazette (Extraordinary) Part II, Section 1, on 22nd January 2010

रबड़ नियमावली - 1955

(वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय)

(अधिसूचना)

(रबड़ नियंत्रण)

नई दिल्ली, 1 अगस्त 1955

¹एस आर ओ 1662 रबड़ अधिनियम 1947 (1947 का 24) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रबड़ नियमावली 1947 (उत्पाद एवं विपणन) के प्रतिस्थापन के लिए केन्द्र सरकार निम्न लिखित नियमावली बनाती है।

THE RUBBER RULES, 1955

(MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY)

(NOTIFICATION)

(RUBBER CONTROL)

New Delhi, 1st August 1955

¹ **S.R.O1662** - In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947), and in supersession of the Rubber (Production and Marketing) Rules, 1947, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1 Published in the Gazette of India, Extraordinary - Part II, Section 3, Page 1613 dt 01st August 1955

अध्याय - 1

प्रारंभिक

1. लघुशीर्षक

यह नियमावली रबड़ नियमावली 1955 कहलाएगा ।

2. व्याख्यायें

इस नियमावली में

(i) “अधिनियम” अर्थात् रबड़ अधिनियम 1947 (वर्ष 1947 का XXIV)

(ii) “बोर्ड” अर्थात् धारा 4 की उप-धारा (1) के अधीन गठित रबड़ बोर्ड ।

(iii) “अध्यक्ष” अर्थात् धारा 4 की उप-धारा (3) के खण्ड (क) के अधीन नियुक्त बोर्ड के अध्यक्ष ।

(iii)क) ¹“कार्यपालक निदेशक” से अधिनियम की धारा 6क की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त बोर्ड का कार्यपालक निदेशक अभिप्रेत है ।

(iv) “आयुक्त” अर्थात् धारा 6 क की उप-धारा (1) के अधीन नियुक्त रबड़ उत्पादन आयुक्त

(v) “समिति” अर्थात् धारा 7 की उप-धारा (1) के अधीन बोर्ड द्वारा नियुक्त किसी भी समिति

(vi) “प्रपत्र” अर्थात् इस नियमावली की प्रथम अनुसूची में दिये गये प्रपत्र

(vii) “बड़े कृषक” - अर्थात् मालिक जो छोटे कृषक न हो ।

²(vii-क) “मास्टर बैचस” अर्थात् रबड़ का मूल स्टॉक और किसी एक या उससे अधिक यौगिक संघटक मिलाय हुए मिश्रण जिसका उपयोग रबड़ वस्तुओं के निर्माण में होता ।

(viii) “सदस्य” अर्थात् बोर्ड के एक सदस्य

³(viii-क) “रबड़ के संसाधन” से अभिप्रेत है,—

क) किसी रबड़ पौधे से एकत्रित लैटेक्स को ठोस ब्लॉक या लैटेक्स सांद्र या पेल लैटेक्स क्रेप में तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट रबड़ में अथवा तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट रबड़ के किसी अन्य रूप में परिवर्तित करना; और

ख) स्क्रैप रबड़, शीट रबड़ या क्रेप रबड़ के विभिन्न रूपों को तकनीकी रूप से विनिर्दिष्ट रबड़ के ठोस ब्लॉक रूप या उसके किसी अन्य रूप में परिवर्तित करना;

1 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि.668(अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित।

2 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय के तारीख 20 सितंबर 1975 में सरकारी सेवा नियम 2402 द्वारा संशोधित

3 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)

CHAPTER I PRELIMINARY

1. Short title:

- (1) These rules may be called the Rubber Rules, 1955

2. Definitions.

In these rules, unless the context otherwise requires,-

- (i) "The Act" means the Rubber Act, 1947 (XXIV of 1947).
- (ii) "Board" means the Rubber Board constituted under sub-section (1) of Section 4.
- (iii) "Chairman" means the Chairman of the Board appointed under clause (a) of sub-section (3) of Section 4.
- (iiia) ¹ "Executive Director" means the Executive Director of the Board appointed under sub-section (1) of Section 6A of the Act.
- (iv) "Commissioner" means the Rubber Production Commissioner appointed under sub-section (1) of Section 6A.
- (v) "Committee" means any committee appointed by the Board under sub-section (1) of Section 7.
- (vi) "Form" means a form set forth in the First Schedule to these rules.
- (vii) "Large grower" means an owner who is not a "small grower",
- ²(vii-a) "Masterbatches" means a mother stock of a mix of rubber and any one or more compounding ingredients used for the manufacture of rubber goods,
- (viii) "Member" means a member of the Board,
- ³(viii-a) "Processing of rubber" means
 - (a) conversion of field latex of any rubber plant into technically specified rubbers in solid block or latex concentrates or pale latex crepe or any other forms of technically specified rubber; and
 - (b) conversion of various forms of sheet rubber or scarp rubber into technically specified rubbers in solid block or any other forms of technically specified rubber.

1 Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India ,Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016

2. Amended by Notification GSR 2402 dated 20th September, 1975 of the Government of India, Ministry of Commerce.

3. Amended by Notification no. GSR 704 (E) dated 25th August 2010, published in the Gazzattee of India (Extra ordinary) Part II sub section (i) dated 25th August 2010.

¹(viii-ख) “संसाधक” अर्थात् - रबड़ का प्रसंस्करण करनेवाला कोई भी व्यक्ति

(ix) “सचिव” अर्थात् धारा 6 क की उपधारा 2 के अधीन नियुक्त किये बोर्ड का सचिव

(x) “धारा” अर्थात् अधिनियम की एक धारा

(xi) “छोटे कृषक” अर्थात् मालिक जिनका बागान दस हेक्टेयर¹ विस्तार से अधिक न हो।

²(xi-क) “तकनीकी निर्धारित रबड़” अर्थात् भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय समय पर निर्धारित तकनीकी मानक के अनुसार वर्गीकृत रबड़

(xii) “उपाध्यक्ष” अर्थात् धारा 4 की उपधारा (6) के अधीन चुने हुए बोर्ड के उपाध्यक्ष

(xiii) “वर्ष” अर्थात् अप्रैल महीने की पहली तारीख को प्रारंभ होनेवाला वर्ष

अध्याय II

बोर्ड और उसकी रचना

3. बोर्ड का गठन एवं रिक्तियाँ भरने की रीति

- (1) बोर्ड, अध्यक्ष एवं धारा 4 की उपधारा 3 के खंड (ख) से खंड (च) में निर्धारित विभिन्न हितों व² प्राधिकारों के प्रतिनिधित्व करनेवाले सत्ताईस अन्य सदस्यों से मिल कर बनेगा।
- (2)³ तमिलनाडु राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले दो सदस्यों में एक तमिलनाडु सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट होगा और दूसरा बड़े कृषकों का प्रतिनिधित्व करेगा। बड़े कृषकों के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार द्वारा²नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।

1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय के तारीख 20 सितंबर 1975 में सरकारी सेवा नियम 2402 द्वारा संशोधित

2 रबड़ (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 की संख्या 4) भारत के राजपत्र असाधारण भाग II धारा 1 दिनांक 22 जनवरी 2010 में प्रकाशित।

3 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या सा से नि 226 दिनांक 7 अप्रैल, 1958 द्वारा संशोधित (भारत सरकार राजपत्र) के भाग 2, खंड 3(1), दिनांक 11 अप्रैल 1958 में प्रकाशित

- ¹(viii-b) "Processor" means a person who undertakes processing of rubber.
- (ix) "Secretary" means the Secretary to the Board appointed under sub-section 2 of Section 6-A.
- (x) "Section" means a section of the Act.
- (xi) "Small grower" means an owner whose estate does not exceed ²ten hectares in area.
- ²(xi-a) "Technically specified rubber" means rubber graded according to technical standards specified by the Bureau of Indian Standards from time to time.
- (xii) "Vice-Chairman" means the Vice-Chairman of the Board elected under sub-section (6) of Section 4, and
- (xiii) "Year" means the year commencing on the first day of April.

CHAPTER II

BOARD AND ITS CONSTITUTION

3. Constitution of the Board and manner of filling vacancies

- (1) The Board shall consist of the Chairman and² twenty seven other members representing the different interests and authorities specified in clauses (b) to (f) of sub-section 3 of Section 4.
- (2)³ Of the two members to represent the State of Tamil Nadu, one shall be nominated by the Government of Tamil Nadu, and the other shall represent the large growers. The person representing the large growers shall be ²nominated by the Central Government.

1. Amended by Notification GSR2402 dated 20th September, 1975 of the Government of India, Ministry of Commerce.

2. Amended by Notification no. GSR 704 (E) dated 25th August 2010, published in the Gazzattee of India (Extraordinary) Part II Sub section (i) dated 25th August 2010.

3. Amended by Notification no. GSR 226 dated 7th April 1958 of the GOI, MOCI published in the Gazzattee of India, Part II, Section 3(1) dated 11th April 1958.

- (3) केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले आठ सदस्यों में से दो सदस्य केरल सरकार द्वारा राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामनिर्दिष्ट किए जाएँगे। दो व्यक्ति केरल राज्य के बड़े उत्पादकों का, तीन व्यक्ति लघु उत्पादकों का और एक व्यक्ति रबड़ उत्पादक सोसाइटियों का प्रतिनिधित्व करेगा, जिनको केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा।
- (4)¹ केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट दस व्यक्तियों में से एक व्यक्ति त्रिपुरा राज्य से छोटे कृषकों का, पहले से निर्धारित तीन व्यक्तियों के अतिरिक्त एक व्यक्ति केरल राज्य के छोटे कृषकों का, एक व्यक्ति चक्रानुक्रम आधार पर कर्नाटक, उड़ीसा आदि जैसे गैर-परंपरागत राज्यों के छोटे कृषकों का और एक व्यक्ति अन्य पणधारियों का प्रतिनिधित्व करेगा।

4. पदावधि

- (1) ²यथा उपबंधित के सिवाय एक सदस्य की पदावधि उनके नामांकन या चयन अधिसूचित करनेवाले राजपत्र की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट जैसे तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी तथा यथास्थिति पुनः नामांकित या पुनः चयनित होने के पात्र होंगे।

²परंतु धारा 4 की उपधारा 3 के खंड (ङ) के अनुसार संसद के किसी भी सदन से चुने गए सदस्य की सदस्यता उस सदस्य के संसद के जिस सदन द्वारा उन्हें चुन लिया गया था उसके सदस्य न रह जाने पर बोर्ड की सदस्यता भी नष्ट हो जाएगी।

- (2) एक आकस्मिक रिक्ति भरने के लिए चुने गये या नामांकित सदस्य, या धारा 4 की उपधारा 3 में बताये गए जैसे कोई प्राधिकरण या अधिष्ठान नामांकन या चयन में असफल होने पर केन्द्र सरकार द्वारा नामांकित एक सदस्य की सदस्यता उस अवधि तक रहेगी जब तक कि वे जिस सदस्य की रिक्ति के कारण सदस्य बने जैसे कि यथास्थिति रिक्ति न हुई हो या नामांकन न किया हो।

1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)

2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर 598 दि. 13.5.1959 और भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर.395 दिनांक 22 फरवरी 1968 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) दिनांक 2.3.1968 को प्रकाशित)

- (3) Of the eight members to represent the State of Kerala, two persons shall be nominated by the Government of Kerala to represent that State¹. Two persons shall represent the large growers in the State of Kerala and three persons the small growers and one person representing the Rubber Producers Societies.
- (4)¹ Of the ten persons to be nominated by the Central Government, one person shall represent small growers in the State of Tripura and one person shall represent small growers from the State of Kerala in addition to three already provided for, one person shall represent small growers from other non-traditional states like Karnataka, Orissa etc. on a rotation basis and one person shall represent the other stake holders.

4. Term of office

- (1) ²Save as hereinafter provided, a member shall hold office for such period not exceeding three years as may be specified in the notification in the official Gazette notifying his nomination or election and shall be eligible for re-nomination or re-election, as the case may be
- ²Provided that a member elected under clause (e) of sub-section (3) of Section 4 by either House of Parliament shall cease to be a member of the Board if he ceases to be a member of the House by which he was elected.
- (2) A member elected or nominated to fill a casual vacancy, or a member nominated by the Central Government on failure of any authority or body mentioned in sub-section (3) of Section 4 to make a nomination, shall hold office as long as the member whose place he fills would be entitled to hold office if the vacancy had not occurred or the nomination had not been made, as the case may be.

1 Amended by Notification no. GSR 704 (E) dated 25th August 2010, published in the Gazzattee of India (Extraordinary) Part II Sub section (i) dated 25th August 2010.

2 *(Amended by Notification No. G.S.R. 598 dated 13th May, 1959 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry and further amended as per Notification No. G.S.R. 395 dated the 22nd February, 1968 of the Government of India, Ministry of Commerce, (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(1), dated the 2nd March, 1968).*

5। त्यागपत्र

बोर्ड के या समिति के एक सदस्य सचिव के नाम खत द्वारा इस्तीफा दी जा सकती है । परन्तु बोर्ड के या समिति के अध्यक्ष इस्तीफा स्वीकार करने तक या त्याग-पत्र सचिव स्वीकार कर तीस दिन होते तक जो भी पहले हो त्यागपत्र प्रभावी नहीं होगा।²

6. बोर्ड से निकालना

केन्द्र सरकार किसी भी सदस्य को उन के पद से निकाल दिया जा सकता है ।

(क) वह ऋणी या दिवालिया या देनदार का भुगतान न करनेवाला या उसके ऋणदाताओं से राजीनामा कर लेना आदि या

(ख)² यदि एक व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 के (अधिनियम XLV द्वारा या दण्डविधि संहिता 1898) 1898 के अधिनियम V द्वारा जमानत-अयोग्य अपराधी सिद्ध करने से या

(ग) यदि उस व्यक्ति को विधि न्यायालय द्वारा पागल घोषित किया गया तो, या

(घ) यदि वह व्यक्ति लगातार बोर्ड की दो बैठकों में अनुपस्थित रहना और अध्यक्ष को खत द्वारा जानकारी न देना और किसी भी कारण से लगातार तीन बैठकों में भाग न लेना, या

(ङ) यदि वह व्यक्ति बोर्ड में जमा करने की बकाया रकम न जमा करना और वह बोर्ड द्वारा घोषित किया गया तो

7. भारत में अनुपस्थिति

(1) एक सदस्य भारत से बाहर जाने के पहले-

(क) वह भारत से बाहर जाने की तारीख और भारत में वापस आने की प्रत्याशित तारीख बोर्ड के सचिव को सूचित करना होगा । तथा

(ख) अगर वे लगातार छः महीने से अधिक काल भारत से बाहर रहना चाहते हैं तो वे अपना इस्तीफा दे देंगे ।

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, अधिसूचना सं.एस आर ओ । (2) प्लांट (बी)/57 दिनांक 27 जून 1957 द्वारा संशोधित। (भारत सरकार राजपत्र भाग 2 खंड 3 दिनांक 6 जुलाई 1957 में प्रकाशित)

2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ. 549, दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित)

15. Resignation

A member of the Board or of a Committee may resign his office by a letter addressed to the Secretary, but the resignation shall not take effect until accepted by the Chairman of the Board or of the Committee, as the case may be or until the expiry of thirty days from the date of receipt of resignation by the Secretary, whichever is earlier.²

6. Removal from the Board

The Central Government may remove any member from his office.

- (a) if he becomes bankrupt or insolvent or suspends payment or compounds with his creditors, or
- (b) if he is convicted of any offence which is punishable under the Indian Penal Code (Act XLV of 1860), and is under the provisions of the Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) non-bailable, or²
- (c) if he is of unsound mind and stands so declared by a competent court, or
- (d) if he absents himself from two consecutive meetings of the Board without the leave of the Chairman, and in any case from three consecutive meetings, or
- (e) if he defaults in payment of any dues to the Board, and is so declared by the Board.

7. Absence from India

- (1) Before a member of the Board departs from India—
 - (a) he shall intimate to the Secretary the date of his departure from, and the date of his expected return to India, and
 - (b) if he intends to be absent from India for a longer period than six months, he shall tender his resignation.

1 (Amended as per Government of India, Ministry of C&I., Notification No. S.R.O.1(2) Plant (B)/57 dated the 27th June, 1957. (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, dated the 6th July, 1957)

2 (Amended as per Notification No. S.R.O. 549 dated the 14th February, 1957, Government of India, Ministry of C&I., (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, dated 23rd February, 1957).

- (2) ¹ उपनियम (1) के अनुपालन किये बिना एक सदस्य को किसी भी प्रत्येक स्थिति में भारत के बाहर जाना पड़ता है तो वह भारत के बाहर जाकर एक महीने के अन्दर बोर्ड के सचिव को भारत से रवाना हुए दिन और लौटकर किस दिन भारत में आने की प्रतीक्षा करते हो इसकी जानकारी देनी चाहिए यदि नहीं तो वह भारत से रवाना हुए तारीख से इस्तीफा देते हुए माना जाएगा।

8. उपाध्यक्ष

- (1) ² बोर्ड, हर साल अपने सदस्यों में से एक उपाध्यक्ष को चुनेगा और उनकी अवधि बारह महीने तक होगा और यह चुने हुए तारीख से माना जाएगा। यदि वर्तमान उपाध्यक्ष की अवधि पूरे होने के पहले चुनाव होतो तो वर्तमान उपाध्यक्ष की अवधि पूरे होते दिन से बारह महीने तक माना जाएगा।
- (2) यदि उपाध्यक्ष इस्तीफा देते, या बोर्ड के सदस्य न रह जाते तो बोर्ड की अगली बैठक में वर्तमान उपाध्यक्ष की बची हुई अवधि पूरे होने तक दूसरे सदस्य को उप नियम (1) के अनुसार चुन लिया जाना चाहिए।

अध्याय III

बोर्ड एवं इसकी समितियों की बैठक की प्रक्रिया

9. बोर्ड की बैठकें

¹ वर्ष में कम से कम दो सामान्य बैठकें अध्यक्ष द्वारा उचित समझनेवाले दिनांकों को होंगी तथा सामान्य रूप से ऐसी बैठकें मुख्यालय में आयोजित की जाएगी, लेकिन अगर अध्यक्ष द्वारा एक बैठक दूसरे कहीं आयोजित करने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे निर्णय लेने के कारण लिखित रूप में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए। किसी भी

1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर 1033 (ई) दिनांक 31.12.1987 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 (1) दिनांक 31-12-1987 को प्रकाशित)

2 भारत सरकार वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं.एस आर ओ.3329, दिनांक 11 अक्टूबर 1957 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 19 अक्टूबर 1957 को प्रकाशित)

- (2) ¹Where a member departs from India under constraint of circumstance, without complying with the provisions of sub-rule (1), he shall be deemed to have resigned with effect from the date of his such departure from India, unless he intimates to the Secretary within one month from such departure about the date of his departure from and the expected date of his return to India.

8. Vice-Chairman

- (1) ²The Board shall, in each year, elect a member to be the Vice-Chairman for a period of twelve months commencing from the date of his election or, if the election is held before expiry of the term of office of an existing Vice-Chairman, from the date on which such Vice-Chairman would vacate office.
- (2) In the event of the Vice-Chairman resigning his office as such or ceasing to be a member of the Board, the Board shall at its next meeting elect another member to be the Vice-Chairman for the un-expired portion of the term of office of the Vice-Chairman elected under sub-rule (1).

CHAPTER III

PROCEDURE OF MEETINGS OF BOARD AND ITS COMMITTEES

9. Meetings of the Board

¹ There shall be not less than two ordinary meetings of the Board in any one year on such dates as the Chairman may think fit and such meetings shall ordinarily be held at the headquarters, but in case where a meeting is decided to be held elsewhere by the Chairman, the reasons for so deciding shall be recorded in writing.

1 (Amended as per Notification NO. G.S.R. 1033(E) dated 31-12-1987 of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India), Part II, Section 3(i) dated 31-12-1987).

2 (Amended as per Notification No. S.R.O. 3329 dated the 11th October, 1957, Government of India, Ministry of C&I, (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 dated the 19th October, 1957).

मामले में दो सामान्य बैठकों के बीच का समयान्तराल आठ महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए ।

10. कोरम

बोर्ड की एक बैठक में कम से कम ¹नौ सदस्य उपस्थित न रहें तो कोई भी कार्यवाही नहीं की जाएगी तथा किसी समिति की बैठक में समिति के कुल सदस्यों में आधे से ज्यादा सदस्य उपस्थित नहीं रहे तो समिति की बैठक में भी कार्यवाही न की जाएगी ।

10 क.² समिति की बैठक में अनुपस्थिति

कोई भी समिति के सदस्य लगातार दो बैठकों में अध्यक्ष से छुट्टी मांगे बिना अनुपस्थित रहें तथा किसी भी मामले में लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहें तो उस समिति से उनकी सदस्यता समाप्त (रद्द) हो जाएगी।

²10 ख. आकस्मिक रिक्तियाँ भरना

- (1) समिति की कोई भी आकस्मिक रिक्ति बोर्ड द्वारा भरी जाएगी ।
- (2) आकस्मिक रिक्तियाँ भरने के लिए की गई भर्ती में आनेवाले सदस्य की सदस्यता जिस सदस्य के कारण रिक्ति हुई उन के कार्यकाल जितना बचा रहेगा उतने समय तक रहेगी ।

²10 ग. समिति की बैठकों की अध्यक्षता

समितियों की सभी बैठकों में अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष उस समिति के सदस्य है तो बैठक की अध्यक्षता करेंगे । अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपस्थित सदस्यों से एक सदस्य को बैठक की अध्यक्षता करने के लिए उनके द्वारा चुन लिया जाएगा ।

- 1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)
- 2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं.एस आर ओ.549, दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित)

The interval between any two ordinary meetings shall not, in any case, be longer than eight months.

10. Quorum

No business shall be transacted, at a meeting of the Board unless there are present at least ¹nine members of the Board and no business shall be transacted at a meeting of a Committee, unless there are present a majority of members constituting the Committee.

² 10 A. Absence from meeting of a Committee

Any member of a Committee who absents himself from two consecutive meetings of the Committee without the leave of the Chairman, and in any case from three consecutive meetings, shall cease to be a member of that Committee.

²10 B. Filling of casual vacancies

- (1) Any casual vacancy on a Committee shall be filled by the Board.
- (2) A person appointed to fill a casual vacancy in a Committee shall hold office so long as the member whose place he fills, would have been entitled to hold office, if the vacancy had not occurred.

²10 C. Presiding over Committee meetings

The Chairman shall preside over every meeting of the Committee at which he is present and in his absence, the Vice-Chairman shall preside, if he is a member of the Committee. In the absence of both the Chairman and the Vice-Chairman, the members of the Committees shall elect one from amongst those present to preside at that meeting.

1 Amended by Notification No. GSR 704 (E) dated 25th August 2010, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II Sub Section (i) dated 25th August 2010.

2 *(Amended as per Notification NO.S.R.O. 549 dated the 14th February, 1957 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 dated the 23rd February, 1957).*

11. बैठकें बुलाने का अधिकार

- (1) यदि आवश्यक हो तो अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय बोर्ड या समिति की बैठक बुलाई जाएगी तथा ¹नौ सदस्य अनुरोध करेंगे तो बोर्ड की बैठक एवं कुल सदस्यों में आधे सदस्य अनुरोध करेंगे तो समिति की बैठक भी बुलाई जाएगी।
- (2) किसी भी बोर्ड बैठक के मामले में चौदह संपूर्ण दिन एवं समिति की बैठक के मामले में दस संपूर्ण दिन के पहले बैठक के समय एवं स्थान बताते हुए सचिव द्वारा हस्ताक्षरित सूचना भारत सरकार के उचित ²मंत्रालय को भेज दिया जाएगा तथा बोर्ड एवं समिति के हर सदस्य को पहुँचाया जाएगा या उनके पते पर प्रेषित किया जाएगा। परंतु अति आवश्यकता के अवसर पर अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय विशेष बैठक बुलाई जा सकती है तथा वे भारत सरकार के उचित मंत्रालय एवं सभी सदस्यों को चर्चा के विषय एवं इसे अति आवश्यक समझने के कारणों की पूर्व सूचना देंगे। इस तरह की विशेष बैठकों में कोई सामान्य कार्यवाही नहीं की जाएगी।
3. बोर्ड या समिति की किसी भी बैठक में भाग लेने के लिए बोर्ड के किसी भी अधिकारी से कह सकते हैं या किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों को आमंत्रित कर सकते हैं लेकिन उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

11क.² कार्यसूची

- (1) बोर्ड की सामान्य बैठक के दस संपूर्ण दिन पूर्व एवं किसी समिति की बैठक के सात संपूर्ण दिन पूर्व बैठक की कार्यवाही की सूची सचिव द्वारा हस्ताक्षर करके भारत सरकार को प्रेषित की जाएगी तथा बोर्ड/समिति के सभी सदस्यों को पहुँचायी जाएगी या उनके पते पर प्रेषित की जाएगी।
- (2) कार्यवाही की सूची में सम्मिलित न किए गए कोई भी कार्य बोर्ड या समिति के अध्यक्ष की अनुमति के बिना बैठक में न लिया जाएगा।

1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)

2 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ.549, दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित)

11. Power to call meetings

- (1) The Chairman of the Board or the Committee may at any time call a meeting of the Board or the Committee, as the case may be, and shall do so if a requisition for that purpose is presented to him by at least ¹nine members in the case of a meeting of the Board and half the total number of members in the case of a meeting of a Committee.
- (2) At least fourteen clear days before any meeting of the Board and at least ten clear days before in the case of a meeting of a Committee, notice of time and place of the intended meeting, signed by the Secretary, shall be sent to the Government of India in the² appropriate Ministry and left at or posted to the address of every member of the Board or the Committee.

Provided that in case of urgency, a special meeting may be summoned at any time by the Chairman who shall inform in advance the Government of India in the appropriate Ministry and the members of the subject matter for discussion and the reasons for which he considers it urgent. No ordinary business shall be transacted at such special meetings.

- (3) The Chairman may require any officer of the Board or invite any person or persons to attend any meeting of the Board or the Committee but they shall not have the power to vote.

²11 A. Agenda

- (1) At least 10 clear days before any ordinary meeting of the Board and at least 7 clear days before any meeting of a Committee, a list of business to be transacted at the meeting, signed by the Secretary, shall be sent to the Government of India and left at or posted to the address of every member of the Board of the Committee.
- (2) No business, not included in the list of business, shall be transacted without the permission of the Chairman of the Board or of the committee.

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

2. (Amended as per Notification No. S.R.O. 549 dated the 14th February, 1957 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 dated the 23rd February, 1957).

12. बैठक की अध्यक्षता

बोर्ड की सभी बैठकों में जिसमें वे उपस्थित हैं उनमें बोर्ड के अध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे तथा उनकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेंगे तथा किसी बैठक में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित रहें तो उस बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा उनमें किसी एक सदस्य को उस बैठक में अध्यक्षता करने के लिए चुन लिया जाएगा।

13. परिचालन द्वारा कार्य

- (1) बोर्ड या समिति के अध्यक्ष अगर निदेश दें तो बोर्ड या समिति में करने के कोई भी कार्य सदस्यों को कागज़ातों के परिचालन द्वारा किया जा सकता है तथा इस तरह परिचालित कोई भी प्रस्ताव या संकल्प को अपनी दृष्टि लिखित रूप में रिकॉर्ड किये सदस्यों के बहुमत में स्वीकृति प्राप्त होती है तो ऐसे संकल्प एवं प्रस्ताव एक बैठक में स्वीकृत होने पर जिस तरह प्रभावी और बाध्यकारी होंगे उसी तरह यहीं भी लागू होगा।

परंतु बोर्ड के मामले में कम से कम ¹नौ सदस्य और समिति के मामले में बहुमत सदस्य लिखित रूप में अपनी दृष्टि व्यक्त की हुई होनी चाहिए।

परंतु यह और कि अगर कोई प्रस्ताव या संकल्प सदस्यों के हवाले कागज़ात के परिचालन के द्वारा कर देते हैं और बोर्ड के पाँच सदस्य या समिति के तीन सदस्य (जैसा कि लागू है) इस संकल्प या प्रस्ताव को बैठक में प्रस्तुत करने की मांग करते हैं तो जैसे लागू होगा उसी तरह बोर्ड या समिति की बैठक में सदस्यों को प्रस्तुत किए जाएंगे।

- (2) अगर कोई कार्यवाही सदस्यों को परिचालित करके की जाती है तो सदस्यों से उत्तर प्राप्त होने के लिए बोर्ड के मामले में कम से कम 14 तथा समिति के मामले में कम से कम 10 संपूर्ण दिनों की अवधि देनी चाहिए। जिस दिन कार्य की सूची जारी की जाती है, उस दिन से इस अवधि की गणना की जाएगी।

- ²(3) विशेष परिस्थितियों में ही परिचालन द्वारा कार्यवाही को अपनाया चाहिए जिसका कारण लिखित रूप में नोट करना चाहिए। यदि कोई संकल्प या प्रस्ताव परिचालित की जाती है तो उसका परिणाम यथाविधि बोर्ड या समिति के सदस्यों को सूचित करना चाहिए। परिचालित संकल्प या प्रस्ताव की प्रतिलिपि एवं परिचालन का परिणाम भारत सरकार को भी भेज दिए जाएंगे।

1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)

2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ.549, दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित) और भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर 1033 (ई) दिनांक 31-12-1987 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) दिनांक 31-12-1987 को प्रकाशित)

12. Presiding over meetings

The Chairman of the Board shall preside over every meeting of the Board at which he is present and in his absence, the Vice-Chairman shall preside, but when both the Chairman and Vice-Chairman are absent from any meeting, the members present shall elect one of their own member to preside at that meeting.

13. Business by circulation

(1) Any business which is to be transacted by the Board or the Committee may, if the Chairman of the Board or of the Committee so directs, be referred to members by circulation of papers and any resolution or proposal so circulated and approved by the majority of members, who have recorded their views in writing, shall be as effectual and binding as if such resolution or proposal were decided by the majority of members at a meeting;

Provided that at least nine members of the Board or a majority of the members of the Committee, as the case may be, have recorded their views of the resolution or proposal;

Provided further that when a resolution or proposal is referred to members by circulation of papers, any five members of the Board or three members of the Committee, as the case may be, may require that the resolution or proposal be referred to members at a meeting and thereupon such reference shall be made to members at a meeting of the Board or the Committee, as the case may be.

(2) When any business is referred to members by circulation, a period of not less than 14 clear days in the case of the Board and 10 clear days in the case of a Committee shall be allowed for receipt of replies from members. Such period shall be reckoned from the date on which the notice of business is issued.

²(3) Transaction of business by circulation should be resorted to only in special circumstances for reasons to be recorded in writing. If a resolution or proposal is circulated, the result of the circulation shall be communicated to all the members of the Board or of the committee, as the case may be. A copy of the resolution or proposal circulated and the result of the circulation shall also be communicated to the Government of India.

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010.

2. (Amended as per Notification, No. S.R.O. 549 dated the 14th February, 1957 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 dated the 23rd February, 1957) and as per Notification No. G.S.R. 1033 (E) dated 31-12-1987 of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 31-12-1987).

13. (क)¹ कार्यवाही रिकॉर्ड

- (1) बोर्ड या इसकी समितियों में किये जानेवाले कार्य की रिकॉर्ड का रखरखाव बोर्ड द्वारा किया जाएगा तथा इस रिकॉर्ड की प्रतिलिपि केन्द्र सरकार को प्रस्तुत की जाएगी।
- (2) उपनियम में बताई गई रिकॉर्ड ऐसी बैठकों में अध्यक्षता करनेवाले अध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगे ।

14. मतदान

- (1) नियम 13 उपबंधित के सिवाय बोर्ड या समिति की किसी भी बैठक में प्रस्तुत किये जानेवाले प्रश्नों पर उपस्थित सदस्यों में बहुमत के आधार पर तथा जिस बैठक में मामला लाया गया उसमें मतदान करके निर्णय लिया जाएगा। कोई भी सदस्य परोक्षी मतदान नहीं करेंगे।
- (2) मतों की बराबरी पर अध्यक्ष या अध्यक्षता करनेवाले सदस्य निर्णायक मत दे सकते हैं ।

15. समितियों की नियुक्ति

- (1) निम्न लिखित सदस्यों को मिलाकर गठित एक कार्यकारी समिति होगी :-

(क) अध्यक्ष जो इसका पदेन अध्यक्ष होंगे ।

(ख) उपाध्यक्ष

²(खक) कार्यपालक निदेशक

(ग) रबड़ उत्पादन आयुक्त, एवं

(घ) बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीकों से बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से चुने गये दो अन्य सदस्य

1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर 1033 (ई) दिनांक 31-12-1987 के अनुसार अंतःस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) दिनांक 31-12-1987 को प्रकाशित)

2 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि.668(अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित।

13 (A). Record of business

- (1) A record of business transacted at the meetings of the Board or its Committees, shall be maintained by the Board and copies of such record shall be submitted to the Central Government.
- (2) The record of business transacted as referred to in sub-rule shall be signed by the Chairman presiding over such meetings.

14. Voting

- (1) Except as provided in Rule 13, every question brought before any meeting of the Board or its Committee, shall be decided by a majority of the members present and voting at the meeting before which the matter is brought. No member shall vote by proxy.
- (2) In the case of an equality of votes, the chairman or the member presiding shall have a second or casting vote.

15. Appointment of Committees

- (1) There shall be an Executive Committee consisting of:—
 - (a) the Chairman who shall be the ex-officio Chairman thereof;
 - (b) the Vice-Chairman;
 - ²(ba) the Executive Director;
 - (c) the Rubber Production Commissioner; and
 - (d) two other members to be elected by the members of the Board from among themselves in such manner as may be laid down by the Board.

1 *(Inserted as per Notification No. G.S.R. 1033(E) dated 31-12-1987, of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i) dated 31-12-1987).*

2 Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India, Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.

¹2(i) निम्नलिखित सदस्यों को मिलाकर गठित एक अनुसंधान एवं विकास समिति भी होगी-

(क) अध्यक्ष जो इसका पदेन अध्यक्ष भी होंगे ।

²(कक) कार्यपालक निदेशक

(ख) बोर्ड के अनुसंधान निदेशक;

(ग) रबड़ उत्पादन आयुक्त

(घ) बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीकों से बोर्ड के सदस्यों द्वारा अपने में से चुन लिये गए तीन अन्य सदस्य

(ङ) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं रबड़ उत्पादन उद्योग के प्रतिनिधित्व करनेवाले तीन वैज्ञानिक या प्रौद्योगिकीविद्

(ii) अनुसंधान एवं विकास समिति के ये कार्य होंगे कि

(क) वैज्ञानिक एवं प्रौद्योगिकीय अनुसंधान परियोजनाओं, योजनाओं तथा कार्यक्रमों की जांच करना एवं सिफारिश करना तथा समय समय पर उनका मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा करना

(ख) रबड़ उद्योग से संबंधित विकास एवं विस्तार परियोजनाओं, योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जांच करना एवं सिफारिश करना तथा समय समय पर उनका मूल्यांकन एवं पुनरीक्षा करना, तथा

(ग) समय समय पर बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अन्य किसी भी कार्य

(3) इस नियम की कोई बात धारा 8 या धारा 8(क) के बताए किसी भी लक्ष्य हेतु हर एक मामले में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी अन्य स्थायी समिति या कोई तदर्थ समिति को गठित करने के बोर्ड के अधिकार का अल्पीकरण नहीं करती है। बोर्ड के अध्यक्ष ही इस नियम के अधीन गठित सभी समितियों के पदेन अध्यक्ष रहेंगे।

³16. बोर्ड एवं समितियों के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते

(1) सरकारी कर्मचारी के सिवाय बोर्ड या किसी भी समिति के सदस्य बोर्ड या इसकी किसी समिति की बैठक में उपस्थित होने या बोर्ड या संबंधित समिति द्वारा उनको सौंपे गये किसी कार्य निष्पादन हेतु की गई किसी भी यात्रा

1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर.553 दिनांक 18 अप्रैल 1978 के अनुसार अंतःस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (1) में दिनांक 29 अप्रैल 1978 को प्रकाशित)

2 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि.668(अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित।

3 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.एस आर ओ.549 दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार प्रतिस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित)

- ¹2(i) There shall also be a Research and Development Committee consisting of:—
- (a) the Chairman who shall be the ex-officio Chairman thereof;
 - ²(aa) the Executive Director;
 - (b) Director of Research of the Board;
 - (c) the Rubber Production Commissioner;
 - (d) three other members to be elected by the members of the Board from among themselves in such manner as may be laid down by the Board;
 - (e) three scientists or technologists to represent the Council of Scientific and Industrial Research, the Indian Council of Agricultural Research and the rubber manufacturing industry.
- (ii) It shall be the duty of the Research and Development Committee—
- (a) to examine and recommend scientific and technological research projects, schemes and programmes and undertake periodic evaluation and review thereof;
 - (b) to examine and recommend development and extension project schemes and programmes, in relation to rubber industry and undertake periodic evaluation and review thereof; and
 - (c) to carry out any duty which may be delegated by the Board, from time to time.
- (3) Nothing in this rule shall derogate from the power of the Board to constitute, for such period as may be specified in each individual case, any other Standing Committee or any ad hoc committee for any of the purposes mentioned in Section 8 or Section 8A. The Chairman of the Board shall be the ex-officio Chairman of all Committees constituted under this rule.

³16. Travelling and other allowances to members of the Board and its committees

- (1) A member of the Board or of any Committee other than a Government servant, shall be entitled to draw, in respect of any journey performed by him for the purpose of attending a meeting of the Board or of a duly constituted Committee thereof or for the purpose of discharging any duty assigned to him by the Board or the Committee concerned, travelling allowance and daily allowance

1 *Inserted as per Notification G.S.R. No. 553 dated the 18th April, 1978 of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in sub-section (i) of Section 3, Part II, of the Gazette of India, dated 29th April, 1978*

2 *Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India, Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.*

3. *Substituted as per Notification No. S.R.O. 549 dated the 14th February, 1957 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 dated 23rd February, 1957.*

के लिए केन्द्र सरकार के समय समय पर लागू नियमों व आदेशों के अनुरूप प्रथम श्रेणी के सरकारी सेवकों (कर्मचारियों) के लिए स्वीकार्य उच्चतम दरों में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ते के लिए पात्र है।

- (2) सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी तदर्थ समिति या किसी भी अन्य समिति में कार्य करने या बोर्ड के किसी भी अन्य कार्य के लिए विशेष रूप से नामांकित या सहयोजित केन्द्र या राज्य सरकार पदधारी द्वारा की गई यात्रा के लिए वह अधिकारी उस समय जिस सरकार के अधीन नियोजित है उन नियमों के अनुसार उन को स्वीकार्य यात्रा एवं दैनिक भत्ता बोर्ड द्वारा देय होगा।
- (3) बोर्ड या समिति के सदस्य द्वारा जिस यात्रा व वास के लिए दावा पेश किया है उस के लिए अन्यत्र किसी स्रोत से यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता स्वीकार नहीं किया है बताकर प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने तक उनका यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (4) बोर्ड या समिति के सदस्य के सामान्य निवास स्थान से बैठक का स्थान या बोर्ड के किसी भी कार्य हेतु गये स्थान तक तथा वापस उनके निवास स्थान तक यात्रा भत्ता देय होगा।

परंतु जब यात्रा सामान्य निवास स्थान से अलग कहीं से शुरू या वापसी यात्रा में समाप्त हो जाती है तो यात्रा भत्ता सामान्य निवास स्थान शुरू हुआ होगा या समाप्त किया गया होता तो उस रकम या वास्तविक रूप में की गई यात्रा की रकम उनमें जो भी कम हो उस तक सीमित किया जाएगा। परंतु यह और कि विशेष परिस्थितियों में तथा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति से अध्यक्ष एक सदस्य के सामान्य निवास स्थान से अलग अन्य स्थानों से यात्रा मंजूर किया जा सकता है।

- (5)¹ लोप किया गया।

1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)

at the highest rates admissible to Government servants of the first grade under the rules and orders made by the Central Government and for the time being in force.

- (2) In the case of any journey performed by an official of the Central or the State Government specially nominated or co-opted by the competent authority to serve on any ad hoc committee or any other committee or to attend to any other business of the Board, the travelling and daily allowances admissible to him shall be payable by the Board at the rates admissible to him under the rules of the government under which he is for the time being employed.
- (3) No travelling allowance or daily allowance shall be allowed to a member of the Board or of any Committee unless he certifies that he has not drawn any travelling or daily allowance from any other source in respect of the journey and halt for which the claim is made.
- (4) Travelling allowance shall be payable from the usual place of residence of a member of the Board or any Committee to the place of the meeting or the place where he has gone to attend to any business of the Board and back to his place of residence;

Provided that when the journey commences from or the return journey terminates at any place other than his usual place of residence the travelling allowance shall be limited to the amount that would have been payable had the journey commenced from or terminated at the usual place of residence or to the amount payable in respect of the actual journey undertaken, whichever is less:

Provided further that in special circumstances and with the previous approval of the Central Government, the Chairman may grant travelling allowance from places other than the usual place of residence of a member.

(5)¹ Omitted

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 15th August 2010

17. पुनरीक्षण

- (1) केन्द्र सरकार ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, बोर्ड या समिति के किसी भी निर्णय की पुनरीक्षा कर सकती है तथा जो वह ठीक समझे ऐसा आदेश पारित कर सकती है ।
- (2) उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश की एक प्रतिलिपि केन्द्र सरकार द्वारा यथास्थिति बोर्ड या समिति को भेजी जाएगी ।
- (3) उपर्युक्त जैसा आदेश की प्रति प्राप्त होने पर यथास्थिति बोर्ड या समिति उक्त आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं तथा उक्त अभ्यावेदन पर विचार करने के बाद केन्द्र सरकार उनके द्वारा उपनियम (1) के अधीन पारित आदेश को या तो रद्द या संशोधित या पुष्ट कर सकती है या मामले के सभी परिस्थितियों के संदर्भ में केन्द्र सरकार की राय में न्यायसंगत और समीचीन है ऐसी कोई भी कार्रवाई की जा सकती है।

अध्याय IV

बोर्ड एवं इसकी स्थापना

18. वेतन एवं भत्ते

धारा 6 एवं 6क के अधीन सरकार द्वारा नियुक्त अध्यक्ष एवं अन्य अधिकारियों के वेतन, भत्ते, पेंशन, छुट्टी एवं अन्य अभिदान के व्यय बोर्ड की निधि से किया जाएगा ।

19.¹ बोर्ड की स्थापना

बोर्ड अपनी राय में इसके प्रभावी कार्य निष्पादन हेतु समय समय पर केन्द्रीय सरकार से बोर्ड की बजट में विशेष प्रावकलन की लभ्यता के अनुसार आवश्यक स्थापनाओं को मंजूर करेंगे ।

²परंतु कोई पद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना सृजित नहीं किया जाएगा। समय-समय पर सरकार द्वारा जारी पदों के सृजन पर पाबंदी आदेशों के अधीन रहते यदि तकनीकी पदों के मामले में, वेतन बैंड 3 में ग्रेड वेतन 5400 रुपए प्रतिमास 39,100 रुपए से अधिक है और गैर तकनीकी पदों के मामले

1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर.716 (ई) दिनांक 20 जून 1988 के अनुसार संशोधित
 2 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)

17. Revision

- (1) The Central Government may, for reasons to be recorded in writing, review any decision of the Board or its Committees and pass such order in the matter as it thinks fit.
- (2) A copy of every order passed under sub-rule (1) shall be sent to the Board or the Committee, as the case may be, by the Central Government.
- (3) On receipt of a copy of the order as aforesaid, the Board or the Committee, as the case may be, may make a representation to the Central Government against the said order and the Central Government may after considering the said representation, either cancel, modify or confirm the order passed by it under sub-rule (1) or take such other action in respect of the matter as may, in the opinion of the Central Government, be just or expedient, having regard to all the circumstance of the case.

CHAPTER IV BOARD AND ITS ESTABLISHMENT

18. Salaries and allowances

All expenditure on account of the salaries, allowances, pension, leave and other contributions, if any, of the Chairman and other officers appointed by the Government under Section 6 and 6A shall be met from the funds of the Board.

19. ¹Boards establishment

The Board may from time to time Subject to the availability of specific provision in the budget estimate of the Board as sanctioned by the Central Government, sanction such establishment as may, in its opinion, be necessary for the efficient performance of its functions.

² Provided that no post shall be created without the previous sanction of the Central Government, if the maximum pay of the post exceeds Rs.39,100/- in Pay Band 3 with the grade pay Rs. 5,400/- per mensem in the case of technical posts and Rs.39,100/- Pay Band 3 with the grade pay Rs. 6,600/- per month in the case

1 Amended as per Notification G.S.R. No. 716 (E) dated 20th June 1988 of the Government of India, Ministry of Commerce.

2 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

में वेतन बैंड 3 में ग्रेड वेतन 6,600 प्रतिमास 39,100 रुपए से अधिक है।

¹परंतु यह और कि बाद में बोर्ड के प्रमाणन के अधीन रहते हुए अत्यावश्यकता के मामले में भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी पदों के सृजन के विषय पर पाबंदियों का पालन करते हुए प्रतिमास अधिकतम 5400/- रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड 3 में 39,100/- रुपए तक के वेतन वाले तकनीकी एवं प्रतिमास अधिकतम 6600/- रुपए ग्रेड वेतन सहित वेतन बैंड 3 में 39,100/- रुपए तक के वेतन वाले गैर तकनीकी अस्थायी पदों का सृजन बोर्ड के हित में आवश्यक होगा तो ²कार्यपालक निदेशक द्वारा किया जा सकता है। परंतु यह और भी कि सीधी भर्ती वाले व्यक्ति जिसकी विशिष्ट पद के लिए पहचान की गई है, के पद की पुष्टि केवल केन्द्रीय सरकार की पूर्वानुमति से ही की जाएगी।

20. लोप किया गया

21. लोप किया गया

22. मंजूर पदों की अस्थायी रिक्ति का भरना

धारा 6क के अधीन न आनेवाले मंजूर पदों की अस्थायी रिक्तियाँ ²कार्यपालक निदेशक द्वारा भरी जाएंगी।

23. तैनाती एवं स्थानान्तरण

बोर्ड के अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के तैनाती एवं स्थानान्तरण ²कार्यपालक निदेशक द्वारा किए जाएंगे, और वे ये शक्तियाँ उपयुक्त समझें तो उस सीमा तक कि ²सचिव को सौंप सकते हैं।

24. उधार लिए गए अधिकारियों के वेतन एवं भत्ते

धारा 6क के अन्तरगत नियुक्ति के लिए उधार लिए गए अधिकारियों के सिवाय बोर्ड के लिए उधार दिए गए सरकारी अधिकारियों के यात्रा भत्ता सहित वेतन एवं भत्ते केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित जैसे होंगे।

- 1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)
- 2 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि.668(अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित।

of non-technical posts, subject to observance of the ban orders for creation of posts issued by the Government from time to time.

¹ Provided further that in case of exigencies, temporary posts which would need to be created in the interest of the Board and the maximum pay of which does not exceed Rs.39,100/- in the Pay Band 3 with the grade pay Rs. 5,400/- per mensem in the case of technical posts and Rs.39,100/- in Pay Band 3 with the grade pay Rs. 6,600/- per month in the case of non-technical posts, subject to observance of the ban orders for creation of posts issued by the Government from time to time, may be created by the ² Executive Director, subject to certification by the Board, subsequently;

Provided also that the confirmation of a direct recruit in a key post identified in prior consultation with the Central Government shall be made with the prior approval of the Central Government.

20. Omitted

21. Omitted

22. Filling up of temporary vacancies in sanctioned posts

Temporary vacancies in respect of sanctioned posts, which are not covered by Section 6A shall be filled by ² the Executive Director.

23. Postings and transfers

Postings and transfers of all officers and other members of the staff of the Board shall be made by ² the Executive Director who may delegate this power to such extent as he deems fit, to ² the Secretary.

24. Pay and allowances of Borrowed Officers

The pay, and allowances including travelling allowances of government officers lent to the Board, other than the officers lent for appointment under Section 6A, shall be such as may be determined by the Central Government.

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

2 Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India ,Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.

24 क.1 गृहों के निर्माण आदि के लिए अग्रिमों की मंजूरी

- (i) बोर्ड के एक अधिकारी (केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के सिवाय) या अन्य कर्मचारी को नया गृह निर्माण करने (उस लक्ष्य के लिए भूमि की खरीद सहित) या तैयार गृहों की खरीद या वर्तमान वास स्थान के विस्तार करने हेतु बोर्ड द्वारा केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को उस समय पर लागू गृह निर्माण अग्रिम मंजूर करने से संबंधित केन्द्र सरकार के नियमों के अनुरूप बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों व शर्तों के आधार पर अग्रिम मंजूर कर सकते हैं।
- (ii) उपर्युक्त (i) में विनिर्दिष्ट अग्रिम केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त बोर्ड के एक अधिकारी को भी उस समय पर लागू केन्द्र सरकार के नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार के समतुल्य पदों के अधिकारियों को अर्ह दरों व शर्तों के आधार पर मंजूर किया जा सकता है।
- (iii) अग्रिम की मंजूरी "ब्याजधारी वसूली योग्य अग्रिम" शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर होगी।
- (iv) लोप किया गया।

24 ख. मोटर कार, मोटर साइकिल एवं साइकिलों की खरीद हेतु अग्रिमों की मंजूरी

बोर्ड के स्थायी रूप से नियोजित एक अधिकारी या कर्मचारी को केन्द्र सरकार के उस समय लागू नियमों के अनुसार केन्द्र सरकार के समान पदों पर कार्यरत अधिकारी या कर्मचारी को अर्ह अग्रिम उन दरों व शर्तों के अनुसार मोटर कार, मोटर साइकिल या बाइसाइकिल की खरीद हेतु दिया जा सकता है। केन्द्र सरकार की सहमति से बोर्ड में प्रतिनियुक्त स्थायी सरकारी कर्मचारी भी उपर्युक्त नियमों के अनुसार इस तरह के अग्रिमों के पात्र है। अग्रिमों की मंजूरी "ब्याजधारी वसूली योग्य अग्रिम" शीर्ष में निधि की उपलब्धता के आधार पर होगी।

25. लोप किया गया

26. व्यक्तियों को विदेश भेजना

केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना बोर्ड किसी अधिकारी या बोर्ड के सदस्य को भारत से बाहर किसी स्थान नहीं भेजेंगे।

1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, की अधिसूचना सं.जी एस आर.797, दिनांक 13 सितंबर 1958 के अनुसार अंतःस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 (1), पृष्ठ 731 में दिनांक 13 सितंबर 1958 को प्रकाशित)

2 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)

24A.¹ Grant of advances for building etc., of houses

- (i) An advance for building a new house (including purchase of land for the purpose) or for purchase of a ready built house or for enlarging living accommodation of an existing house owned by an officer (other than one appointed by the Central Government) or other employee of the Board may be granted to such officer or employee at such rates and on such conditions as may be determined by the Board in conformity with the rules of the Central Government for the time being in force, regulating the grant of advances for building etc., of houses to Central Government Servants.
- (ii) The advance specified in (i) above may be granted for the same purpose to an officer of the Board appointed by the Central Government also, at such rates and on such conditions as may be admissible to officers holding comparable posts under the Central Government in accordance with the rules of the Central government for the time being in force.
- (iii) The grant of advance is subject to the availability of funds under the head 'Advances recoverable bearing interest'.
- (iv) ²Omitted

24B. Grant of advances for the purchase of motor car, motor cycle or bicycle

An advance for the purchase of motor car, motor cycle or bicycle may be granted to an officer or employee who is in permanent employee of the Board at such rates and conditions as may be admissible to an officer or employee holding a comparable post under the Central Government in accordance with the rules of the Central Government for the time being in force. Subject to the concurrence of the Central Government, permanent government servants on deputation to the Board will also be eligible to the grant of such advances from the Board in accordance with the aforesaid rules. The grant of advances is subject to the availability of funds under the head 'Advances recoverable bearing interest'.

25. Omitted

1 *Inserted as per Notification No. G.S.R. 797, dated the 13th September, 1958 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(1), Page 731 dated the 13th September, 1958*

2 *Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010*

अध्याय V

बोर्ड एवं ¹कार्यपालक निदेशक के अधिकार

27. ¹कार्यपालक निदेशक के अधिकार

- (1) बोर्ड के समुचित कार्य करने तथा इसके निर्णयों को कार्यान्वित करने एवं अधिनियम के अन्तर्गत कार्यों को निष्पादित करने का उत्तरदायित्व ¹कार्यपालक निदेशक का है ।
- (2) बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ¹कार्यपालक निदेशक होंगे तथा बोर्ड के सभी विभागों एवं अधिकारियों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखेंगे ।
- (3) इस लक्ष्य से नियुक्त अन्य अधिकारियों को ¹कार्यपालक निदेशक द्वारा प्राधिकृत करने के आधार पर ¹कार्यपालक निदेशक
 - (क) जैसा कर सकते हैं उतनी जल्दी प्रमुख कागज़ातों व मामलों को बोर्ड में प्रस्तुत कराए जाएंगे ।
 - (ख) बोर्ड के निर्णयों को कार्यान्वित करने की प्रणाली के बारे में निदेश जारी करेंगे ।
 - (ग) अधिनियम के अधीन प्राप्त सभी रकम (धन) के लिए बोर्ड की ओर से रसीद जारी करेंगे या बोर्ड के संकल्प के आधार पर अन्य किसी व्यक्ति को रसीद जारी करने के लिए प्राधिकृत करेंगे ।
 - (घ) बोर्ड के आय और व्यय के लेखों का अनुरक्षण करेंगे या कराएंगे: तथा
 - (ङ) बोर्ड के कार्य संबंधी मसौदा वार्षिक रिपोर्ट अनुमोदनार्थ बोर्ड को प्रस्तुत करेंगे तथा बोर्ड द्वारा मंजूर रूप में रिपोर्ट केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।²
- (4) ¹कार्यपालक निदेशक को
 - (i)² लोप किया गया ।
 - (ii) धारा 14 के अंतर्गत सामान्य या विशेष अनुज्ञप्तियाँ जारी करने तथा ऐसी विशेष अनुज्ञप्तियों की वैधता की अवधि बढ़ाने या ऐसी अनुज्ञप्तियों को निलंबित या प्रतिसंहत करने या ऐसे निलंबित किसी अनुज्ञप्ति को प्रत्यावर्तित करने;³

1 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि.668(अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित

2 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)

3 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर.1000, दिनांक 18 जून 1966 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 (1) में दिनांक 25 जून 1966 को प्रकाशित)

26. Sending persons abroad

The Board shall not send any officer of the Board or any member of the Board to places outside India without the previous sanction of the Central Government.

CHAPTER V

POWERS OF THE BOARD AND THE ¹EXECUTIVE DIRECTOR

27. Powers of the ¹Executive Director

- (1) The ¹ Executive Director shall be responsible for the proper functioning of the Board and the implementation of its decisions and the discharge of its duties under the Act.
- (2) The ¹ Executive Director shall be the principal executive officer of the Board and shall exercise administrative control over all departments and officers of the Board.
- (3) Subject to such delegations as may be made by the ¹ Executive Director to such other officers as may be appointed for the purpose of this rule, the ¹ Executive Director shall
 - (a) cause all important papers and matters to be presented to the Board as early as practicable;
 - (b) issue directions as to the method of carrying out the decisions of the Board;
 - (c) grant, or subject to resolution by the Board, authorise some other person to grant, receipts on behalf of the Board for all moneys received under the Act;
 - (d) maintain or cause to be maintained an account of the receipts and expenditure of the Board: and
 - (e) ²present an annual draft report of the working of the Board to the Board for approval and submit the report in the form approved by the Board to the Central Government.
- (4) The ¹ Executive Director shall have power:-
 - (i) ²Omitted
 - (ii) to issue general or special licences under Section 14 and extend the period of validity of such special licences suspend or revoke such licences or restore any licences so suspended;³

1. Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India, Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.

2. Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

3. Amended as per Notification No. G.S.R.1000 dated 18th June 1966 of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India dated 25th June, 1966, Part II, Section 3(1)).

(iii)¹लोप किया गया।

(iv) इस अधिनियम या नियमों द्वारा आवश्यक या उपबोधित जैसे सूचना दस्तावेजों तथा विवरण मांगने या भंडारण या व्यापार के स्थानों का निरीक्षण करने या कराने;

(v) बोर्ड या समिति द्वारा लिये गए निर्णय पर केन्द्र सरकार से (सलाह) मिलने तक उस पर कार्रवाई स्थगित करने हेतु बोर्ड या किसी समिति से अपेक्षा करने के अधिकार होंगे।

- (5) बजट में आवश्यक व्यवस्था के आधार पर आकस्मिक, आपूर्ति एवं सेवा के व्यय तथा बोर्ड के कार्यालय में कार्य हेतु आवश्यक तथा अधिनियम के लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपायों हेतु सामग्रियों की खरीद हेतु व्यय²कार्यपालक निदेशक मंजूर करेंगे।
- (6) उपनियम 4 के खंड (1) से (5) तथा उपनियम 5 के अधीन²कार्यपालक निदेशक अपने किसी भी अधिकार बोर्ड के अन्य किसी भी अधिकारी को लिखित आदेश द्वारा प्रत्यायोजित कर सकते हैं।³
- (7) जब बोर्ड या किसी समिति द्वारा कोई मामला निपटाना हो तथा यथास्थिति बोर्ड या समिति की बैठक होने तक या कागजातों के परिचालित होने तक निर्णय की प्रतीक्षा नहीं की जा सकती है तब²कार्यपालक निदेशक स्वयं एक निर्णय लें तथा निर्णय लेने के बाद बोर्ड या समिति के सदस्यों को उस पर लिए गए निर्णय से अवगत कराना है।

27क. ²कार्यपालक निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव की पंक्ति का अधिकारी होगा।

28. शक्तियों का प्रत्यायोजन

- (1) जैसा उचित समझें ऐसी शक्तियाँ एक समिति को प्रत्यायोजित करने का बोर्ड को अधिकार है।
- (2) बोर्ड द्वारा नियुक्त हर समिति उस को प्रदत्त या अधिनियम या इन नियमों के अधीन प्राप्त शक्तियों का उपयोग बोर्ड संकल्प द्वारा निर्धारित अनुदेशों, निदेशों या परिसीमा कुछ हो तो उसके आधार पर करेगी तथा सभी समितियों की सभी कार्रवाइयाँ बोर्ड के नियंत्रणाधीन होंगी जो ऐसी कार्रवाई जैसे उचित समझे रद्द, निलंबित या परिवर्तित की जा सकती है।

1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)

2 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि.668 (अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित।

3 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर.698 दिनांक 3 मई 1965 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) में दिनांक 8 मई 1965 को प्रकाशित)

(iii) ¹Omitted

(iv) to call for information, documents and returns and to inspect or cause to be inspected, accounts and places of storage or of business, as required or provided by the Act or these rules;

(v) to require the Board or any Committee to defer taking action, pending a reference to the Central Government on any decision taken by the Board or the Committee.

(5) The ²Executive Director may sanction an expenditure on contingencies, supplies and services and purchase of articles required for the working of the office of the Board and required for the execution of measures in furtherance of the object of the Act, subject to the necessary provisions in the budget.

(6) The ²Executive Director may, by order in writing, delegate any of his powers under clauses(i) to (iv) of sub-rule 4 and sub-rule 5 to any other officers of the Board.³

(7) Where a matter has to be disposed of by the Board or a Committee and a decision cannot wait till a meeting of the Board or the appropriate Committee, as the case may be, is held, or till completion of circulation of papers, the ²Executive Director may take a decision himself and after taking decision thereon keep the members of the Board or the Committee informed of the decision so taken.

27A. ² The Executive Director shall be an officer in the rank of Joint Secretary to the Government of India.

28. Delegation of powers

(1) The Board shall have power to delegate to a Committee such power as it deems fit.

(2) Every Committee appointed by the Board shall exercise the powers conferred on it by or under the Act or these rules, subject to such instructions, direction or limitations, if any, as may be defined by resolution of the Board and all acts of all Committees shall be subject to the control of the Board which may cancel, suspend or modify, as it thinks fit, any such act.

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

2 Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India ,Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.

3 Amended as per Notification No. G.S.R.698, dated the 3rd May 1965, Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(1) dated the 8th May 1965.

29. शक्तियों के प्रत्यायोजन में निबंधन

- (1) कार्यकारी समिति के सिवाय किसी समिति को बोर्ड किसी प्रशासनिक या वित्तीय शक्तियाँ प्रत्यायोजित नहीं करेंगे।
- (2) निम्न लिखित किसी भी शक्ति बोर्ड कार्यकारी समिति को प्रत्यायोजित नहीं करेंगे:-
 - (क) किसी एक मद पर 10,000 रु. से अधिक व्यय की मंजूरी देने की शक्ति;
 - (ख) बोर्ड के बजट प्राक्कलन बोर्ड की ओर से स्वीकार करने की शक्ति;
 - (ग) किसी भी एक मद पर भारत से बाहर 5000 रु. से अधिक व्यय मंजूर करने की शक्ति;
 - (घ) किसी एक मद पर 2,500 रु. से अधिक आकलित बचत को पुनर्विनियोग करने की शक्ति;
 - (ङ) किसी एकमात्र मामले में 500 रु. से अधिक नुकसान बट्टे-खाते डालने की शक्ति ।

30. सामान्य निधि से व्यय करने का अधिकार

- (1)¹ अधिनियम तथा इन नियमों के उपबंधों के आधार पर बोर्ड जैसा उचित समझे उतना व्यय ²रबड़ विकास निधि से कर सकते हैं तथा चोरी, कपट या उपेक्षा से होनेवाले एक मद में अधिकतम 10,000 रु. तक अन्य मामलों में 20,000 रु. तक का नुकसान बट्टे खाते डाल सकते हैं तथा जैसा उचित समझे ऐसी शक्तियाँ ³कार्यपालक निदेशक या बोर्ड के अन्य अधिकारियों को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
परंतु, मंजूर बजट आबंटन से अधिक व्यय केन्द्र सरकार से मंजूरी के बिना नहीं किया जाएगा।⁴
- (2) एक ही व्यय शीर्ष के अन्दर (नियम)⁵ 29 के उपनियम 2 के खंड (घ) के अनुसार बोर्ड पुनर्विनियोग कर सकता है, इस निमित्त की शक्तियाँ बोर्ड ³कार्यपालक निदेशक या सचिव को प्रत्यायोजित करें ।
- (3) व्यय शीर्षों ⁴ (प्रशासन, अनुसंधान एवं विकास को छोड़कर अन्य) के बीच का पुनर्विनियोग केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जाएगा ।
- (4) केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना किसी एक मद पर भारत के बाहर 10,000 रु. से अधिक व्यय बोर्ड नहीं करेंगे।

-
- 1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर. 716 (ई) दिनांक 20 जून 1988 के अनुसार संशोधित
 - 2 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.704(ई), दिनांक 25-8-2010 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 25-08-2010 को प्रकाशित)
 - 3 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि.668(अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित।
 - 4 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर.1756 दिनांक 20 नवंबर 1967 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 2 दिसंबर 1967 को प्रकाशित)
 - 5 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ. 549 दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के दिनांक 23 फरवरी 1957)

29. Restriction on delegation of powers

- (1) The Board shall not delegate any administrative or financial power to any Committee, other than the Executive Committee.
- (2) The Board shall not delegate any of the following powers to the Executive Committee:-
 - (a) the power to sanction expenditure in excess of Rs.10,000/- in respect of any single item;
 - (b) the power to adopt the Budget Estimates of the Board on its behalf;
 - (c) the power to sanction expenditure incurred outside India in excess of Rs.5,000/- in respect of any single item;
 - (d) the power to re-appropriate estimated savings in excess of Rs.2,500/- in the case of any single item;
 - (e) the power to write off losses in excess of Rs.500 in any single case

30. Power to incur expenditure from General Fund

- ¹(1) Subject to the provisions of the Act and these rules, the Board may incur such expenditure from the ²Rubber Development Fund, as it may think fit, and write off losses up to a maximum of Rs.10,000/- for losses due to theft, fraud and negligence and Rs.20,000/- for other cases in any single case and may delegate such powers to the ³ Executive Director and other officers of the Board to such extent as it deems fit.

Provided that, save with the sanction of the Central Government, no expenditure shall be incurred which is in excess of the sanctioned budget allotment.⁴

- (2) Re-appropriation within a head of expenditure be made by the Board and, subject to clause (d) of sub-rule (2) of ⁵ Rule (29), the Board may delegate its powers in this behalf to the³ Executive Director or Secretary.
- (3) Re-appropriations between heads of expenditure ⁴ (other than those relating to Administration, Research and Development) shall not be made, save with the previous sanction of the Central Government.
- (4) The Board shall not incur expenditure outside India in excess of Rs.10,000/- on any single item without the previous sanction of the Central Government.

1 Amended as per Notification No. G.S.R. 716(E) dated 20th June 1988 of the Government of India, Ministry of Commerce.

2 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010.

3 Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India ,Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.

4 Amended as per Notification, No. G.S.R. 1756 dated the 20th November, 1967 of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Section (3) dated the 2nd December, 1967).

5 Amended as per Notification No. S.R.O. 549 dated the 14th February, 1957 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Published in the Gazette of India, dated the 23rd February 1957).

130क. लोप किया गया।

31. उधार लेने की शक्ति

बोर्ड केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी से इसके व्यय की पूर्ति करने या धारा 8 में बताये अन्य उद्देश्यों के लिए ¹रबड़ विकास निधि या इसकी अन्य किसी परिसंपत्ति की प्रतिभूति में उधार ले सकते हैं।

परंतु ऋण की तिथि से छः महीने के बाद प्रतिसंदाय कोई उधार नहीं लिया जाएगा।

32. निविदा

- (1) ²हर निविदा जिसमें 20 लाख रुपये से अधिक व्यय होता है। उसके लिए केन्द्र सरकार की पूर्व मंजूरी प्राप्त करने के शर्त पर बोर्ड संविदा कर सकते हैं।
- (2) उपनियम (1) के उपबंध के आधार पर उचित समझें तो बोर्ड इसकी ओर से निविदा करने की शक्ति ³कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।
- (3) ³कार्यपालक निदेशक या ³कार्यपालक निदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा निष्पादित न होने पर ही निविदाएं बोर्ड पर आबंटकर नहीं होगी।
- (4) ⁴बोर्ड द्वारा दिए गए किसी भी आश्वासन या निविदा के लिए ³कार्यपालक निदेशक या बोर्ड के किसी भी अधिकारी या बोर्ड के किसी भी सदस्य जिम्मेदार नहीं होंगे लेकिन उस तरह के वायदे या निविदा होनेवाले दायित्व का निपटान बोर्ड के नियंत्रण की रकम से किया जाएगा।

- 1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (ई) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)
- 2 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर.716 (ई) दिनांक 20 जून 1988 के अनुसार संशोधित
- 3 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि.668(अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित।
- 4 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिसूचना सं.एस आर ओ.549 दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित)

30A. ¹Omitted**31. Borrowing powers**

The Board may with the previous sanction of the Central Government borrow, on the security of the ¹ Rubber Development Fund or any other of its assets, for meeting its expenses or for any other purposes referred to in Section 8 of the Act:

Provided that no loan shall be taken which is repayable later than six months from the date of the loan.

32. Contracts

- (1) ²The Board may enter into contracts provided that every contract which involves an expenditure in excess of 20 lakh rupees, shall require the previous sanction of the Central Government.
- (2) Subject to the provision of sub-rule (1), the Board may delegate to the ³ Executive Director such power for entering into contracts on its behalf as it may think fit.
- (3) Contracts shall not be binding on the Board, unless they are executed by the ³Executive Director, or an officer of the Board duly authorised by the ³Executive Director.
- (4) ⁴Neither the ³Executive Director nor any officer of the Board nor any member of the Board shall be liable for any assurance or contract made by the Board but any liability arising out of such assurance or contract shall be discharged from the moneys at the disposal of the Board.

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

2 Amended as per Notification No.G.S.R. 716(E) dated 20th June, 1988 of the Government of India, Ministry of Commerce).

3 Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India ,Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.

4 Amended as per Notification No. S.R.O. 549 dated the 14th February, 1957 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 dated the 23rd February, 1957).

33. सूचना एवं दस्तावेज मांगने का अधिकार

बोर्ड¹ उन पर एक नोटिस जारी कर सकता है कि-

(क) किसी भी बागान के मालिक को रबड़ से रोपित क्षेत्र या उत्पादन लागत सहित उत्पादन तथा बागान में उत्पादित रबड़ की बिक्री या बागान के स्वामित्व या अन्य किसी मामला जो अधिनियम के अधीन कार्यनिष्पादन में सहायक हो उन पर सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करते हुए निश्चित अवधि के अन्दर जो कि 30 दिनों से कम न हो।

(ख)² किसी भी अनुज्ञप्ति प्राप्त विक्रेता या किसी भी उत्पादनकर्ता या किसी संसाधक या किसी अन्य व्यक्ति जिन्हें बोर्ड समझते हैं कि ऐसे व्यक्ति के पास रबड़ है, उनसे निर्धारित अवधि जो 30 दिन से कम नहीं है, के अन्दर रखे गए रबड़ की स्टॉक तथा रबड़ की बिक्री या अन्य कोई भी बात जो अधिनियम के अन्दर कार्य निष्पादन हेतु आवश्यक समझते हैं उन पर सूचना एवं दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग करते हुए।

³(ग) खंड (क) व (ख) के अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति से सूचना या दस्तावेज प्रस्तुत करने की मांग की गई है तो नोटिस में बताए समय के अन्दर सूचना देंगे या आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे या इसका कारण बताएंगे कि क्यों वह प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं।

³(घ) किसी बागान के मालिक या किसी अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यापारी या किसी निर्माता या किसी संसाधक या किसी भी व्यक्ति अगर उनके कब्जे में रबड़ होने (रखने) का विश्वास किया जा सकता है उनसे सूचना एवं रिकार्ड प्रस्तुत करने की मांग करने हेतु बोर्ड किसी भी अधिकारी को प्राधिकृत कर सकते हैं।

⁴(ङ) लोप किया गया।

⁴(च) लोप किया गया।

-
- 1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (ई) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)
 - 2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिसूचना सं.एस आर ओ.549 दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित)
 - 3 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर 2402, दिनांक 2 सितंबर, 1975 के अनुसार अंतःस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) में दिनांक 20 सितंबर 1975)
 - 4 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार लोप किया गया (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

33. Power to call information and documents

The Board may serve ¹ a notice upon-

- (a) the owner of any estate requiring him to furnish within such period, not being less than 30 days as may be specified in the notice, such information and documents relating to the area planted with rubber or to the production including the cost of production and sale of rubber produced on the estate or to the ownership of the estate or to any other matter as it may deem necessary to enable it to discharge its duties under the Act;
- (b)² any licenced dealer or any manufacturer or any processor or any other person, if the Board has reason to believe that such person has any rubber in his possession, requiring him to furnish within such period, not being less than 30 days as may be specified in the notice, such information and documents relating to the stocks of rubber held and sale of rubber or to any other matter as it may deem necessary to enable it to discharge its duties under the Act.
- (c)³ Any person required to furnish any information or to produce a document under clause (a) or (b) shall furnish such information or produce such document, or show cause why it could not be furnished or produced within the time specified in the notice.
- (d)³ The Board may authorise any officer to call for production of information and records from an owner of an estate, or any licensed dealer or any manufacturer or any processor or any other person if he has reason to believe that such person has any rubber in his possession.
- (e)⁴ Omitted
- (f)⁴ Omitted

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

2 *Amended as per Notification No.S.R.O. 549, dated the February 1957, of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Published in the Gazette of India, part II, Section 3, dated the 23rd February, 1957)*

3 Amended as per Notification No. G.S.R. 2402 dated the 2nd September, 1975 of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (1) dated the 20th September, 1975.

4 Omitted by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017.

33क.¹ लोप किया गया।

33 ख¹. लोप किया गया।

33 ग. ¹लोप किया गया।

33घ. ¹लोप किया गया।

33ङ. ²उत्पाद शुल्क के दावे में छूट देने या परित्यक्त करने की बोर्ड की शक्ति

(1) किसी एकमात्र निर्धारण के मामले में एक हजार रुपये तक रबड़ के उत्पाद शुल्क दावे में छूट देना या परित्यक्त करना नियमानुसार होगा।

परंतु एक वर्ष से अधिक तक लंबित बकाया उत्पाद शुल्क संबंधित राज्य के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा गैर वसूली योग्य प्रभाषित किया हो; परंतु यह और कि-

(क) ऊपर के पैरा के उपबंध में बताए जैसे गैर वसूली योग्य प्रमाणपत्र के बिना सचिव¹ द्वारा ऐसी रकम गैर वसूली योग्य प्रमाणित करने के आधार पर निर्धारण के एक मामले में पचास रुपये तक की छिटपुट रकम बट्टे खाते डाल सकते हैं।

(ख) अगर खंड (क) के अधीन जहाँ पचास रुपये तक की छिटपुट रकम गैर वसूली योग्य प्रमाणित नहीं की जा सकती है संबंधित राज्य के राजस्व प्राधिकारियों को बोर्ड द्वारा एक वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा तथा उचित समय के अन्दर राजस्व प्राधिकारियों द्वारा रकम वसूल नहीं की जाती है तो वसूली को बट्टे खाते डाल देना चाहिए।

(2) उपनियम (1) के अधीन उत्पाद शुल्क के दावे में छूट देने या परित्यक्त करने के बोर्ड की शक्ति वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम 1958 के नियम 10 के उपबंधों पर आधारित होगी।

(3) इस नियम के अधीन अपनी शक्तियाँ बोर्ड जैसा उचित समझें उतनी सीमा तक ³कार्यपालक निदेशक को प्रत्यायोजित कर सकते हैं।

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार लोप किया गया (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर 26 दिनांक 27 दिसंबर 1968 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र के भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में 27 दिसंबर 1968 को प्रकाशित)

3. भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि.668(अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित।

33A. ¹Omitted

33B. ¹Omitted

¹33C. Omitted

¹33D. Omitted

33E. ²Powers of Board to remit or abandon claims to excise duty

(1) It shall be lawful for the Board to remit or abandon claims to excise duty on rubber up to one thousand rupees in any single case of assessment.

Provided that the arrears of excise duty, pending more than a year, have been certified to be irrecoverable by the revenue authorities of the State concerned;
Provided further that-

(a)¹ petty amounts up to fifty rupees in any single case of assessment, may be written off without any certificate of irrecoverability as mentioned in the preceding provision subject to the condition that such amount is certified to be irrecoverable by the Secretary¹

(b) where petty amounts up to fifty rupees cannot be certified as irrecoverable under clause (a), a certificate of recovery shall be issued by the Board to the revenue authorities of the State concerned and the recovery may be written off by the Board if the amounts are not recovered by the revenue authorities within a reasonable time.

(2) The Board's powers under sub-rule (1) to remit to abandon claims to excise duty, shall be subject to the provisions of rule (10) of the Delegation of Financial Powers Rules, 1958.

(3) The Board may delegate its powers under this rule to the ³Executive Director to such extent as it deems fit.

1 Omitted by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017.

2. Amended as per notification no. G.S.R. 26 dated the 27th December, 1968 of the Government of India, Ministry of Commerce (*Published in the Gazette of India, sub Section (1) of Part II Section 3 dt/ the 26th December 1968.*)

3 Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India, Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.

अध्याय VI

बोर्ड के वित्त एवं लेखे

34. बजट प्राक्कलन

- (1) हर वर्ष बोर्ड आगामी वित्त वर्ष की ¹रबड़ विकास निधि के लिए एक बजट तैयार करेंगे और सरकार द्वारा निर्धारित तिथी को या उसके पहले केन्द्र सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेंगे ।
- (2) बजट उस प्रकार होंगे जैसा कि केन्द्र सरकार निदेश देती है और उसमें ये विवरण सम्मिलित रहें-
 - (i) आकलित आदिशेष;
 - (ii) धारा 12 की उपधारा (7) के अधीन केन्द्र सरकार से अनुदान स्वरूप प्राप्त होने के लिए आकलित प्राप्तियाँ ।
 - ²(iii) प्रस्तावित व्यय निम्न शीर्षों में या केन्द्र सरकार के निदेशानुसार ऐसे अन्य शीर्षों में वर्गीकृत होगा:-
 - (क) प्रशासन
 - (ख) कार्य
 - (ग) अनुसंधान
 - (घ) श्रमिक कल्याण
 - (ङ) विकास विभाग
 - (च) पुनःरोपण सहायिकी
 - (छ) कर्मचारियों को अग्रिम
- (3) हर शीर्ष के प्रस्तावित व्यय को फिर से निम्नलिखित उपशीर्षों में वर्गीकृत किया जाएगा:-
 - (i) अधिकारियों का वेतन
 - (ii) स्थापना का वेतन
 - (iii) भत्ते, मानदेय आदि
 - (iv) अन्य खर्च, आकस्मिक व्यय आदि

-
1. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (ई) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)
 2. भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर.1756, दिनांक 20 नवंबर 1967 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 उप खंड 1 में दिनांक 2 दिसंबर 1967 को प्रकाशित)

CHAPTER VI

FINANCE AND ACCOUNTS OF THE BOARD

34. Budget Estimate

- (1) The Board shall in each year prepare a budget for the ¹Rubber Development Fund for the ensuing financial year and shall submit it for the sanction of the Central Government on or before such date as may be appointed by that Government.
- (2) The budget shall be in such form as the Central Government may direct and shall include a statement of-
 - (i) estimated opening balance;
 - (ii) estimated receipts by way of grant from the Central Government under sub-section (7) of Section 12
 - ²(iii) proposed expenditure classified under the following heads or such other heads as the Central Government may direct:-
 - (a) Administration
 - (b) Works
 - (c) Research
 - (d) Labour Welfare
 - (e) Development Department
 - (f) Replanting Subsidy
 - (g) Advances to Employees.
- (3) The proposed expenditure under each head shall be further classified under the following sub-heads:-
 - (i) Pay of Officers
 - (ii) Pay of Establishment
 - (iii) Allowances, Honoraria, etc.
 - (iv) Other charges, contingencies, etc.

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

2 Amended as per Notification No. G.S.R. 1756, dated the 20th November, 1967, of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (1), dated the 2nd December, 1967).

- (4) अतिरिक्त व्यय के प्राक्कलन केन्द्र सरकार की मंजूरी हेतु उनके द्वारा जैसा निदेश दिया जाता वैसे रूप में निर्धारित तिथियों को प्रस्तुत करना चाहिए ।

35. बोर्ड के लेखे

¹रबड़ विकास निधि के लिए बोर्ड अलग अलग लेखाओं का अनुरक्षण करेंगे ।

- (1) ¹रबड़ विकास निधि- रबड़ विकास निधि के संदर्भ में जिसके लिए बजट प्राक्कलन तैयार किया जाता है बोर्ड हर वित्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय के लेखाओं का अनुरक्षण करेंगे ।
- (2) हर अवधि के लिए आय और व्यय के लेखा परीक्षा किए गए विवरण उस पर लेखापाल की रिपोर्ट के साथ केन्द्र सरकार को प्रस्तुत करेंगे।
- (3) ¹प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात विवरण को बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा उस विवरण को बोर्ड के सामने प्रस्तुत करेंगे तथा उसके बाद केन्द्र सरकार को प्रेषित करेंगे।
- (4) लोप किया गया।
- (5) लोप किया गया।²
- (6) अगर कुछ आदिशेष हो तो उसे उसी प्रकार अलग से दिखाया जाएगा।
- (7) वर्ष के दौरान किए गए व्यय को अलग शीर्षों व उपशीर्षों में दर्ज किया जाएगा।
- (8) लेखे में व्यय की और सबसे नीचे वर्ष का अन्तिम शेष दिखाया जाएगा।

¹36. लोप किया गया

-
1. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (ई) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)
 2. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

- (4) Supplementary estimates of expenditure shall be submitted for the sanction of the Central Government in such form and on such dates as may be directed by it.

35. Accounts of the Board

The Board shall maintain separate accounts for the ¹Rubber Development Fund.

- (1) ¹Rubber Development Fund - In respect of ¹Rubber Development Fund for which budget estimates are prepared, the Board shall maintain accounts of receipts and expenditure relating to each financial year.
- (2) The audited statement of receipts and expenditure for each period together with the auditor's reports thereon shall be submitted to the Central Government.
- (3) After the close of each year¹ the statement shall be placed before the Board.
- (4) Omitted.
- (5) Omitted.²
- (6) The opening balance, if any, shall also be stated as such separately.
- (7) Expenditure incurred in the year shall be shown under separate heads and sub-heads.
- (8) The closing balance of the year shall be shown at the foot of the accounts on the expenditure side.

36. ¹Omitted

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

2 Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017

37. बोर्ड की निधियों का बैंकों में जमा तथा ऐसी निधियों का निवेश

- (1) छिटपुट रोकड एवं अधिशेष रकम को छोडकर बोर्ड के चालू व्यय हेतु आवश्यक रकम भारतीय स्टेट बैंक या केन्द्र सरकार द्वारा जैसा अनुमोदित होता है उस प्रकार अन्य ऐसी बैंकों में चालू खाता में रखी जाएगी ।
- ¹(2) चालू व्यय के लिए जो निधि आवश्यक नहीं है उसे केन्द्र सरकार के सार्वजनिक खाते के जमा खाते में डाला जा सकता है या केन्द्र सरकार द्वारा विशेष लक्ष्य से अनुमोदन प्राप्त करके ऐसी बैंकों के हस्वावधि जमाओं में निवेश किया जा सकता है ।
- (3) केन्द्र सरकार में निधि रखने या रकम जमा करने के लिए बोर्ड के ²कार्यपालक निदेशक की मंजूरी आवश्यक है या उनकी अनुपस्थिति में बोर्ड के उपाध्यक्ष की ।
- (4) बोर्ड द्वारा या बोर्ड की ओर से भुगतान नकद या बोर्ड के चालू खाते से आहरित चेक द्वारा किया जाएगा ।
- (5)³ ऐसे चेक तथा जमा करने के सभी आदेश या निवेश या जमाओं की निकासी या निवेश या बोर्ड की निधि का किसी भी तरह का उपयोग ³निदेशक, वित्त या बोर्ड द्वारा इस के लिए प्राधिकृत बोर्ड के अन्य किसी अधिकारी के हस्ताक्षर तथा ²कार्यपालक निदेशक या ²कार्यपालक निदेशक द्वारा प्राधिकृत ³किसी अन्य अधिकारी के प्रति हस्ताक्षर से ही किया जाएगा ।

अध्याय VII

विविध

38³. लोप किया गया

39. रबड़ के व्यापार हेतु अनुज्ञापत्र

- (1) प्रसंस्करणकर्ता को छोडकर प्रत्येक व्यक्ति जो रबड़ (जिसके अंतर्गत आयातित रबड़ भी है)⁴ खरीदने, बेचने या अन्य किसी व्यापार करने के लिए विशेष अनुज्ञापत्र चाहते हैं वे अनुज्ञापत्र के लिए प्रपत्र “ख” में ऑनलाइन⁵ आवेदन करेंगे।
अगर आवेदक की उपयुक्तता के संबंध में बोर्ड संतुष्ट है तो ऑनलाइन⁵ द्वारा प्ररूप “सी” में अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।
- (2) अनुज्ञापत्र संख्यांकित होंगे तथा हस्तांतरणीय नहीं होंगे ।

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर 245 दिनांक 27 जनवरी 1969 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 8 फरवरी 1969 को प्रकाशित)

2 भारत के राजपत्र के भाग II, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5 जुलाई 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. सा का नि. 668(अ), दिनांक 4 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित।

3 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (ई) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)

4 भारत सरकार राजपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2001 के भाग, खंड 3, उपखंड में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा का नि 897 (अ) द्वारा संशोधित.

5 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

37. Deposit of funds of the Board in banks and the investments of such funds

- (1) Money required for current expenditure of the Board, with the exception of petty cash and surplus moneys shall be kept in a current account in the State Bank of India or such other bank as the Central Government may approve.
- (2) ¹Any funds not required for current expenditure may be placed in deposit account with the Central Government in the Public Account or invested in short-term deposits with such banks as may be approved by the Central Government for the purpose.
- (3) The placing of money in deposit with the Central Government shall require the sanction of the ²Executive Director or, in his absence, of the Vice- Chairman of the Board.
- (4) Payments by or on behalf of the Board shall be made in cash or by cheque drawn against the current account of the Board.
- (5) ³Such cheques and all orders for making deposits or investments or withdrawals of deposits or investments or for the disposal in any other manner of the funds of the Board shall be signed by the ³Director of Finance or any other officer of the Board, duly authorised by the Board in this behalf, and countersigned by the ²Executive Director or ³any other officer authorised by the ² Executive Director.

CHAPTER VII MISCELLANEOUS

38. ³Omitted

39. Licence to deal in rubber

- (1) Every person other than processor who wants a special license to purchase, sell or otherwise deal in rubber (including imported natural rubber)⁴ shall apply ⁵online for a license in Form B.

The Board, if it is satisfied with regard to the suitability of the applicant, may issue a licence in Form C by ⁵online.

- (2) The licences shall be numbered and shall not be transferable.

¹ (Amended as per Notification No. G.S.R. 245, dated the 27th January, 1969 of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Sec. 3 sub-section (i) of dated 8th February, 1969.

² Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India, Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.

³ Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

⁴ Amended as per Notification No SO 897 (E) published in the Gazette of India, Part II- Section 3, sub-section (ii) dated 12th December, 2001.

⁵ Amended by Notification no. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017, Published in the Gazette India (Extraordinary) Part II, Sub. Section (i) dated 14th December 2017.

39 क.¹ प्रसंस्करण हेतु रबड़ के अर्जन एवं ऐसे अर्जित रबड़ की बिक्री करने के लिए अनुज्ञापत्र

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो प्रसंस्करण के लिए रबड़ (जिसके अंतर्गत आयातित रबड़ भी है)² अर्जित करने या ऐसे अर्जित रबड़ बेचने या अन्यथा विशेष अनुज्ञापत्र चाहते हैं ऐसे व्यक्ति अनुज्ञापत्र हेतु प्रपत्र “ख” 1 में बोर्ड को³ ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे।
- (2) जब प्रसंस्करण इकाई की स्थापना शेष है तब ऐसे मामलों में हर ऐसे आवेदनों के साथ परियोजना रिपोर्ट भी प्रस्तुत की जाएगी।
- (3) निम्न लिखित बातों पर बोर्ड संतुष्ट है तो इस नियम के अधीन प्रपत्र सी 1 में बोर्ड³ ऑनलाइन अनुज्ञापत्र जारी करेंगे, याने:-
 - (i) आवेदक की उपयुक्तता;
 - (ii) चयनित स्थान की उपयुक्तता
 - (iii) कच्चे माल की उपलब्धता
 - (iv) तकनीकी व्यवहार ज्ञानी की उपलब्धता
 - (v) तकनीकी विनिर्देश हेतु किये गये प्रबंध
 - (vi) आर्थिक साध्यता
- (4) इस नियम के अधीन जारी अनुज्ञापत्र संख्यांकित होंगे तथा हस्तांतरणीय नहीं होंगे।
- (5) इस नियम के अधीन रबड़ (संशोधन) नियम 1974 के प्रारंभ से पहले ही रबड़ के प्रसंस्करण में लगे व्यक्ति के विशेष अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन लिखित रूप में रिकार्ड किये गये विशेष कारणों के अलावा बोर्ड अस्वीकार नहीं करेंगे।

1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर 2402, दिनांक 2 सितंबर, 1975 के अनुसार अंतःस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) में दिनांक 20 सितंबर 1975)

2 भारत सरकार राजपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2001 के भाग, खंड 3, उपखंड में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा का नि 897 (अ) द्वारा संशोधित.

3 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

39 A. ¹Licence to acquire rubber for processing and for selling rubber so acquired

- (1) Every person who wants a special licence to acquire rubber (including imported natural rubber)² for processing or to sell the rubber so acquired after processing or otherwise shall apply online³ to the Board for a licence in Form B1.
- (2) Every such application shall be accompanied by a project report in cases where processing units are yet to be established.
- (3) The Board may issue a special licence online³ under this rule in Form C1, if it is satisfied with regard to the following matters namely:-
 - (i) suitability of the applicant;
 - (ii) suitability of the site selected;
 - (iii) availability of raw materials;
 - (iv) availability of technical know-how;
 - (v) arrangements made for technical specification;
 - (vi) economic feasibility.
- (4) The special licence issued under this rule shall be numbered and shall not be transferable.
- (5) No application for a special licence under this rule made by a person who was processing rubber before the commencement of the Rubber (Amendment) Rules, 1974 shall be rejected by the Board except for special reason to be recorded in writing.

1 Amended as per Notification No. G.S.R. 2402 dated the 2nd September, 1975 of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 sub-section (1) dated the 20th September, 1975.

2 Amended as per Notification No SO 897 (E) published in the Gazette of India, Part II- Section 3, sub-section (ii) dated 12th December, 2001.

3 Omitted by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017.

40. रबड़ अर्जन हेतु अनुज्ञापत्र

कोई विनिर्माता जो खरीद या अन्यथा रबड़ (जिसके अंतर्गत आयातित रबड़ भी है)¹ के अर्जन करने हेतु विशेष अनुज्ञापत्र के अच्छुक है वे प्रपत्र घ में बोर्ड को ²ऑनलाइन आवेदन देंगे। बोर्ड अनुमोदित करें तो ²ऑनलाइन द्वारा प्ररूप ड में अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।

²40 क. अगर कोई निर्माता प्रपत्र ई में विशेष अनुज्ञापत्र रखते हैं और उस अनुज्ञापत्र के अधीन अर्जित रबड़ आपात स्थिति में दूसरे प्रपत्र ई में विशेष अनुज्ञापत्र रखते हैं और उस अनुज्ञापत्र के अधीन अर्जित रबड़ आपात स्थिति में दूसरे प्रपत्र "इ" में विशेष अनुज्ञापत्र रखनेवाले निर्माता को बेचना चाहते हैं तो प्रपत्र "डी1" में बोर्ड को ²ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करेंगे। अगर बोर्ड मंजूर करें तो हर लेने-देने के लिए ²ऑनलाइन द्वारा प्ररूप "ई1" में अनुज्ञापत्र जारी करेंगे।²

³41. लोप किया गया

42. अनुज्ञापत्र को प्रतिसंहत या रद्द करने का अधिकार

बोर्ड किसी भी समय किसी भी अनुज्ञापत्रिधारी को सुनवाए जाने के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद अनुज्ञापत्रिधारी तात्त्विक तथ्यों को दबाकर या गलत ढंग से अनुज्ञापत्र प्राप्त किया समझा जाय या ³यदि वह अधिनियम के किसी उपबंध अथवा अधिनियम के अधीन बनाए गये किसी नियम अथवा अनुज्ञापत्रि की किसी शर्त का उल्लंघन करता है तो अनुज्ञापत्र को प्रतिसंहत या रद्द किया जा सकता है।

43. मासिक व वार्षिक विवरण⁴

- (1) सभी छोटे उत्पादक मांगने पर तथा सभी बड़े उत्पादक प्रपत्र "एच" एवं "एल" में उनके द्वारा रखे गए रबड़ की स्टोक, उत्पादित एवं बचे गए रबड़ की मात्रा आदि ब्यौरा देने वाले सही एवं सच्चे मासिक विवरण प्रस्तुत करेंगे तथा प्रपत्र "एच1" में उसमें बताए जैसा कुल क्षेत्र, रबड़ के अधीन क्षेत्र, रबड़ का उत्पादन, खाद का प्रयोग, पौधा संरक्षण एवं नियोजित श्रमिक आदि का विवरण देने वाला वार्षिक विवरण बोर्ड को ²ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।
- (2) सभी अनुज्ञापत्र प्राप्त व्यापारी प्रपत्र "एच2" व "एल" में सही व सच्चे मासिक विवरण जिसमें उनके द्वारा रखे गए रबड़ स्टोक, अर्जित व बचे गए रबड़ का विवरण दिखाकर ²ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।
- (3) सभी निर्माता प्रपत्र "के" व "एल" में सही व सच्चे मासिक विवरण जिसमें उनके द्वारा अर्जित, उपयुक्त एवं बचे गए रबड़ स्टॉक का ब्यौरा होना चाहिए तथा प्रपत्र "के1" में अन्तिम उत्पाद के संदर्भ में उपभोग किए गए विभिन्न तरह के रबड़ का जैसा कि उसमें मांगा गया है उस तरह का विवरण देनेवाला वार्षिक विवरण ²ऑनलाइन प्रस्तुत

1 भारत सरकार राजपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2001 के भाग, खंड 3, उपखंड में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा का नि 897 (अ) द्वारा संशोधित.

2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

3 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (ई) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)

4 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर 2402, दिनांक 2 सितंबर, 1975 के अनुसार अंतःस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) में दिनांक 20 सितंबर 1975)

40. Licence to acquire rubber

Any manufacturer desiring a special licence to purchase or otherwise acquire rubber (including imported natural rubber)¹ shall apply online² to the Board in Form D. If the Board approves, a licence may be issued in Form E by online².

²**40A.** Any manufacturer holding a special licence in Form E and desiring in an emergency to sell rubber acquired by him under that licence to another manufacturer holding a special licence in Form E, shall apply online² to the Board in Form 'D1'. If the Board approves, a licence may be issued in Form 'E1' by online² for each such transaction.

³**41. Omitted**

42. Power to revoke or cancel licences

The Board may, at any time, after affording a reasonable opportunity to the licensee to be heard, revoke or cancel any licence if it is satisfied that the licensee obtained the licence by misrepresentation of facts or fraud or ³if contravenes any of the provisions of the Act or rule made under the Act or conditions of the licence.

43. ⁴Monthly and annual returns

- (1) Every small grower, when required to do so, and every large grower shall submit online² to the Board a true and correct monthly return in Forms H&L, giving the particulars of rubber stock held, produced or disposed of by him, and an annual return in Form H1, giving the particulars of total area, area under production of rubber, manuring, plant protection and labour employed as required therein.
- (2) Every licenced dealer shall submit online² to the Board, a true and correct monthly return in Forms H2 and L, giving the particulars of rubber stock held, acquired or disposed of by him.
- (3) Every manufacturer shall submit online² to the Board, a true and correct monthly return in Forms K and L, giving the particulars of rubber stock acquired,

1 Amended as per Notification No SO 897 (E) published in the Gazette of India, Part II- Section 3, sub-section (ii) dated 12th December, 2001.

2 Omitted by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017.

3 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

4 Amended as per Notification No. GSR 2402 dated the 2nd September 1975, of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, sub-section (1) dated 20-09-1975).

करेंगे।

- (4) हर एक संस्करणकर्ता अगर उनके पास नियम 39 क के अधीन जारी वैध अनुज्ञापत्र हो या नहीं, वे प्रपत्र एच3 एवं एल1 में उसमें बताए अनुसार उनके द्वारा रखे गए रबड़ की स्टॉक, अपने ही उत्पादन से उपयुक्त किये गए या प्रक्रमण हेतु अर्जित एवं बेचे गए रबड़ का विवरण देते हुए सही व सच्चे मासिक विवरण ¹ऑनलाइन प्रस्तुत करेंगे।

43क. इस अधिनियम या नियमों के अनुसार किसी व्यक्ति को कोई विवरण या ब्यौरा ¹ऑनलाइन प्रस्तुत करना पड़ता है तथा किसी अवधि के लिए विवरण या ब्यौरा में कोई जानकारी प्रस्तुत करने के लिए नहीं हो तो वह व्यक्ति "शून्य" विवरण प्रस्तुत करेंगे।

43 ख. लोप किया गया¹

44. रजिस्टर

बोर्ड निम्न लिखित रजिस्टर बनाए रखेंगे, याने:-

- (क) बागानों का रजिस्टर
- (ख) अनुज्ञापत्र प्राप्त व्यापारियों का रजिस्टर
- (ग) रबड़ की खरीद हेतु अनुज्ञापत्र जारी निर्माताओं का रजिस्टर
- (घ)¹ अनुज्ञापत्रित एवं अन्य संस्करणकर्ताओं का रजिस्टर

45². लाइसेंस शुल्क

बोर्ड इन नियमों के अधीन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए निम्न लिखित दरों पर एक वर्ष या उसके भाग के लिए फीस का उदग्रहण करेगा:-

- (क) विनिर्माता को 100 किलोग्राम से अधिक, परंतु 4 टन से अनधिक रबड़ की खरीद हेतु ⁴500/-रुपयो प्रति अनुज्ञप्ति;
- (ख) विनिर्माता को 4 टन से अधिक, रबड़ की खरीद हेतु - ⁴1000/- रुपए प्रति अनुज्ञप्ति;

- 1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)
- 2 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर 2402, दिनांक 2 सितंबर, 1975 के अनुसार अंतःस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) में दिनांक 20 सितंबर 1975)
- 3 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (ई) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)
- 4 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 18 (ई) दिनांक 8 जनवरी 2018 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 8 जनवरी 2018 को प्रकाशित)

consumed or disposed of by him, and an annual return in Form K1, giving the particulars of consumption of various kinds of rubber in relation to end products, as required therein.

- (4) Every processor whether he holds a valid licence issued under rule 39A or not, shall submit online¹ to the Board, a true and correct monthly return in Forms H3 and L1, giving the particulars of rubber stock held, used out of own production or acquired for processing and disposed of by him as required therein.

43A. Where the Act or these rules require any person to submit online¹ any statement or return, that person shall submit a 'nil' statement or return for any period for which there are no particulars to be furnished in the statement or return.

43B. Omitted¹

44. Registers

The Board shall maintain the following registers, namely:-

- (a) a register of estates;
- (b) a register of dealers licensed;
- (c) a register of manufactures to whom licences for purchase of rubber have been issued;
- (d) ²a register of licenced processors and other processors.

45. ³Licence fees

The Board shall levy fees at the following rates for a year or a part of a year for issuing licences under these rules to:-

- (a) manufacturer for purchase of rubber exceeding 100 kilograms, but not exceeding 4 tonnes - ⁴Rs. 500 per licence.
- (b) manufacturer for purchase of rubber exceeding 4 tonnes, ⁴Rs. 1000 per licence.

1 Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017

2 Inserted as per Notification No G.S.R. 2402 dated 2nd September 1975 of the Government of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(1) dated 20th September 1975

3. Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 15th August 2010

4 Amended by Notification No. G.S.R. 18 (E) dated 08th January 2018 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3 Sub-section (i) dated 08th January 2018.

(ग) ब्यौहारी - 11000/-रुपए प्रति अनुज्ञप्ति;

(घ) प्रसंस्करणकर्ता को प्रसंस्करण के लिए रबड़ के अधिग्रहण एवं इस प्रकार अधिग्रहित रबड़ की बिक्री - 11000/-रुपए प्रति अनुज्ञप्ति; तथा

(ङ) प्ररूप ङ मे विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक विनिर्माता द्वारा प्ररूप ङ में विधिमान्य अनुज्ञप्ति धारक विनिर्माता दूसरे विनिर्माता को आपात स्थिति में रबड़ की बिक्री के लिए 4500/- रुपए प्रति अनुज्ञप्ति

46². लोप किया गया

47². आयुक्त की शक्तियाँ एवं कार्य

बोर्ड के विकास कार्यक्रमों के प्रभारी आयुक्त रहेंगे। ³कार्यपालक निदेशक को तकनीकी विकास कार्यों के सलाह देने तथा ³कार्यपालक निदेशक द्वारा उनको प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग करने के अलावा रबड़ उत्पादकों को वे तकनीकी सलाह भी उपलब्ध करा देंगे।

48². रबड़ का श्रेणीकरण व विपणन

- (1) नियम 39क में निर्दिष्ट प्रसंस्करणकर्ता और प्रत्येक व्यक्ति ऐसे मानकों के अनुरूप अपने उत्पादों का श्रेणीकरण और विपणन करेगा जो भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किए जाएं।
- (2) किसी भी सम्पदा के स्वामी अथवा ब्यौहारी अथवा प्रसंस्करणकर्ता अथवा विनिर्माता अथवा आयातकर्ता अथवा निर्यातकर्ता खरीदा गया, बेचा गया अथवा अधिग्रहित अथवा व्यपगत क्या गया अथवा कब्जे में रखा गया तकनीकी दृष्टि से विनिर्दिष्ट रबड़ ऐसे मानकों के अनुरूप होगा जिन्हें भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाए।

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 18 (ई) दिनांक 8 जनवरी 2018 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 8 जनवरी 2018 को प्रकाशित)

2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (ई) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)

3 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर 26 दिनांक 27 दिसंबर 1968 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र के भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में 27 दिसंबर 1968 को प्रकाशित) और भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर.716 (ई) दिनांक 20 जून 1988 के अनुसार संशोधित

- (c) dealer ¹Rs. 1000 per licence.
- (d) processor for acquisition of rubber for processing and sale of rubber so acquired ¹Rs. 1000 per licence; and.
- (e) manufacturer holding a valid licence in form E for selling rubber to another manufacturer holding a valid licence in Form E in emergencies, ⁴Rs. 500 per licence.

46. ²Omitted

47. ³Powers and duties of the Commissioner

The Commissioner shall be in charge of development programmes of the Board. Besides advising the ¹Executive Director in technical and development matters and exercising powers that may be delegated to him by the ¹Executive Director, he shall make technical advice available to the rubber growers.

48. ²Grading and marketing of rubber.

- (1) Every processor and every person referred to in rule (39 A) shall grade and market his products in conformity with such standards as are specified by the Bureau of Indian Standards from time to time.
- (2) Technically specified rubber purchased, sold or otherwise acquired or disposed of or possessed by any owner of estate, dealer, processor, manufacturer, importer and exporter shall be in conformity with such standards as are specified by the Bureau of Indian Standards from time to time.

1 Amended as per Notification No G.S.R. 18 (E) dated 08th January 2018 published in the Gazette of India (Extraordinary), Part II- Section 3, sub-section (i) dated 08th January 2018.

2 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010

3 Amended by Notification No. G.S.R. 27 dated 27th December 1968 of the Govt. of India, Ministry of Commerce (Published in the Gazette of India Part II Sec. 3 Sub Section (i) dated 27th Dec. 1968) and amended as per notification No. G.S.R. 716 (E) dated 20th June 1988 of G.O.I., Ministry of Commerce.

- (3) उप नियम (1) के अधीन अधिकथित निर्धारित गुणवत्ता मानदण्डों का दृढता से अनुपालन सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए बोर्ड का कोई भी अधिकारी जिसे ¹कार्यपालक निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, किसी सम्पदा के स्वामी, ब्यौहारी, प्रसंस्करणकर्ता, विनिर्माता, आयातकर्ता अथवा निर्यातकर्ता द्वारा बेचे गए अथवा अन्यथा अधिग्रहित किए गए अथवाव्यपगत किए गए अथवा कब्जे में रखे गए रबड़ का निरीक्षण किसी भी उचित समय पर कर सकता है।

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 668 (ई) दिनांक 04 जुलाई 2016 के अनुसार संशोधित

- (3) Any officer of the Board authorized by the ¹ Executive Director may at any reasonable time inspect the rubber sold or otherwise acquired or disposed of or possessed by any owner of estate, dealer, processor, manufacturer, importer and exporter for the purpose of ensuring the strict compliance of the quality standards laid down by the Board under sub-rule(1)

1 Amended as per Notification No G.S.R 668(E) dated 4th July 2016 of the Government of India ,Department of Commerce, published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 5th July 2016.

प्रथम अनुसूची
[नियम 2(vi) देखिए]
प्ररूप क लोप किया गया¹
प्रपत्र बी
[नियम 39 (1) देखिए]
रबड़ बोर्ड

रबड़ के व्यापार के लिए विशेष अनुज्ञापत्र की प्राप्ति का आवेदन

1. संस्था का नाम (साफ अक्षरों में)
2. कारोबार के स्थान का पूरा पता
3. गोदाम के स्थान का पूरा पता²
4. संस्था के मालिक या निदेशकों⁴ या साझेदारों का पूरा नाम, उम्र और स्थायी पता
5. (क) क्या आप रबड़ बोर्ड के अधीन एक अनुज्ञापत्रित रबड़ व्यापारी रहे ?
 (ख) है तो आपके व्यापारी पंजीकरण संख्या लिखिए ।
6. आप किस तारीख से रबड़ का व्यापार कर रहे हैं ?
7. प्रतिष्ठान की निवेशित पूंजी या आर्थिक स्थिति
8. पिछले पाँच वर्षों के हर एक साल में आपके द्वारा खरीदे और बेचे हुए रबड़ का कुल परिमाण ?
 खरीदा हुआ रबड़ (कि.ग्रा.में)³ बेचे हुआ रबड़ (कि.ग्रा.में) (यथार्थ संख्या प्राप्त नहीं है तो सन्निकट संख्या लिखिए)
 मैं घोषित करता हूँ कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उक्त विवरण ठीक है ।

तारीख.....

आवेदक का हस्ताक्षर

-
- 1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (अ) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)
 - 2 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर.1000, दिनांक 18 जून 1966 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 (1) में दिनांक 25 जून 1966 को प्रकाशित)
 - 3 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर.65, दिनांक 28 दिसंबर 1964 के अनुसार संशोधित, प्रपत्र बी, सी, डी, जी1, ई, ई1, एच तथा के में जहाँ तहाँ lbs का प्रयोग हुआ है वहाँ किलो ग्राम शब्द प्रतिस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 (1) में दिनांक 9 जनवरी 1965 को प्रकाशित)
 - 4 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.760(ई), दिनांक 15-10-2009 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 16-10-2009 को प्रकाशित)

THE FIRST SCHEDULE

[See Rule 2 (vi)]

¹FORM A (Omitted)

FORM B

[See Rule 39 (1)]

THE RUBBER BOARD

Application for the issue of a Special Licence to deal in rubber

1. Name of the firm (in Block Letters).
2. Address in full of the place of business.
3. Address in full of the place of storage².
4. Full name, age and permanent address of proprietor or ⁴directors or partners of the firm.
5. (a) Have you been a licenced rubber dealer under the Rubber Board?
(b) If so, please quote your Dealer's Reg.No.
6. From what date have you been dealing in rubber?
7. Invested capital or financial standing of the firm.
8. What was the total quantity of rubber purchased and sold by you during each of the previous five years?

RUBBER PURCHASED (in kg.³) RUBBER SOLD (in kg.)

(If accurate figures are not available approximate figures may be given.)

I declare that the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

Date.....

Signature of applicant

- 1 *Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 25th August 2010*
- 2 *Inserted as per Notification No. G.S.R. 1000 dated the 18th June 1966 of the Government of India, Ministry of Commerce, published in the Gazette of India, Part II, Section 3 (i) dated the 25th June 1966)*
- 3 *In Forms B, C, D, D1, E, E1, H and K for the abbreviation 'lbs' wherever it occurs, the abbreviation 'kg' has been substituted as per G.O.I. Ministry of Commerce, Notification No. G.S.R. 65, dated 28th December, 64, (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 (1), dated the 9th January 1965).*
- 4 *Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009*

1^{प्रपत्र बी 1}
(नियम 39क देखिए)
रबड़ बोर्ड

प्रसंस्करण एवं क्रय करने के लिए रबड़ अर्जन करने को विशेष अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम व पूरा पता
2. आवेदक का पद; क्या व्यक्ति; भागीदारी; प्राइवट लिमिटेड कंपनी; प्राथमिक विपणन सहकारी संघ या अपेक्स सहकारी संघ
3. यथास्थिति मालिक/मालिकों साझेदारों या निदेशकों के पूरा नाम, उम्र एवं स्थायी पता
4. (क) यथास्थिति प्रसंस्करण यूनिट का स्थान या प्रसंस्करण यूनिट के प्रस्तावित स्थान का पूरा पता
(ख) प्रसंस्करण² यूनिट के स्थान के संबंध में स्वामित्व का विवरण
5. भंडार के स्थान का पूरा पता, है तो
6. (क) क्या आप रबड़ अधिनियम, 1947 (1947 का 24) के अधीन एक अनुज्ञापत्रित व्यापारी या विनिर्माता रहे हैं?
(ख) हाँ तो, आपकी पंजीकरण संख्या लिखिए
7. रबड़ प्रसंस्करण के अलावा अन्य कोई कारोबार कर रहे है या करना चाहते हैं ?
8. निवेशित पूँजी या वित्तीय स्थिति
9. प्रसंस्करण यूनिट ²(प्रतिदिन क्षमता x दिनों की संख्या के आधार पर) की प्रस्तावित क्षमता या संस्थापित क्षमता क्या हैं?
10. कच्चे मालों की पूर्ती का स्रोत क्या है ?

-
- 1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर. 2402, दिनांक 02-09-1975 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (1) में दिनांक 20-09-1975 को प्रकाशित)
 - 2 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.760(ई), दिनांक 15-10-2009 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 16-10-2009 को प्रकाशित)

FORM B1**[See Rule 39A]****THE RUBBER BOARD**

Application for Special Licence to acquire rubber for processing and for selling rubber acquired.

1. Name and full address of the applicant.
2. Status of the applicant; whether individual; partnership; Private Limited Company; Public Limited Company; Primary Marketing Co-operative Society; or Apex Co-operative Society.
3. Full name, age and permanent address of proprietor, proprietors, partners or directors as the case may be.
4. (a) Address in full of the location of the processing unit or the proposed location of the processing unit, as the case may be.
(b) Details of ²ownership regarding the site of the processing unit.
5. Address in full of the place of storage, if any.
6. (a) Have you been a licenced dealer or manufacturer under the Rubber Act, 1947 (24 of 1947)?
(b) If so, please quote your Registration No.
7. Are you doing or proposing to do any business other than processing rubber ?
8. Invested capital or financial standing.
9. What is the proposed capacity or installed capacity of the processing unit? ²(Capacity per day x number of days basis)
10. What is the source of supply of raw materials?

1 *Inserted as per Notification No. G.S.R. 2402, dated 2-9-1975, of the Government of India, Ministry of Commerce, (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3 (1) dated 20-9-1975).*

2 *Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009.*

11. क्या आप संसाधन को मशीनरी की आयात या देशज जैसे का निर्माण कर रहे है
12. आवश्यक तकनीकी जानकारी के लिए आप ने क्या प्रबंध किया है ?
13. भारतीय मानक ब्यूरो¹ के मानक के अनुसार तकनीकी विनिर्देशन के लिए आप ने क्या प्रबंध किया है ?
- ¹14. पिछले पाँच वर्षों में आप द्वारा अर्जित प्रसंस्कृत एवं बिक्रीत रबड़ के कुल परिमाण क्या था ?

वर्ष	अर्जित रबड़	प्रसंस्कृत रबड़	बिक्रीत रबड़
------	-------------	-----------------	--------------

(अगर यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं है तो सन्निकट आंकड़े दिये जाए)

मैं घोषणा करता/ती हूँ कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है ।

स्थान:

तारीख:

आवेदक का हस्ताक्षर

(अप्रयोज्य मदों को काट दीजिए)

1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.760(अ), दिनांक 15-10-2009 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 16-10-2009 को प्रकाशित)

11. State whether you are proposing to import the machinery or fabricate the same indigenously.
12. What arrangements have you made for the necessary technical know how?
13. What arrangements have you made for technical specification as per the ¹standards of the Bureau of Indian Standards?
- ¹14. What was the total quantity of rubber acquired, processed and sold by you during the previous five years?

Year	Rubber acquired	Rubber processed	Rubber sold
------	-----------------	------------------	-------------

(If accurate figures are not available, approximate figures may be given)

I declare that the statements made above are true to the best of my knowledge and belief.

Place:

Date:

Signature of Applicant.

(Strike off inapplicable items)

¹ Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009

1प्रपत्र सी

(नियम 39 (1) देखें)

रबड़ बोर्ड

पंजीकरण सं.....अनुज्ञापत्र सं.....दिनांक.....
श्री/सर्वश्री.....के.....को

निम्न लिखित शर्तों के आधार पर किसी भी पंजीकृत बागान या अनुज्ञप्त व्यापारी से खरीद या अन्यथा रबड़ (जिसके अंतर्गत आयातित रबड़ भी है) के अर्जन करने तथा किसी अनुज्ञप्त व्यापारी या अनुज्ञप्त निर्माता को रबड़ बेचने के लिए प्राधिकृत किया जाता है:²

यह अनुज्ञापत्र दोनों दिन सहितसे..... तक लागू रहेगा तथा यह हस्तांतरणीय नहीं है ।

शर्तें

- (1) अनुज्ञप्त व्यापारी या पंजीकृत बागान के सिवाय किसी भी व्यक्ति से रबड़ खरीदा नहीं जाएगा तथा अनुज्ञप्त व्यापारी या अनुज्ञप्त निर्माता के सिवाय किसी को रबड़ नहीं बेचा जाएगा ।
- (2) अनुज्ञप्तिधारी किसी भी व्यक्ति के लिए उस व्यक्ति के प्राधिकृत अभिकर्ता न होने पर रबड़ खरीदा या बेचा नहीं जाएगा तथा ऐसे प्राधिकार रबड़ बोर्ड की पुस्तकों में प्रविष्टि की जानी भी है ।
- (3) अनुज्ञप्तिधारी हर खरीदी के वक्त बेचनेवाले को निम्नलिखित विवरण वाले खरीद बिल जारी करेंगे ।

- क. अनुज्ञप्तिधारी के अनुज्ञापत्र संख्या तथा पता
- ख. बेचनेवाले की अनुज्ञापत्र सं. या पंजीकरण संख्या तथा पता
- ग. खरीद की तारीख
- घ. रबड़ की श्रेणी
- ङ. भार कि.ग्रा.में
- च. 100 कि.ग्रा. की दर
- छ. रकम

4. ³अनुज्ञापत्र के आवेदन में बताए गए व्यापार के स्थान एवं भंडार के स्थान के लिए ही अनुज्ञापत्र वैध होगा ।

कोट्टयम, केरल राज्य,
दिनांक.....

कृते रबड़ बोर्ड
सचिव

- 1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ. 549, दिनांक 14 फरवरी 1957, एस आर ओ.2824 दि.30 अगस्त 1957 और एस आर ओ.2905 दिनांक 5 सितंबर 1957 के अनुसार संशोधित।
- 2 भारत सरकार राजपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2001 के भाग , खंड 3, उपखंड में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा का नि 897 (अ) द्वारा संशोधित
- 3 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर.1000, दिनांक 18 जून 1966 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 (1) में दिनांक 25 जून 1966 को प्रकाशित)

FORM C
(See Rule 39 [1])
THE RUBBER BOARD

Reg. No.....Licence No.....Date.....

Mr./Messrs..... of.....

Mr/Messrs.....is/are hereby authorized to buy, or otherwise acquire rubber (including imported natural rubber) from any registered estate or any licensed dealer and sell Rubber to another licensed dealer or licensed manufacturer subject to the following conditions.²

This licence shall remain in force from.....
both days inclusive, and it is not transferable.

Conditions

- (1) No rubber shall be purchased from any person other than a licensed dealer or a registered estate and no rubber shall be sold to any person other than a licensed dealer or a licensed manufacturer.
- (2) The licensee shall not purchase or sell rubber on behalf of any other person unless he is an authorised agent of such person, and such authorisation has been registered in the books of the Rubber Board.
- (3) The licensee shall issue a purchase bill to the seller every time a purchase is made containing the following particulars;
 - a. Licence number and address of the licensee.
 - b. Licence number or registration number and address of the seller.
 - c. Date of purchase.
 - d. Grade of Rubber.
 - e. Weight in kg.
 - f. Rate per 100 kg.
 - g. Amount.
4. ³The licence shall be valid only in respect of the place of business and the place of storage mentioned in the application for the licence.

Kottayam, Kerala State,
 Date.....

For the Rubber Board,
 Secretary.

1 Amended as per Notification No. S.R.O. 549, dated the 14th February 1957 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, dated the 23rd February 1957)

2 Amended as per Notification No:SO897(E) published in the Gazette of India, Part II-Section-3, sub-section (ii) dated 12th December, 2001

3 Inserted as per Notification No. G.S.R. 1000 dated the 18th June 1966 of the Government of India, Ministry of Commerce, published in the Gazette of India, Part II, Section 3 (i) dated the 25th June 1966)

1प्रपत्र सी 1

(नियम 39 क देखिए)

रबड़ बोर्ड

संसाधन के लिए रबड़ खरीदने एवं ऐसे प्राप्त रबड़ को बेचने के लिए विशेष अनुज्ञापत्र

पंजीकरण सं..... अनुज्ञापत्र सं..... तारीख.....

श्री/सर्वश्री के को निम्न लिखित शर्तों के अनुसार किसी पंजीकृत बागान या किसी अनुज्ञापत्रित व्यापारी से संसाधन के लिए रबड़ (जिसके अंतर्गत आयातित रबड़ भी है) खरीदने या अन्य प्रकार से प्राप्त करने और संसाधन बाद ऐसे प्राप्त रबड़ को किसी अनुज्ञापत्रित व्यापारी या अनुज्ञापत्रित विनिर्माता को बेचने या अन्य प्रकार से निपटाने के लिए एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है।²

यह अनुज्ञापत्र से तक दोनों दिनों को मिलाकर लागू में रहेगा और अंतरणीय नहीं हैं ।

शर्तें

- (1) एक अनुज्ञापत्रित व्यापारी या एक पंजीकृत एस्टेट को छोड़कर किसी व्यक्ति से रबड़ नहीं खरीदना चाहिए और वैसे ही एक अनुज्ञापत्रित व्यापारी या एक अनुज्ञापत्रित विनिर्माता को छोड़कर किसी को रबड़ नहीं बेचना चाहिए।
- (2) रबड़ बोर्ड की बहियों में पंजीकृत किये बिना अनुज्ञप्तधारी को क्रय डिपो या शाखायें और अतिरिक्त यूनितें नहीं खोलना चाहिए और अभिकर्ताओं की नियुक्ति भी नहीं करना है।
- (3) रबड़ बोर्ड की पूर्व अनुमोदन पाये बिना अनुज्ञप्तधारी को किसी दूसरे व्यक्ति के लिए रबड़ नहीं खरीदना या बेचना चाहिए।
- (4) अनुज्ञापत्र के आवेदन में दिखाये गोदाम के स्थान एवं व्यापार स्थान के संबंध में और उक्त शर्त (2) के अनुसार पंजीकृत स्थानों के संबंध में ही यह अनुज्ञापत्र मान्य रहेगा ।
- (5) रबड़ अधिनियम 1955 के नियम 48 के अनुसार ही अनुज्ञप्तधारी को रबड़ का वर्गीकरण एवं विपणन करना चाहिए।
- (6) अनुज्ञप्तधारी को क्रय करते समय एक क्रयबिल देना चाहिए जिस में निम्नलिखित विवरण होगा है:-
 - (क) क्रय अनुज्ञप्तधारी का पता एवं अनुज्ञापत्र संख्या।
 - (ख) विक्रेता का पता और अनुज्ञापत्र या पंजीकरण संख्या।
 - (ग) क्रय की तारीख।
 - (घ) खरीदे रबड़ का कुल परिमाण (कि.ग्राम में)।
 - (ङ) खरीदे रबड़ का वर्ग एवं प्रकार।
 - (च) लाटेक्स के संबंध में अनुमानित शुष्क रबड़ वस्तु (कि.ग्राम में)।
 - (छ) प्रति 100 कि.ग्राम शुष्क रबड़ की दर।
 - (ज) भुगतान की गयी कुल रकम।
- (7) अनुज्ञप्तधारी को हर बिक्री के समय उससे एक क्रय बिल पाना चाहिए जिसको यह रबड़ बेचता है, जिस में निम्नलिखित विवरण होना है:-

FORM CI
(See Rule 39 A)
THE RUBBER BOARD

Special Licence to acquire rubber for processing and for selling rubber so acquired.
 Registration No.....Licence No..... Date.....

Mr./Messrs.....of.....is/are
 hereby authorized to buy, or otherwise acquire rubber (including imported natural
 rubber) from any registered estate or any licensed dealer for processing and to sell or
 otherwise dispose of rubber so acquired after processing or otherwise to any licensed
 dealer or licensed manufacturer subject to the conditions specified below:-²

This licence shall remain in force from.....
 to..... both days inclusive and is not transferable.

Conditions

- (1) No rubber shall be purchased from any person other than a licensed dealer or a registered estate and no rubber shall be sold to any person other than a licensed dealer or licensed manufacturer.
- (2) The licensee shall not open purchase depots or branches and additional units and shall not appoint agents without the same being registered in the books of the Rubber Board.
- (3) The licensee shall not purchase or sell rubber on behalf of any other person without obtaining the prior approval of the Rubber Board.
- (4) The licence shall be valid only in respect of the place of business and place of storage mentioned in the application for licence and in respect of the places registered with the Board under condition (2), above.
- (5) The licensee shall grade and market rubber in accordance with rule 48 of the Rubber Rules, 1955.
- (6) The licensee shall issue a purchase bill every time a purchase is made containing the following particulars, namely:-
 - a. Licence No.and address of the purchasing Licensee.
 - b. Licence No. or registration number and address of the seller.
 - c. Date of purchase.
 - d. Total quantity of rubber purchased (in kgs.).
 - e. Form and grade in which rubber is purchased.
 - f. Estimated dry rubber content (in kgs.) in case of latex.
 - g. Rate per 100 kgs. of dry rubber.
 - h. Total amount paid.
- (7) The licensee shall obtain a purchase bill from the person to whom he sells rubber, every time a sale is made, containing the following particulars, namely:-

- (क) विक्रय अनुज्ञापत्तधारी का पता एवं अनुज्ञापत्र संख्या ।
 (ख) विक्रेता का पता एवं अनुज्ञापत्र संख्या ।
 (ग) बिक्री की तारीख ।
 (घ) रबड़ का वर्ग
 (ङ) परिमाण (कि.ग्राम में) या डी आर सी
 (च) प्रति 100 कि.ग्राम का दर या डी आर सी ।
 (छ) कुल बिक्री आय

कोर्टयम, केरल राज्य
 दिनांक.....

रबड़ बोर्ड के लिए
 सचिव

-
- 1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर. 2402, दिनांक 02-09-1975 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (1) में दिनांक 20-09-1975 को प्रकाशित)
- 2 भारत सरकार राजपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2001 के भाग , खंड 3, उपखंड में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा का नि 897 (अ) द्वारा संशोधित

- (a) Licence Number and address of the selling Licensee.
- (b) Licence Number and address of the buyer.
- (c) Date of sale.
- (d) Grade of Rubber.
- (e) Quantity in kgs. or D.R.C.
- (f) Rate per 100 kg. or D.R.C.
- (g) Total sale proceeds.

Kottayam, Kerala State,
Date.....

For the Rubber Board,
Secretary.

-
- 1 *Inserted as per Notification No. G.S.R. 2402, dated 02-09-1975, of the Government of India, Ministry of Commerce, (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated 20-09-1975)*
 - 2 *Amended as per Notification No:SO 897(E) published in the Gazette of India, Part II-Section-3, sub-section (ii) dated 12th December, 2001*

प्ररूप डी¹
(नियम 40 देखिए)
रबड़ बोर्ड

रबड़ खरीदने या अन्य प्रकार से प्राप्त करने के विशेष अनुज्ञापत्र के लिए आवेदन

21. इकाई का नाम और कार्यालय पता
2. रबड़ की आवश्यकता संबंधी विशिष्टियाँ और उसके ब्यौरेसे तक की अवधि के लिए

(क) वर्ष और अपेक्षा	वर्ग	पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पाँचवां वर्ष
(ख) आवेदित रबड़ का परिमाण एवं इसका अपेक्षित कालांश (लेटेक्स की दशा में सूखे रबड़ का भार दर्शाएँ)						
(ग) पिछले साल का वास्तविक उपभोग	वर्ग			टन		
(घ) आवेदन की तारीख में या खरीदे और मार्ग में स्थित या सुपुर्दगी के लिए प्रतिक्षित रबड़ का स्टोक						

3. सामान्य विशिष्टियाँ

(क) अनुज्ञाप्ति फीस:	डिमांड ड्रफ्ट या मनी आर्डर या केश प्राप्ति सं.	तारीख	रुपए	(ख) रजिस्ट्रीकरण सह अनुज्ञाप्ति सं. (नवीकरण की दशा में लागू होना)

- 1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी.एस.आर.760 (अ) दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 16 अक्टूबर 2009)
- 2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (इ) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार लोप किया गया (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

FORM D¹
(See Rule 40)
THE RUBBER BOARD
APPLICATION FOR SPECIAL LICENCE TO PURCHASE OR OTHERWISE ACQUIRE RUBBER

21. NAME AND OFFICE ADDRESS OF THE UNIT TELEPHONE NO. & EMAIL (in capital letters)
2. PARTICULARS OF REQUIREMENT OF RUBBER AND DETAILS THEREOF: For the period from to

(a) Year and requirement	Grade	1 st Year	2 nd Year	3 rd Year	4 th Year	5 th Year
(b) Quantity of rubber applied for and the period for which it is required (show dry rubber weight in the case of latex)						
(c) Actual consumption during the previous year:	Grade	Tonnes				
(d) Stock of rubber held on the date of application or purchased and in transit or awaiting delivery						

3. GENERAL PARTICULARS

(a) Licence fee:	Demand Draft or Money Order or Cash Receipt No	Date	Rupees	(b) Registration cum licence No. (applicable in the case of renewal)

- 1 Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009
- 2 Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017

(ग) कार्यालय, फैक्टरी आदि का पता:		
कार्यालय का पता	फैक्ट्री का पता	भंडार का स्थान/डीपो का पता
(घ) टेलीफोन/ई-मेल पता, यदि कोई हो:		

4. अन्य ब्यौरे	
(क) उद्योग आधार सं.	
(ख) जीएसटी पंजीयन संख्या	
(ग) स्थायी लेखा संख्या	
(घ) स्थानीय प्राधिकार लाइसेंस संख्या व तारीख	
(ङ) अगर पहले ही बिजली संपर्क विद्यमान है तो विद्युत उपभोक्ता संख्या और बिजली संपर्क की तारीख/मंजूरी होने के बाद यदि बिजली संपर्क की प्रतीक्षा में है तो बजली संपर्क की प्रत्याशित तारीख;	

5. बैंककार और ब्रांच का नाम, यदि कोई हो:

--

6. प्राकृतिक रबड़ के प्रयोग द्वारा विनिर्मित उत्पाद: (मदों को कथित करें)

--

(c) Address of Office, Factory, etc.:		
Office Address	Factory Address	Storage Place / Depot Address
(d) Telephone/ e-mail address, if any:		

4. OTHER PARTICULARS

(a) Udyog Adhar No.	
(b) GST Registration No.	
(c) PAN	
(d) Local Authority Licence No. & Date	
(e) Electricity Consumer No. and date of power connection if power connection already exists/ expected date of power connection, If power connection is awaited after being sanctioned	

5. NAME OF THE BANKERS AND BRANCH, IF ANY:

--

6. PRODUCTS TO BE MANUFACTURED BY USING NATURAL RUBBER: (State the items)

--

7. पिछले वित्तीय वर्ष (20 20) के दौरान विनिर्मित उत्पादों के ब्यौरे:

क्रम संख्या	उत्पाद का नाम	लगाने की क्षमता	वास्तविक उत्पादन	प्रयोग किए जाने वाले प्राकृतिक रबड़ की मात्रा (टन)

टिप्पण: 1. लगाने की क्षमता यथास्थिति कथित होगी या तो वे भार में हो या संख्या में हो

2. प्रयोग किए जाने वाले रबड़ की मात्रा प्रत्येक उत्पाद के लिए पृथक रूप से दी जा सकती है।

8. स्वामित्व संबंधी विशिष्टियां

(क) क्या मालिकों/भागीदारी/प्राइवेट लिमिटेड कंपनी/पब्लिक लिमिटेड कंपनी/सहकारिता सोसाइटी है:					
(ख) यदि स्वामित्व के संबंध में कोई परिवर्तन किया गया है और पिछले एक वर्ष के भीतर किसी इकाई का गठन किया गया है तथा बोर्ड को समुचित समय में ऐसे परिवर्तनों की जानकारी देने में विफल हुआ है, उसके ब्यौरे को दें (नवीकरण की दशा में लागू होगा)					
(ग) मालिकों/भागीदारों/प्रबंध निदेशक/अन्य निदेशक/सचिव के संबंध में ब्यौरा दें (यदि स्थान पर्याप्त नहीं हैं तो अतिरिक्त शीट संलग्न करें)					
क्रम संख्या	पूरा नाम	स्थायी पता	वर्तमान पता	स्थिति (क्या मालिकों या भागीदार या प्रबंध निदेशक/निदेशक अथवा सचिव है)	मालिकों या भागीदारों या प्रबंध निदेशक/निदेशक या सचिव के हस्ताक्षर

7. DETAILS OF PRODUCTS MANUFACTURED DURING THE PREVIOUS FINANCIAL YEAR (20..... - 20.....)

Sl. No	Name of the product	Installed Capacity	Actual Production	Quantity of natural rubber used (tonnes)

Note: 1. Installed capacity shall be stated either in weight or in numbers as the case may be.
2. Quantity of rubber used may be given separately for each product.

8. OWNERSHIP PARTICULARS

(a) Whether Proprietorship / Partnership/ Private Limited Company / Public Limited Company/ Co-operative Society:					
(b) If any change has taken place in the ownership and constitution of the unit within the last one year and if failed to inform such changes to the Board at the appropriate time, furnish the details, there of :(applicable in the case of renewal)					
(c) Furnish the details in respect of Proprietor / Partners / Managing Director / other Directors / Secretary: (Attach another sheet if the space is not sufficient)					
Sl No.	Full Name	Permanent Address	Present Address	Status (Whether proprietor or partner or Managing Director / Director or Secretary)	Signature of the proprietor or partners or Managing Director / Director or Secretary

<p>(घ) भागीदारी फर्म की दशा में तथा कंपनी के संगम ज्ञापन और संगम विलेख और निगमन के प्रमाणपत्र की दशा में फर्म के रजिस्ट्रार के साथ रजिस्ट्रीकरण के विवरण सहित भागीदारी विलेख की तारीख कथित करें। (नये आवेदन की दशा में भागीदारी फर्म अथवा कंपनियों की दशा में निगमन के प्रमाणपत्र और संगम ज्ञापन और संगम विलेख अथवा सोसाइटियों की दशा में उपविधियाँ, जो भी लागू हों, फोटो कापी दें)</p>	<p>(ङ.) क्या प्रस्तावित कार्यालय और कारखाना परिसर आवेदक द्वारा स्वामित्व पर अथवा पट्टे पर ले लिया गया है। (नये आवेदन की दशा में स्वामित्व अथवा कब्जे के अधिकारी को साबित करने के लिए संबंधित सुसंगत दस्तावेजों की फोटोकॉपी देगा।)</p>	<p>च) क्या मालिकों अथवा भागीदारों या इकाई के निदेशक किसी भी समय रबड़ डीलर या संसाधक या रबड़ माल विनिर्माता या किसी अन्य अनुज्ञप्ति प्राप्त रबड़ डीलर या संसाधक या विनिर्माता का अभिकर्ता या रबड़ डीलर के अथवा संसाधक के या विनिर्माता के अनुज्ञप्ति के लिए आवेदक होना। यदि हाँ, ब्यौरे दें।</p>
---	---	---

9. प्रतिष्ठापित मशीनरी की सूची

(नये आवेदन की दशा में, सभी विशिष्टियाँ दें और मशीनरी के बीजक की फोटोप्रति संलग्न करें। नवीकरण की दशा में पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान खरीदी गई, यदि कोई है, मशीन के बीजक की फोटोप्रति संलग्न करें और सभी विशिष्टियाँ दें)

क्रम संख्यांक	मशीनरी का नाम	मशीनरी के पूर्तिकार का नाम और पता (रुपये)	बिल संख्या और तारीख	मूल्य (रुपये)

(d) In the case of partnership firm, state the date of partnership deed with the details of registration with the Registrar of Firms and in the case of companies Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation : (In the case of new application, furnish photocopy of partnership deed in the case of partnership firm or Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation in the case of Companies or Bye laws in the case of Societies, whichever is applicable)	
(e) Whether the proposed office and factory premises are owned by the applicant, or taken on lease : (In the case of new application, photocopy of the relevant documents to prove the right of ownership or possession shall be furnished)	
(f) State whether the Proprietor or Partners or Directors of the unit have been at any time a rubber dealer or processor or rubber goods manufacturer or an agent of any other licensed rubber dealer or processor or manufacturer or have been an applicant for rubber dealer's or processor's or manufacturer's licence. If so, furnish details:	

9. LIST OF MACHINERY INSTALLED

(In the case of new application, furnish full particulars and attach photocopy of invoices of the machinery. In the case of renewal, furnish full particulars and attach photocopy of invoices of machines if any, purchased during the previous financial year.)

Sl. No.	Name of Machinery	Name and Address of the Supplier of the machinery	Bill No. and date	Value (Rs.)

10. आवेदन की तारीख से आवेदन की कुल स्थिर आस्तियों का मूल्य (नवीकरण की दशा में पिछले वित्तीय वर्ष के 31 मार्च से) (मालिकों या फर्म या कंपनी अथवा सोसाइटी द्वारा स्वामित्वाधीन अचल संपत्तियों और अन्य आस्तियों के ब्योरे)

(क) भूमि	
(ख) भवन	
(ग) संयंत्र और मशीनरी	
(घ) ऐसा कोई अन्य मद जो ऊपर विनिर्दिष्ट नहीं है	

(नवीकरण आवेदन की दशा में इस प्ररूप के साथ नवीनतम तुलन पत्र की कापी अग्रोषित होगी)

11. घोषणा: मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने महीने तक की मासिक के और एल विवरणियाँ प्रस्तुत की हैं।

मैं घोषणा करता/करती हूँ/ हम घोषणा करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य है।

स्थान :
तारीख:

नाम, पदनाम और कार्यालय मुहर सहित आवेदक का नाम
(भागीदारी फर्म के सभी भागीदार अथवा कंपनी की दशा में प्रबंध निदेशक के हस्ताक्षर होंगे)

10. VALUE OF ALL FIXED ASSETS OF THE APPLICANT AS ON DATE OF APPLICATION

(AS ON 31ST MARCH OF THE PREVIOUS FINANCIAL YEAR, IN THE CASE OF RENEWAL)
 (Details of immovable properties and other assets owned by the Proprietor or Firm or Company or Society.)

(a) Land	
(b) Building	
(c) Plant & Machinery	
(d) Any other item not specified above	

(Copy of the latest Balance Sheet shall be forwarded along with this form in the case of renewal application)

11. DECLARATION: I/We declare that I/We have submitted the monthly K and L returns upto the month of

I/We declare that the statements made above are true to the best of my/our knowledge and belief.

Place:
Date:

Signature of the Applicant with Name, Designation and Office Seal
 (All partners of the partnership firm or Managing Director in the case of a Company, shall sign)

टिप्पणः

- (1) 'यदि कोई आवेदक, मालिक या किसी यूनिट के भागीदार के रूप में बोर्ड द्वारा जारी अनुज्ञप्ति धारण करता है, किसी अधिनियम/ नियम के अधीन विहित किसी विवरणी अथवा बोर्ड को संदाय के भुगतान नहीं करने के कारण ऐसे आवेदक को सभी लंबित विवरणियों तथा सभी व्यतिक्रम देय को देने के बाद जारी अनुज्ञप्ति पर विचार किया जाएगा।
- (2) 'यदि आवेदन किसी अनुज्ञप्ति के लिए जो किसी यूनिट को पूर्णतः या भागतः मशीनरी क्रय के साथ किसी अन्य यूनिट से जिसने कि बोर्ड द्वारा जारी अनुज्ञप्ति धारण किया था अथवा किया है तथा यदि ऐसी अनुज्ञप्ति किसी विवरणी अथवा भुगतान का व्यतिक्रम है, तो पूर्वोक्त स्वामी के नाम से देय सभी बकायों की निकासी के पश्चात् ही जारी अनुज्ञप्ति पर विचार किया जाएगा।
- (3) नए आवेदन की दशा में, जारी की गई अनुज्ञप्ति निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों को पूरा करेगी।
- (क) अनुज्ञप्ति को जारी करते समय यूनिट को उत्पाद को प्रारंभ करने के लिए तैयार रहना चाहिए।
- (ख) निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटो प्रति प्रस्तुत करें
- (i) प्रस्तावित परिसरों में उद्योग स्थापित करने के लिए उद्योग आधार प्रमाणपत्र/जीएसटी पंजीयन प्रमाणपत्र/पैन कार्ड या पंचायत अथवा नगरपालिका या सहकारिता प्राधिकारियों द्वारा जारी अनुज्ञप्ति।
 - (ii) यदि बिजली संयोजन प्राप्त हो गया है, तो बिजली संयोजन के लिए शारस्ती पत्र।
 - (iii) भागीदारी फर्म की दशा में भागीदारी विलेख और यदि भागीदारी रजिस्ट्रीकृत है फर्म के रजिस्ट्रार द्वारा जारी प्रमाणपत्र।
 - (iv) संगम ज्ञापन और संगम विलेख और कंपनी के रजिस्ट्रार द्वारा जारी निगमन के प्रमाणपत्र, यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनी है। सहकारिता सोसाइटियों की दशा में उपनियमों की प्रति।
 - (v) प्रतिष्ठापित मशीनरी के संबंध में क्रय बिल।
 - (vi) स्वामित्व/कार्यालय के कब्जा तथा कारखाना परिसरों के अधिकार को साबित करने वाला दस्तावेजः

NOTE:

- (1) ¹If the applicant as Proprietor or Partner of any unit holding a licence issued by the Board defaulted submission of any return prescribed under the Act/ Rules or payment to the Board, issue of licence to such applicant will be considered only after submission of all the pending returns and payment of all the outstanding dues.
- (2) ¹If the application is for a licence to a unit setup fully or partially with machinery purchased from any other unit which is or was holding a licence issued by the Board and if such the licensee is a defaulter of any return or payment, issue of licence will be considered only after clearance of all the outstanding dues in the name of the previous owner.
- (3) In the case of new application, issue of licence will be subject to fulfilment of the following additional conditions:
 - (a) the unit should be ready for commencement of production at the time of issue of licence.
 - (b) furnish photo copy of the following documents:
 - ¹(i) Udyog Adhar Certificate/GST Registration Certificate/PAN card or licence issued by the Panchayat or Municipal or Corporation authorities to establish the industry at the proposed premises.
 - (ii) Sanction letter for power connection, if power connection is yet to be received.
 - (iii) Partnership deed in the case of a partnership firm and certificate issued by the Registrar of Firms, if the partnership is registered.
 - (iv) Memorandum and Articles of Association and Certificate of Incorporation issued by the Registrar of Companies, in the case of Private Limited Companies or Limited Companies.
Copy of the Bye-laws in the case of Co-operative Societies.
 - (v) Purchase bills in respect of the machinery installed.
 - (vi) Documents to prove the right of ownership/ possession of office and factory premises.

¹ Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017

1 प्रपत्र 'डी 1'
(नियम 40क देखिए)
रबड़ बोर्ड

आपातों में अनुज्ञापत्रित विनिर्माताओं को रबड़ बेचने के एक विशेष अनुज्ञापत्र जारी करने के लिए आवेदन।

1. (क) आवेदक का नाम एवं पता
(ख) प्रपत्र ई में अनुज्ञापत्र की पंजीकरण संख्या और तारीख
2. (क) विनिर्माता के नाम एवं पता जिन्हें रबड़ बेचने को प्रस्ताव किया जाता है।
(ख) विनिर्माता को जारी किये प्रपत्र ई में अनुज्ञापत्र की पंजीकरण संख्या एवं तारीख।
3. वे खरीदे और परिवहन में या प्रतीक्षित सुपुर्दगी को मिलाकर आवेदन की तारीख पर रबड़ स्टोक:-

(क) आवेदक द्वारा वर्ग टण कि.ग्रा.	(ख) क्रय द्वारा वर्ग टण कि.ग्रा.
.....

4. बेचने के लिए प्रस्तावित परिमाण:-

वर्ग	टण	कि.ग्रा.
------	----	----------

5. बेचने के प्रस्तावित रबड़ के हर वर्ग जिस मूल्य पर खरीदा गया था

वर्ग	100 कि.ग्रा. की दर
.....

6. रबड़ के हर वर्ग जिस मूल्य पर बेचने का प्रस्ताव है

वर्ग	100 कि.ग्रा. की दर
.....

7. कालम 5 और 6 में उल्लिखित दोनों मूल्यों के बीच कोई अंतर हो तो उसका कारण

8. कार्यसंपादन के लिए कारण

आवेदक का घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त विवरणियाँ, जहाँ तक उनका मुझसे संबंध है, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही है।

दिनांक:

आवेदक का हस्ताक्षर

क्रेता के घोषणा पत्र

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त विवरणियाँ, जहाँ तक उनका मुझसे संबंध है, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास में सही है।

दिनांक:

खरीदार का हस्ताक्षर

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिसूचना सं.एस आर ओ.2824 दिनांक 30 अगस्त 1957 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 7 सितंबर 1957 को प्रकाशित)

FORM 'D1'¹**[See Rule 40A]****THE RUBBER BOARD**

Application for the issue of a Special Licence to sell rubber to licensed manufacturers in emergencies.

1. (a) Name and address of the applicant.
(b) Register No. and date of the licence in Form E.
2. (a) Name and address of the manufacturer to whom rubber is proposed to be sold.
(b) Reg. No. and date of the licence in Form 'E' issued to the manufacturer.
3. Stock of rubber held on date of application including that purchased and in transit or awaiting delivery:-

(a) By the applicant	(b) By the purchaser
Grade Tonne/ kg.	Grade Tonne/ kg.
.....

4. Quantity proposed to be sold:-

Grade	Tons	kgs.
.....

5. Price at which each grade of rubber proposed to be sold was purchased.

Grade	Rate for 100kg.
.....

6. Price at which each such grade of rubbers proposed to be sold.

Grade	Rate for 100kg.
.....

7. Reason for difference, if any, between the two prices noted in column 5 and 6.
8. Reason for the transaction.

Declaration of the applicant

I declare that the statements made above, so far as they relate to me, are true to the best of my knowledge and belief.

Date: _____ Signature of the applicant

Declaration of the purchaser

I declare that the statements made above, so far as they relate to me, are true to the best of my knowledge and belief.

Date: _____ Signature of the purchaser

¹ Inserted as per Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Notification No.S.R.O. 2824, dated the 30th August 1957 (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, dated 7th September 1957)

1 प्रपत्र ई

(नियम 40 देखिए)

रबड़ बोर्ड**रबड़ के उपार्जित करने का अनुज्ञापत्र**

अनुज्ञापत्र सं..... तारीख.....

श्री सर्वश्री.....

को निम्न लिखित शर्तों के अनुसार भारत के एस्टेटों या अनुज्ञापत्रित व्यापारियों या संसाधकों से (जिसके अंतर्गत आयातित प्राकृतिक रबड़ भी है)² खरीदने या अन्य प्रकार से उपार्जन करने को एतद्वारा प्राधिकृत किया जाता है:³

वर्ष ²	वर्ग	टण	कि.ग्रा.
.....
.....

⁴यह लैसेंससेतक (दोनों दिनों को मिलाकर) मान्य रहेगा और अंतरणीय नहीं है ।

शर्तें

- (1) अनुज्ञापत्रित व्यापारी या पंजीकृत एस्टेट को ऐसे व्यापारी या एस्टेट के प्राधिकृत अभिकर्ता को जिसका प्राधिकरण बोर्ड की बहियों में पंजीकृत किया है, छोड़कर किसी व्यक्ति से रबड़ का क्रय न किया जा सकेगा ।
- (2) अनुज्ञापत्रधारी प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा रबड़ का क्रय किये जाने पर ऐसे अभिकर्ता का प्राधिकरण रबड़ बोर्ड को बहियों में पंजीकरण करना चाहिए ।
- (3) क्रय करते समय अनुज्ञापत्रधारी विक्रेता को एक क्रय बिल देना है या उसको विक्रेता से एक विक्रय बिल पाना चाहिए जिसमें निम्न लिखित विवरण होना चाहिए ।
 - क. अनुज्ञापत्रधारी की लैसेंस संख्या एवं पता
 - ख. विक्रेता की लैसेंस संख्या या पंजीकरण संख्या और पता

-
- 1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ. 549, दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित)
 - 2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार लोप किया गया (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)
 - 3 भारत सरकार राजपत्र दिनांक 12 दिसंबर 2001 के भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित अधिसूचना सं. सा का नि 897 (अ) द्वारा संशोधित
 - 4 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिसूचना सं.जी.एस आर.620 दिनांक 15 जुलाई 1958 के अनुसार अंतरस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) में दिनांक 19 जुलाई, 1958 को प्रकाशित)

FORM E¹

(See Rule 40)

THE RUBBER BOARD

Licence to acquire rubber

Licence No..... Date.....

Mr/Messers.....is/are hereby authorized to purchase or otherwise acquire the undermentioned quantities of rubber from estates or licensed dealers or processors in India (including imported natural rubber)² subject to the conditions specified below:-³

Year ²	Grade	Tons	kg.
.....
.....

This licence is valid from.....to.....both days inclusive,⁴ and is not transferable

Conditions

- (1) No rubber shall be purchased from any person other than a licensed dealer or a registered estate, or authorised agent of such dealer or registered estate holding an authorisation registered in the books of the Board.
- (2) If any rubber is purchased through the licensee's authorised agent, the authorisation of such agent should have been registered in the books of the Rubber Board.
- (3) The licensee shall issue a purchase bill to the seller or obtain a sales bill from the seller every time a purchase is made containing the following particulars:
 - a. Licence number and address of Licensee.
 - b. Licence number or registration number and address of the seller.

¹ Inserted as per Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Notification No. S.R.O. 549, dated the 14th February 1957. (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, dated the 23rd February 1957)

² Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017

³ Amended as per Notification No:SO 897(E) published in the Gazette of India, Part II-Section-3, Sub-section (ii) dated 12th December, 2001

⁴ Inserted as per Government of India, of Commerce and Industry, Notification No. G.S.R, 620 dated the 15th July 1958. (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(1), dated the 19th July, 1958)

- ग. क्रय की तारीख
घ. रबड़ का वर्ग
ङ. भारत (कि.ग्राम में)
च. 100 कि.ग्राम के लिए दर
छ. रकम

कोर्टयम, केरल राज्य
तारीख:

कृते रबड़ बोर्ड
सचिव

1 प्रपत्र 'ई 1'

(नियम 40 क देखिए)

रबड़ बोर्ड

पंजी.सं..... तारीख.....

अनुज्ञापत्र सं.....

निम्न में विनिर्दिष्ट शर्तों के अनुसार आपात स्थिति के कारण तक तथा उक्त दिन सहित प्रपत्र ई में वैध अनुज्ञापत्र सं..... दिनांक रखनेवाले श्री/सर्वश्री को एतद्वारा एकमात्र बिक्री में निम्न लिखित मात्रा के रबड़ प्रपत्र ई में तक तथा उक्त दिन सहित वैध खरीद अनुज्ञापत्र सं..... दिनांक..... रखनेवाले श्री/सर्वश्री..... को बेचने हेतु प्राधिकृत किया जाता है ।

वर्ग	टन	कि.ग्रा.
.....
.....

यह अनुज्ञापत्र जारी करने की तिथि से मात्र पन्द्रह दिनों की अवधि तक वैध है तथा यह हस्तांतरणीय नहीं है।

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधिसूचना सं.एस आर ओ.2824 दिनांक 30 अगस्त 1957 के अनुसार अंतरथापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 7 सितंबर 1957 को प्रकाशित)

- c. Date of purchase
- d. Grade of rubber
- e. Weight in kg.
- f. Rate per 100kg.
- g. Amount.

Kottayam, Kerala State,
Date:

For the Rubber Board
Secretary.

FORM 'E1'
[See Rule 40 A]
THE RUBBER BOARD

Reg.No.....
Licence No.....

Date.....

Mr./Messrs.....holding purchase Licence No.....
dated.....in Form E valid up to and including.....
is/are hereby authorised to sell the undermentioned quantities of rubber at
one sale to Mr./Messrs.....holding Purchase Licence
No.....dated.....in Form E valid up to and
including.....due to an emergency subject to the condition specified
below:-

Grade	Tons	Kg.
.....
.....

The licence is valid for a period of fifteen days only from the date of issue and is not transferable.

1 *Inserted as per Notification No. S.R.O. 2824, dated the 30th August 1957, of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Published in the Gazette of India, Part II Section 3, dated the 7th September 1957)*

शर्तें

बिक्री पूरा होने के तुरंत बाद लेकिन अनुज्ञापत्र के समाप्त होने की तारीख से एक सप्ताह के अंदर अनुज्ञापत्रधारी अनुज्ञापत्र इसके साथ दिए प्रपत्र भर के बोर्ड को वापस करेंगे।

कोर्टयम, केरल राज्य

तारीख:

कृते रबड़ बोर्ड

सचिव

परिशिष्ट

1. बिक्री की तारीख
2. खरीदार को सुपर्दगी की तारीख
3. बिक्री किए रबड़ के विवरण

वर्ग	टन	कि.ग्रा.	दर प्रति 100 कि ग्रा	रकम रु.पै.
.....
.....
योग

घोषणा

मैं घोषणा करता हूँ कि उक्त विवरणियाँ, मेरी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है ।

दिनांक:

खरीदार का हस्ताक्षर

प्रपत्र च

लोप किया गया¹

प्रपत्र छ

लोप किया गया¹

¹ भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (अ) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)

Condition.

As soon as the sale is completed but not later than one week from the date of expiry of the licence, the licensee shall return the licence to the Board with the form appended here to duly filled in.

Kottayam, Kerala State,
Date.....

For the Rubber Board.
Secretary

APPENDIX

1. Date of sale
2. Date of delivery to the purchaser
3. Particulars of rubber sold:-

Grade	Tons	Kgs.	Rate per	Amount	
			100 kgs.	Rs.	Ps.
.....
.....
Total

Declaration

I declare that the statements made, above are true to the best of my knowledge and belief.

Date:

Signature of the applicant.

FORM F ¹Omitted

FORM G ¹Omitted

1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 25th August 2010

1 प्रपत्र एच
(नियम 43(1) देखिए)
रबड़ एस्टेट द्वारा मासिक विवरणी
(इस महीने की विवरणी सेक्रेटरी, रबड़ बोर्ड, सब् जेल रोड, पी.बी. नं. 1122, कोटटयम - 686 002
को भेज दे जो आगामी महीने के 15 तारीख या उसके पहले मिले)
रबड़ बोर्ड

एस्टेट का नाम जिल्ला
पूरा पता राज्य/संघ राज्य क्षेत्र
..... पंजीकरण सं.

1 रबड़ उत्पादन, बिक्री और स्टॉक का विवरण वर्ष और महीना

समूह एवं वर्ग	महीने के अंत में रबड़ के वर्गों का स्टॉक	महीने के दौरान उत्पादन	इस दौरान निपटान किए गए रबड़			महीने के अन्त में शेष स्टॉक	प्राप्ति टिप्पणियाँ प्राप्त नहीं की गयी मार्गस्थ स्टो
			विनिर्माता	अन्य	कुल		
	(कि.ग्रा.)	(कि.ग्रा.)	(कि.ग्रा.)	(कि.ग्रा.)	(कि.ग्रा.)	(कि.ग्रा.)	
(i)	(ii)	(iii)	(iv)क	(iv)ख	(iv)ग	(v)	(vi)
समूह 1	आर एस एस IX आर एस एस 1						
समूह 2	आर एस एस 2 आर एस एस 3						
समूह 3	आर एस एस 4 आर एस एस 5 आईएसएस ऑफ शीट						

¹FORM H

(See Rule 43 (1))

Monthly Return by Rubber Estate.

(The return for each month should be sent so as to reach the Secretary, Rubber Board, Sub Jail Road, P.B. 1122, Kottayam 686 002 on or before the 15th of the succeeding month)²

THE RUBBER BOARD

District

Name of Estate.....

State/Union Territory

Full address.....

Register No.

Year and Month

Statement of rubber production, sales and stock:-

Groups and Grades	Stocks of all grades of rubber as at the end of last month (kg.) (ii)	Production during the month (kg.) (iii)	Stock disposed of during the month to			Stock at the end of the month (kg.) (v)	Stock in transit for which sales bills have not been received (kg.) (vi)
			Manu- facturers (kg.) (iv)a	Others (kg.) (iv)b	Total (kg.) (iv)c		
(i)							
Group 1 RSS 1X RSS 1							
Group 2 RSS 2 RSS 3							
Group 3 RSS 4 RSS 5 ISS Off sheet							

(i)	(ii)	(iii)	(iv)क	(iv)ख	(iv)ग	(v)	(vi)
समूह 4 जमावपूर्व क्रीप पेल लाटक्स क्रीप IX पेल लाटक्स क्रीप 1 पेल लाटक्स क्रीप 2 पेल लाटक्स क्रीप 3							
समूह 5 एस्टेट ब्राउन क्रीप सूपर IX एस्टेट ब्राउन क्रीप IX एस्टेट ब्राउन क्रीप 2X							
समूह 6 एस्टेट ब्राउन क्रीप 3X							
समूह 7 फ्लाट बार्क क्रीप (एर्थ स्क्राप क्रीप) फील्ड कोयागुलम (शुष्क वजन) सोल क्रीप							

(i)	(ii)	(iii)	(iv)a	(iv)b	(iv)c	(v)	(vi)
Group 4 Precoagulated Crepe Pale Latex Crepe IX Pale Latex Crepe 1 Pale Latex Crepe 2 Pale Latex Crepe 3							
Group 5 Estate Brown Crepe Super IX Estate Brown Crepe 1X Estate Brown Crepe 2X							
Group 6 Estate Brown Crepe 3X							
Group 7 Flat Bark Crepe [Earth Scrap Crepe]							
Field Coagulum [Dry Weight] Sole Crepe							

(i)	(ii)	(iii)	(iv) फ	(iv) ख	(iv) ग	(v)	(vi)
Preserved Latex (dry rubber content (State Percentage of concentration))	i) Normal ii) Centrifuged concentrate iii) Creamed concentrate						
Technically Specified Rubber (Specify the type and grade)	i) ii) iv) v) vi) vii)						
TOTAL							

- 2) टापिंग के अधीन क्षेत्र तथा टापिंग दिनों की संख्या
- क) महीने के दौरान टापिंग के अधीन क्षेत्र (हेक्टेयर)
- ख) पिछले महीने में दिखाये गये क्षेत्र से टापिंग के अधीन क्षेत्र में अधिक अंतर हो तो अंतर का स्पष्टीकरण दें
- (उदाहरण: क्षेत्र परित्यक्त, बेचा गया, पुनर्रोपण के लिए काटा गया, टापिंग के लिए अतिरिक्त क्षेत्र खोला गया आदि)
- ग) टापिंग किये गये दिनों की संख्या
-

मैं पारित करता हूँ कि के संबंध में महीने के लिए उक्त
 बातें सत्य एवं सही है ।

स्थान:
 तारीख:

एस्टेट के मालिक का हस्ताक्षर

1. भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय के अधिसूचना सं.जी एस आर 2402, दिनांक 02-09-1975 के अनुसार प्रतिस्थापित (भारत के राजपत्र में दिनांक 20-09-1975 को प्रकाशित)
2. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सं.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)
3. भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ 561(ई), दिनांक 5/7/1994 के अनुसार संशोधित भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5/7/1994 को प्रकाशित)

2) Area under tapping and number of tapping days.

- a) Area under tapping during the month [hectares]
- b) If the area under tapping differ appreciably from that given for last month, please explain the difference. [eg. area abandoned, sold, cut out for replanting, additional area opened for tapping etc.
- c) Number of days on which tapping took place.

I declare that the above is a true and correct account in respect of..... (state here the name of the estate)
 for the month of.....

Place:
 Date:

SIGNATURE OF THE OWNER OF THE ESTATE

*1. Inserted as per Notification No.G..S.R.2402, dated 2.9.1975 of the G.O.I. Ministry of Commerce. (Published in the Gazette of India, dated 20.9.1975)
 2. Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017
 3. Amended as per notification No.G.S.R. 561 (E) dated 5/7/1994 published in part 11- Section 3- subsection (i) of the Gazette of India dt.5/7/1994.G.S.R. 897 (E) dated 12th December 2001

प्रपत्र एच 1
[नियम 43 (1) देखिए]

रबड़ बागान से वार्षिक विवरणी
(हर वर्ष की विवरणी सचिव रबड़ बोर्ड, सब् जेल रोड, पी.बी.नं.1122, कोट्टयम-686 002 को भेज दे ताकि आगामी वर्ष के 15 अप्रैल या उसके पहले प्राप्त हो जाएं)

'रबड़ बोर्ड

ई मेल :stat@rubberboard.org.in

टेली. : 0481- 2301231 फ़ैक्स 0481-2571380

बागान की पंजीकरण सं.....

बागान का नाम

'टेलीफोन नं.

फ़ैक्स/ई-मेल, यदि कोई हो;

स्थान (तालुक एवं जिला)

बागान का पूरा पता

I वर्ष के अंत में कुल क्षेत्र का वितरण

क्षेत्र हेक्टरों में

- (क) रबड़ के अधीन क्षेत्र
- (ख) अन्य फसलों के अधीन क्षेत्र
- (ग) रबड़ कृषि योग्य क्षेत्र किन्तु अभी तक कृषि नहीं की है
- (घ) बंजर भूमि, मकान, चट्टान आदि का क्षेत्र
- ङ) योग

II रबड़ के अधीन क्षेत्र के परिवर्तनों का ब्यौरा

क्षेत्र हेक्टरों में

- (i) इस साल में (रबड़ के पुनःरोपण के सिवा) विनष्ट किये गये रबड़ क्षेत्र एवं उसका कारण
- (ii) इस साल में नष्ट हुए रबड़ क्षेत्र और उसका कारण
- (iii) इस साल में नवरोपित क्षेत्र
- (iv) अगले वर्ष नवरोपण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र
- (v) वर्ष के दौरान पुनःरोपित क्षेत्र
- (vi) अगले वर्ष पुनरोपण के लिए निर्दिष्ट क्षेत्र

I भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.760(अ), दिनांक 15-10-2009 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 16-10-2009 को प्रकाशित)

FORM H 1

[See Rule 43 (1)]

Annual return by Rubber Estate

(The return for each year should be sent so as to reach the Secretary, Rubber Board, P.B. No. 1122, Sub Jail Road, Kottayam 686 002, on or before 15th day of April of the succeeding year.)

THE RUBBER BOARD

stat@rubberboard.org.in; Tel: 0481-2301231; Fax: 0481-2571380

Registration No. of the Estate.....

Name of the Estate

'Telephone No., Fax, e-mail, if any:

Location (Taluk and District)

Full Address of the Estate

I. Distribution of total area at the end of the year

Area in hectares (ha)

- a) Area under rubber
- b) Area under other crops
- c) Area cultivable with rubber but not yet cultivated
- d) Waste land, area occupied by buildings, rock etc.
- e) Total

II. Details of changes in the area under rubber

Area in hectares

- i) Area under rubber destroyed (other than for replanting with rubber) during the year and reason (s) for the same. }
- ii) Area under rubber lost during the year and reason (s) for the same. }
- iii) Area newplanted during the year.
- iv) Area intended to be newplanted during the next year.
- v) Area replanted during the year.
- vi) Area intended to be replanted during the next year.

1 Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009

III. टाप करने योग्य क्षेत्र और उत्पादन¹

इस साल टापिंग करनेवाले क्षेत्र के रबड़ पेड़ों की संख्या (हे.)	टापिंग करनेवाले रबड़ पेड़ों की संख्या	वर्ष के दौरान उत्पादन (सभी वर्गों का शु र सं) (कि ग्रा)	वर्षात में टापिंग योग्य क्षेत्र (हे.)
(1)	(2)	(3)	(4)
(क) बड़डड			
(ख) क्लोनल			
(ग) मिश्रित रोपणी			
(घ) अन्य फसलों के साथ अंतर्रोपित			

योग

- (i) अगर बागान का कुल उत्पादन गत वर्ष से कम है तो उसके कारण अगर कुछ हो तो।
- (ii) वर्ष के दौरान प्राप्त टापिंग दिनों की संख्या
- (iii) स्वीकृत टापिंग प्रणाली/प्रणालियाँ
- (iv) टापिंग योग्य क्षेत्र जिसका वर्ष के दौरान टापिंग नहीं किया और उसके लिए कारण अगर कुछ हो तो बताएं

IV अपक्व रबड़ क्षेत्र¹

रोपण का वर्ष सामग्री (1)	प्रयुक्त रोपण (हेक्टर) (2)	नवरोपित (एन पी) (हेक्टर) (3)	पुनःरोपित नवरोपित + पुनःरोपित (4)	कुल (हेक्टर) (5)
कुल				

1 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.760(अ), दिनांक 15-10-2009 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 16-10-2009 को प्रकाशित)

III. Tappable area and production¹

Average area under tapping during the year (ha)	Number of rubber trees in the tapped area (No.)	Number of rubber trees under tapping (No.)	Production during the year (d.r.c. of all Grades) kg-	Tappable area at the end of the year (ha)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

- a) Budded
 b) Clonal
 c) Mixed-Stands
 d) Interplanted with other crops.

TOTAL

- i) If the total production of the estate is less than that of the previous year, reason (s), if any, for the same. }
- ii) Number of tapping days obtained during the year,
- iii) Tapping system (s) adopted.
- iv) Area tappable but not tapped during the year and reason (s) if any for the same.

IV. Immature rubber area¹

Year of Planting	Planting materials used	Newplanted (NP) [Hectares]	Replanted (RP) [Hectares]	Total (NP+RP) [Hectares]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
TOTAL				

¹ Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009

V. खाद प्रयोग

	पक्व	अपक्व	योग
(1)	(2)	(3)	(4)
[खाद प्रयुक्त क्षेत्र हेक्टरों में]			
¹ (क)	बड्डड		
(ख)	क्लोनल		
(ग)	मिश्रित रोपणी		
(घ)	अन्य फसलों के साथ अंतर्रोपित		
<hr/>			
कुल			

VI. पौधा संरक्षण¹

	बड्डड	क्लोनल	मिश्रित रोपणी	अन्य फसलों के साथ अंतर्रोपित	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(धूलन/छिडकाव किये क्षेत्र हेक्टरों में)					

पक्व

(क) धूलन

(ख) छिडकाव

अपक्व

(क) धूलन

(ख) छिडकाव

योग

¹ भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.760(अ), दिनांक 15-10-2009 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 16-10-2009 को प्रकाशित)

V. Manuring

(1)	Mature (2)	Immature (3)	Total (4)
	(Area manured in hectares)		
[a] Budded			
[b] Clonal			
[c] Mixed-Stands			
[d] Interplanted with other crops			
TOTAL			

VI. Plant Protection¹

	Budded	Clonal	Mixed- Stands	Interplan- ted with other crops	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
	[Areas sprayed/ dusted in hectare]				
Mature					
[a] Dusting					
[b] Spraying					
Immature					
[a] Dusting					
[b] Spraying					
TOTAL					

¹ Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009

VII. श्रमिक

¹(क) वर्ष के दौरान औसत दैनिक रोज़गार

श्रेणी (1)	स्थायी (2)	अस्थायी (3)	आकस्मिक (4)	टेका (5)	कुल (6)
1. कार्यकारी एवं पर्यवेक्षी कर्मचारी पुरुष महिला					
2. टापेर्स पुरुष महिला					
3 फ़ैक्टरी कामगार पुरुष महिला					
¹ 4 अन्य पुरुष महिला					
योग					

- (ख) साल के अंत में स्थायी कामगारों की संख्या
- (ग) साल के अंत में कुल निवासी कामगारों की संख्या

¹ भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.760(अ), दिनांक 15-10-2009 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 16-10-2009 को प्रकाशित)

VII. Labour

[A] Average daily employment during the year¹

Category	Permanent	Temporary	Casual	Contract	Total
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]
1. Executives & Supervisory Staff	Men				
	Women				
2. Tappers	Men				
	Women				
3. Factory workers	Men				
	Women				
4. Others	Men				
	Women				
<hr/>					
TOTAL					
<hr/>					

[B] Number of permanent workers at the end of the year.

.....

[C] Total resident workers at the end of the year.

.....

¹ Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009

- (घ) वर्षात में कुल निवासी आबादी
- (ङ) साल के अंत में कुल निवासी परिवारों की संख्या

अनुदेश

1. प्रपत्र में जहाँ 'वर्ष' उल्लिखित है इसका मतलब 31 मार्च को समाप्त होनेवाला वर्ष है।
2. मिश्रित रोपणी का मतलब है ¹बड़डड एवं क्लोनल रबड़ पौधों का मिश्रित रोपण। मुख्य रोपण सामग्री 75 प्रतिशत से कम रहने पर ही इस पर विचार किया जाना चाहिए।
3. 'रोपण सामग्री' इस शीर्ष के अंदर प्रयुक्त रोपण सामग्री की किस्म का नाम दें। उदा:- आर आर आई आई 105, आर आर आई एम 600, जी टी 1 आदि²
4. औसत दैनिक रोजगार हेतु श्रमदिन की कुल संख्या को साल में कार्य दिवसों की कुल संख्या द्वारा विभाजित कर संकलित किया जाना चाहिए। मान लो कि 200 दिनों के लिए 100 व्यक्ति, 100 दिनों के लिए 50 व्यक्ति और 30 दिनों के लिए 10 व्यक्ति काम करते हैं। तब श्रमदिनों की कुल संख्या 25300 होगी। (100 x 200 + 50 x 100 + 10 x 30)
साल में कार्य दिवसों की संख्या 300 माना जाय। तब रोजगार की औसत संख्या = 25300/300 = 84.3 या 84 हैं।

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि को समाप्त वर्ष के लिए..... के संबंध में उक्त विवरणियाँ सही व ठीक हैं।

बागान के मालिक का हस्ताक्षर
(मुहर)

स्थान :
तारीख :

-
- 1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर. 2402, दिनांक 02-09-1975 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (1) में दिनांक 20-09-1975 को प्रकाशित)
 - 2 भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं.जी एस आर.760(अ), दिनांक 15-10-2009 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 16-10-2009 को प्रकाशित)

[D] Total resident population at the end of the year.

[E] Number of resident families in the estate at the end of the year.

Instructions

- 1) 'Year' wherever mentioned in the form means the year, ending on the 31st March.
- 2) 'Mixed-Stands', mean mixed planting of 'budded and clonal rubber or any of them. To be considered only if the predominant planting materials is less than 75%.
- 3) 'Planting materials', under this heading give the variety of planting materials used, RRII 105, RRIM 600, GT 1 etc.²
- 4) The 'average daily employment' should be calculated by dividing the aggregate number of man-days with the number of working days in the year. Suppose 100 persons are employed for 200 days, 50 persons for 100 days and 10 persons for 30 days. Then the aggregate number of man days 25300.

Let the number of working days in the year be 300. Then the average number of workers employed $25300/300=84.3$ or say 84.

I declare that the above is a true and correct account in respect of.....for the year ending.....

(State here the name of the Estate)

SIGNATURE OF THE OWNER OF THE ESTATE

(Seal)

Place:

Date:

1 *Inserted as per Notification No.G.S.R. 2402, dated 02-09-1975 Government of India, Ministry of Commerce, (Published in the Gazette of India, dated 20-09-1975)*

2 Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009

प्रपत्र एच 2

(नियम 43(2) देखिए)

²अनुज्ञापत्रित व्यापारी द्वारा मासिक विवरणी

(हर महीने की विवरणी आगामी महीने के बीसवीं तारीख के पहले सेक्रेटरी, रबड़ बोर्ड, पी.बी.नं.1122, कोटयम-686 002 के नाम पर भेजनी चाहिए ताकि आगामी महीने के 15 तारीख या उसके पहले प्राप्त हो जाएं)

रबड़ बोर्ड

व्यापारी का नाम.....	पंजीकरण सं वर्ष और महीना	महीने के दौरान अर्जित किये गए रबड़	इस दौरान निपटान किए गए रबड़	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.
समूह एवं वर्ग		छोटा कृषक	बड़ा कृषक	अन्य कुल	अन्य कुल
		कि.ग्रा.	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.	कि.ग्रा.
		(ii)	(iii)क	(iii)ख	(iii)घ
		(i)	(ii)	(iii)क	(iii)घ
		(iv)क	(iv)ख	(iv)घ	(iv)ग
		(v)	(v)	(v)	(vi)
समूह 1 आर एस एस IX आर एस एस 1					
समूह 2 आर एस एस 2 आर एस एस 3					
समूह 3 आर एस एस 4 आर एस एस 5					
आईएसएस ऑफ शीट					

(i)	(ii)	(iii)a	(iii)b	(iii)c	(iii)d	(iv)a	(iv)b	(iv)c	(v)	(vi)
Group 4	Precoagulated Crepe Pale Latex Crepe 1X Pale Latex Crepe 1 Pale Latex Crepe 2 Pale Latex crepe 3									
Group 5	Estate Brown Crepe Super IX Estate Brown Crepe 1X Estate Brown Crepe 2X									
Group 6	Estate Brown Crepe 3X									
Group 7	Flat Bark Crepe [Earth Scarp Crepe] Field Coagulam [Dry Weight] Sole Crepe									

(i)	(ii)	(iii)क	(iii)ख	(iii)ग	(iii)घ	(iv)क	(iv)ख	(iv)	ग(v)	(vi)
संरक्षित लाटेक्स (शुष्क रबड़ संघटक) 1) सामान्य (सान्द्रता का प्रतिशत बताएं) 2) अपकोन्द्रित गाढा 3) क्रीमड गाढा										
तकनीकी आधार पर विनिर्दिष्ट रबड़ 1) (प्रकार व श्रेणी व्यक्त करें) 2) 3) 4) 5) 6) 7)										

योग

में पारित करता हूँ कि के संबंध में महीने के लिए उक्त बातें सत्य एवं सही है ।

स्थान:

एस्टेट के मालिक का हस्ताक्षर

तारीख:

1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय के अधिसूचना सं.जी एस आर 2402, दिनांक 02-09-1975 के अनुसार प्रतिस्थापित (भारत के राजपत्र में दिनांक 20-09-1975 को प्रकाशित)

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ 561(ई), दिनांक 5/7/1994 के अनुसार संशोधित भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उप खंड (i) में दिनांक 5/7/1994 को प्रकाशित)

2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग

II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

(i)	(ii)	(iii)a	(iii)b	(iii)c	(iii)d	(iv)a	(iv)b	(iv)c	(v)	(vi)
Preserved Latex (dry rubber content) (State percentage of concentration)	i) Normal ii) Centrifuged Concentrate iii) Creamed concentrate									
Technically Specified Rubber (Specify the type and grade)	i) ii) iii) iv) v) vi) vii)									
TOTAL										

I declare that the above is a true and correct account in respect of my business for the month of

Place:

Date:

Signature of the Dealer

- 1 Inserted as per notification No. G.S.R. 2402, dated 02-09-1975 Government of India, Ministry of Commerce, (Published in the gazette of India, dated 20-09-1975)
- 2 Amended as per notification No. G.S.R. 561 (E) dated 5/7/1994 published in part 11 - Section 3-subsection (i) of the Gazette of India dt.5/7/1994. Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017

(i)	(ii)	(iii)क	(iii)ख	(iii)घ	(iii)ङ	(iv)क	(iv)ख	(iv)ग	(iv)घ	(v)	(vi)	(vii)
-----	------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------	-------	-----	------	-------

- तकनीकी आधार पर
विनिर्दिष्ट खंड
(प्रकार व श्रेणी व्यक्त करें)
- 1)
 - 2)
 - 3)
 - 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)

ऑफ ग्रेड
स्किम

योग

में घोषणा करता हूँ कि महीने के मेरे कारोबार के संबंध में उक्त बातें सही एवं ठीक लेखे है ।

स्थान:

तारीख:

संसाधक के हस्ताक्षर

- 1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस आर.2402, दिनांक 2.9.1975 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र दिनांक 20.9.1975 को प्रकाशित) अधिसूचना सं.जी एस आर 561(ई) दिनांक 5/7/1994 के अनुसार संशोधित भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड (1) में दिनांक 5/7/1994 को प्रकाशित
- 2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सं.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

(i)	(ii)	(iii)a	(iii)b	(iii)c	(iii)d	(iii)e	(iv)	iv)a	(v)b	(v)c	(vi)	(vii)	(viii)
Technically Specified Rubber (Specify the type and grade.)	1) 2) 3) 4) 5) 6) 7)												
Off grade													
Skim													
TOTAL													

I declare that the above is a true and correct account in respect of my business for the month of.....

Place:

Date:

SIGNATURE OF THE PROCESSOR

1 Inserted as per notification No. G.S.R. 2402, dated 02-09-1975 Government of India, Ministry of Commerce, (Published in the gazette of India, dated 20-09-1975)

Amended as per notification No. G.S.R. 561 (E) dated 5/7/1994 published in part II-Section 3- subsection (i) of the Gazette of India dt.5/7/1994.

2 Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017

प्ररूप झ

लोप किया गया¹

प्ररूप ज

लोप किया गया²

-
- 1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 704 (अ) दिनांक 25 अगस्त 2010 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 25 अगस्त 2010 को प्रकाशित)
 - 2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं.एस.आर.ओ.549 दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार हटा दिया गया। (भारत सरकार के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 23 फरवरी, 1957 को प्रकाशित।)

**¹FORM I
(Omitted)**

**²FORM J
(Omitted)**

-
- 1 Amended by Notification No. G.S.R. 704 (E) dated 25th August 2010 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 25th August 2010*
 - 2. (Deleted as per Government of India, Ministry of Commerce and Industry, Notification No. S.R.O. 549, dated the 14th February 1957, (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3, dated the 23rd February, 1957)*

(i)	(ii)	(iii)a	(iii)b(i)	(iii)b(ii)	(iii)c	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
Group 4 Precoagulated Crepe Pale Latex Crepe 1X Pale Latex Crepe 1 Pale Latex Crepe 2 Pale Latex Crepe 3										
Group 5 Estate Brown Crepe Super IX Estate Brown Crepe 1X Estate Brown Crepe 2X										
Group 6 Estate Brown Crepe 3X										
Group 7 Flat Bark Crepe [Earth Scrap Crepe] Field Coagulam [Dry Weight] Sole Crepe										

(i)	(ii)	(iii)a	(iii)b(i)	(iii)b(ii)	(iii)c	(iv)	(v)	(vi)	(vii)	(viii)
Latex (dry rubber content) (State percentage of concentration)	i) Normal concentrate ii) Centrifuged concentrate iii) Creamed concentrate									
Technically Specified Rubber (Specify the type and grade).										
i) ii) iii) iv) v) vi) vii)										
TOTAL										

3. संश्लेषित रबड़ की स्थिति

संश्लेषित रबड़	महीने के दौरान अर्जित किये गए रबड़ (देशी और आयातित)				कि.ग्रा.	(3)क	(3)ख(i)	(3)ख(ii)	(3)ग	कि.ग्रा.	(4)	कि.ग्रा.	(5)	कि.ग्रा.	(6)	कि.ग्रा.	(7)	कि.ग्रा.	(8)	
	देशी	सीधे आयातित	दूसरों से अर्जित आयातित स्टोक	कुल																
(1)																				
संश्लेषित रबड़																				

मैं घोषणा करता हूँ कि महीने के मेरे कारोबार के संबंध में उक्त बातें सही एवं ठीक लेखे हैं ।

स्थान:

तारीख:

कारोबार के प्रोप्राइटर/मैनेजर का हस्ताक्षर

हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति का नाम साफ अक्षरों में दिया जाना चाहिए

1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं.जी एस् आर.2402, दिनांक 2.9.1975 के अनुसार अंतस्थापित (भारत के राजपत्र दिनांक 20.9.1975 को प्रकाशित)

अधिसूचना सं.जी एस् आर 561(ई) दिनांक 5/7/1994 के अनुसार संशोधित भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड (1) में दिनांक 5/7/1994 को प्रकाशित

2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग

II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

3. POSITION OF RECLAIMED RUBBER

Reclaimed Rubber	Closing stock of all grades of rubber as shown in the last return (Indigenous & Imported)	Stock acquired during the month (Indigenous and Imported)				Stock consumed in manufacture during the month (Indigenous & Imported)	Stock otherwise disposed of during the month (Indigenous & Imported)	Balance of stock on hand at the end of the month (Indigenous & Imported)	Stock in transit awaiting delivery (Indigenous & Imported)	Quantity of rubber for which general import licences received during the month
		Indigenous	Imported directly	Imported Stock acquired from others	Total					
(i)	(kg) (ii)	(kg) (iii)a	(kg) (iii)b(i)	(kg) (iii)b(ii)	(kg) (iii)c	(kg) (v)	(kg) (vi)	(kg) (vii)	(kg) (viii)	
Reclaimed Rubber										

I declare that the above is a true and correct account in respect of..... (State here the name of the firm)
for the month of.....

Place:
Date:

Signature of the Manager/Proprietor of the factory
(Name of the person signing should be given in BLOCK LETTERS)

1 Inserted as per notification No. G.S.R. 2402, dated 02-09-1975 Government of India, Ministry of Commerce, (Published in the gazette of India, dated 20-09-1975) Amended as per notification No.G.S.R.561 (E) dated 5/7/1994 published in part II-Section 3- subsection (i) of the Gazette of India dt.5/7/1994.

2 Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017

FORM K 1

(See Rule 43 [3])

Annual return by manufacturer.

(The return for each year should be sent so as to reach the Secretary, the Rubber Board, Kottayam on or before the 30th of April of the succeeding year)

THE RUBBER BOARD

Registration No.....
 Name of the manufacturer.....
 Full Address.....

State /Union Territory
 Year

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	Actual consumption of rubber during the year			Estimated rubber consumption during the succeeding			Remarks	
					Natural	Synthetic	Reclaimed	Total	Natural	Synthetic		Reclaimed
(6)a	(6)b	(6)c	(6)d	(7)a	(7)b	(7)c	(7)d	(8)				
1.	Tyres & tubes											
a)	Heavy duty tyres											
b)	Light tyres (car, van etc.)											
c)	Motorcycle & Scooter Tyres											
d)	ADV tyres											
e)	Tubes for the above types (a) to (d)											
f)	Cycle tyres & tubes											

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)a	(6)b	(6)c	(6)d	(7)a	(7)b	(7)c	(7)d	(8)
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	-----

- | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| II. | कैमल बैक | | | | | | | | | | | | |
| III. | रबड़ फूट वियर | | | | | | | | | | | | |
| IV. | बेलटिंग | | | | | | | | | | | | |
| V. | होस | | | | | | | | | | | | |
| VI. | लैटेक्स फोम | | | | | | | | | | | | |
| VII. | डिप्लड रबड़ गुड्स | | | | | | | | | | | | |
| VIII. | अन्य (व्यक्त करें) | | | | | | | | | | | | |

योग

सूचना: इस प्रपत्र में जहाँ तहाँ उल्लिखित वर्ष का अर्थ मार्च 31 को समाप्त होनेवाला वर्ष है ।

..... में घोषणा करता हूँ कि को समाप्त वर्ष के लिए.....
 के संबंध में उक्त लेखे सही एवं ठीक है ।

(कंपनी का नाम यहाँ लिखिए)

स्थान:

मालिक/फैक्टरी के मैनेजर के हस्ताक्षर

तारीख: (हस्ताक्षर करनेवाले व्यक्ति का नाम साफ अक्षरों में लिखा जाना चाहिए)

1 भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर.2402, दिनांक 2-9-1975 के अनुसार अंतर्स्थापित (भारत के राजपत्र में दिनांक 29-9-1975 को प्रकाशित)

2 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. सं.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग

II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)a	(6)b	(6)c	(6)d	(7)a	(7)b	(7)c	(7)d	(8)
II.	Camel Back												
III.	Rubber footwear												
IV.	Belting												
V.	Hoses												
2	VI.Latex foam												
VII.	Dipped rubber goods												
VIII.	Others (Specify)												
TOTAL													

Note: 'Year' wherever mentioned in this form means the year ending on the 31st of March.

I declare that the above is a true and correct account in respect of.....
for the year ending.....

[State here the name of the firm]

Place:

Signature of the Proprietor/Manager of the factory.

Date:

(Name of the person signing should be given in block letters).

- 1 *Inserted as per Notification No. G.S.R. 2402, dated 2-9-1975 of the G.O.I., Ministry of Commerce, (Published in the Gazette of India, dated 29-9-1975)*
- 2 *Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017*

***प्रपत्र एल**
(नियम 43 देखिए)

** (हर महीने की विवरणी सचिव, रबड़ बोर्ड, पी.बी.नं.1122, सब् जेल रोड, कोट्टयम - 686002 को अनुवर्ती महीने के 215 तारीख या उसके पहले ही मिलना चाहिए)

रबड़ बोर्ड

संपदा/व्यापारी/विनिर्माता का नाम.....

पं.सं./अनुज्ञप्ति सं.....

बागानों के मामले में महीने में अर्जित एवं निपटाए कच्चे रबड़ के विवरण प्रपत्र एच के स्तंभ 2 व 3 के अनुसार तथा विनिर्माताओं के संदर्भ में प्रपत्र 'के' के स्तंभ 2 के विवरण।

अर्जित परिमाण		निपटान किया परिमाण	
संपदा/व्यापारी का नाम एवं पंजीकरण संख्या	हर व्यापारी या संपदा से प्राप्त किये रबड़ का परिमाण (कि.ग्राम में)	व्यापारी/विनिर्माता का नाम और पंजीकरण संख्या	हर व्यापारी या विनिर्माता द्वारा निपटाये रबड़ का परिमाण (कि.ग्राम में)
योग		योग	

स्थान.....

तारीख

हस्ताक्षर
संपदा का मालिक
व्यापारी
विनिर्माता

* भारत सरकार, वाणिज्य मंत्रालय की अधिसूचना सं. एस आर ओ.549, दिनांक 14 फरवरी 1957 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3 में दिनांक 23 फरवरी 1957 को प्रकाशित)

** भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. जी एस आर 620, दिनांक 15 जुलाई 1958 के अनुसार संशोधित (भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3(1) में दिनांक 19 जुलाई 1958 को प्रकाशित)

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

***FORM L**
[See Rule 43]

** (The return for each month should be sent so as to reach the Secretary, Rubber Board, P.B. No. 1122, Sub Jail Road, Kottayam 686 002, on or before the 15th of the succeeding month).

THE RUBBER BOARD

Name of Estate/Dealer/Manufacturer.....

Reg. No./ Licence No.....

Details of raw rubber acquired and/or disposed of in the month of..... (as per columns II and III of Form H in the case of estates and dealers, and col. 2 of Form K in the case of manufacturers.)

(To be filled up by Dealers and Manufacturers) QUANTITY ACQUIRED		(To be filled up by Dealers and Estates) QUANTITY DISPOSED	
Name & Reg. No. of Estate/Dealer	Quantity in kg. acquired from each Estate or Dealer	Name & Reg. No. of Dealer/Manufacturer	Quantity in kg. disposed of to each Dealer or Manufacturer
TOTAL		TOTAL	

	Signature of the	Owner of the Estate
Place.....		Dealer
Date.....		Manufacturer

* *Inserted as per Notification No. S.R.O. 549, dated the 14th February 1957 of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated the 23rd February 1957)*

** *Substitute as per Notification No. G.S.R. 620, dated the 15th July 1958, of the Government of India, Ministry of Commerce and Industry, (Published in the Gazette of India, Part II, Section 3(i), dated the 19th July 1958)*
G.S.R. 561(E) dated 5th July, 1994, G.S.R. 897(E) dated 12th December, 2001

1 Amended by *Notification No GSR 1513(E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Sub Section (i) dated 14th December 2017*

***प्रपत्र एल 1**
(नियम 43(4) देखिए)
रबड़ बोर्ड

(हर महीने की विवरणी सचिव, रबड़ बोर्ड, पी.बी.नं.1122, सब् जेल रोड, कोट्टयम-686 002 को आगामी महीने के दि:15¹ के पहले भेज देना चाहिए)

संसाधक का नाम एवं पता

.....

यथास्थिति पंजीकरण एवं अनुज्ञापत्र सं.....

.....

प्रपत्र एच 3 में दिखाए अनुसार महीने में प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त तथा निपटाए गए स्वयं उत्पादित और या अर्जित कच्चे रबड़ का ब्यौरा

प्रसंस्करण के लिए प्रयुक्त स्वयं उत्पादित

और/ या अर्जित रबड़ की मात्रा

निपटाई गई मात्रा

व्यापारी/बागान के नाम और पंजीकरण संख्या	व्यापारी की हर बागान से प्रसंस्करण के लिए स्वयं उत्पादन और/ या उपार्जित रबड़ में प्रयुक्त मात्रा (कि.ग्रा. में)	व्यापारी या विनिर्माता का नाम और पंजीकरण संख्या	हर व्यापारी या विनिर्माता को निपटाये परिमाण (कि.ग्राम में)

योग

योग

मैं घोषणा करता/ती हूँ कि मेरे कारोबार के संबंध में महीने के लिए उक्त विवरणियाँ सही एवं ठीक है ।

स्थान:

तारीख:

संसाधक का हस्ताक्षर
(मोहर)

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

***FORM L 1**

[See Rule 43 (4)]

THE RUBBER BOARD

(The return for each month should be sent so as to reach the Secretary, Rubber Board, P.B. No. 1122, Sub Jail Road, Kottayam 686 002 on or before the 15th of the succeeding month).

Name and address of Processor.....
.....

Registration or Licence No. as the case may be.....
.....

DETAILS OF RAW RUBBER USED OUT OF OWN PRODUCTION AND/ OR ACQUIRED FOR PROCESSING AND DISPOSED OF IN THE MONTH OF.....
.....AS SHOWN IN FORM H3.

QUANTITY USED OUT OF OWN PRODUCTION AND / OR ACQUIRED FOR PROCESSING		QUANTITY DISPOSED OF	
Name & Reg. No. of Estate/Dealer	Quantity (in kg.) used out of own production and/or acquired for processing from each Estate or Dealer	Name & Reg. No. of Dealer/Manufacturer	Quantity in kg. disposed of to each Dealer or Manufacturer
TOTAL		TOTAL	

I declare that the above is a true and correct account in respect of my business for the month of.....

SIGNATURE OF THE PROCESSOR

Place:

Date:

(Seal)

¹ Amended by Notification No GSR 1513(E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II, Sub Section (i) dated 14th December 2017

¹प्रपत्र एम
लोप किया गया

¹प्रपत्र एन1
लोप किया गया

¹प्रपत्र एन2
लोप किया गया

¹प्रपत्र एन3
लोप किया गया

¹प्रपत्र एन4
लोप किया गया

¹ भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 1513 (ई) दिनांक 13 दिसंबर 2017 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 14 दिसंबर 2017 को प्रकाशित)

**¹FORM M
Omitted**

**¹FORM N1
Omitted**

**¹FORM N2
Omitted**

**¹FORM N3
Omitted**

**¹FORM N4
Omitted**

¹ Amended by Notification No. G.S.R. 1513 (E) dated 13th December 2017 published in the Gazette of India (Extraordinary) Part-II, Sub-section (i) dated 14th December 2017

द्वितीय अनुसूची लोप किया गया¹

1 भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना सं. स.क.नि 760 (अ) दिनांक 15 अक्टूबर 2009 के अनुसार संशोधित (भारत सरकार का राजपत्र (असाधारण) भाग II, खंड 3 उपखंड 1 में दिनांक 16 अक्टूबर 2009 को प्रकाशित)

THE SECOND SCHEDULE
(¹Omitted)

1 (Amended by Notification No. G.S.R. 760 (E) dated 15th October 2009 of the Ministry of Commerce and Industry published in the Gazette of India, (Extraordinary) Part-II, Section 3, Sub-section (i) dated 16th October 2009)